खण्ड-273, अंक-4
गुरूवार, 15 आषाढ़, शक संवत् 1889
(6 जुलाई, 1967 ई0)

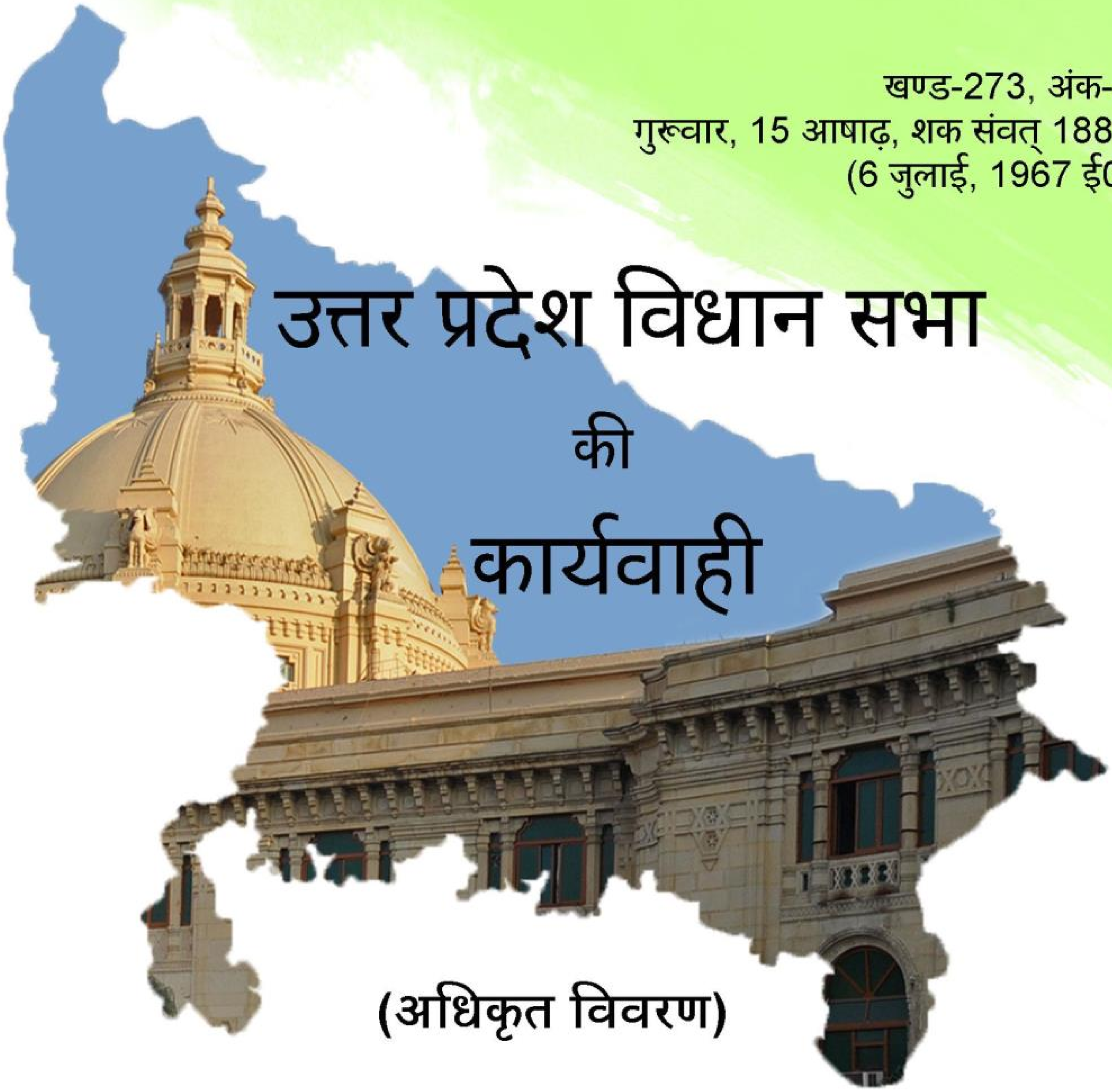

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 273 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	२४३–२४७
प्रश्नों के समय कैबिनेट स्तर के मंत्री का सदन में उपस्थित न रहने पर आपत्ति ..	२४७
प्रश्नोत्तर	२४८–२७३
प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति	२७३–२७४
कतिपय विषय	२७४–२७५
सहकारी बैंकों में नामांकन के संबंध में कथित गलत सूचना देने के संबंध में सर्वश्री कृष्णानन्द राय और लक्ष्मीरमण आचार्य के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न (प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी गयी)	२७५–२८१
सदन के कार्यवृत्त में शोधन	२८१
जन-कांग्रेस विधायक दल को सदन में मान्यता	२८१–२८५
१९६७–६८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १८—शिक्षा (स्वीकृत)	२८५–३२६
लखनऊ मेडिकल कालेज के छात्र द्वारा एक नर्स के साथ अभद्र व्यवहार के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना (जारी)	३२६
नियम ५१ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनायें (जारी) ..	३२७
लखनऊ मेडिकल कालेज के छात्र द्वारा एक नर्स के साथ अभद्र व्यवहार के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना (वक्तव्य दिया गया)	३२७
नियम ५१ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनायें	३२७–३२९
सत्रियां	३३०–३४२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

[1] वृहस्पतिवार, ६ जुलाई, १९६७

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री जगदीश शरण अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३८१

अंगनेलाल, श्री
अख्तर अली खाँ, श्री
अजीत प्रताप, श्री
अठई राम, श्री
अनन्तराम, श्री
अब्दुल खालिक, श्री
अब्दुल मुईज खाँ, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री (झाँसी)
अयोध्या प्रसाद, श्री (मिर्जापुर)
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अर्जुन, श्री
अवधेशनाथ, श्री
अश्वनी कुमार, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश", श्री
अहमदउल्ला खाँ, श्री
आत्मा, श्री
आनन्द सिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल श्री
उग्रसेन, श्री
उदय प्रताप, श्री
उदयवीरसिंह, श्री
उमादत्त, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओंकार सरन, श्री
ओम् प्रकाश सिंह, श्री
कन्हाई लाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री (इटावा)
कन्हैयालाल, श्री (झाँसी)
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कमला पति त्रिपाठी, श्री
कमला प्रसाद, श्री (जौनपुर)
कमला प्रसाद, श्री (बहराइच)
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले, श्री (उपनाम सज्जन गुरु)
कल्याणसिंह, श्री
कामता सिंह, श्री
काशीनाथ, श्री
किशनलाल, श्री
किशनलाल दिलेर, श्री
किशनसिंह, श्री
किशुनलाल, श्री
कृष्ण बहादुर, श्री
कृष्णानन्द रा , श्री
केशरी लाल, श्री
केशव देव, श्री
खूब सिंह, श्री
खेमा, श्री
गंगाधर श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (मथुरा)
गंगाभक्त सिंह, श्री
गंगाराम, श्री
गंगास्वरूप भटनागर, श्री
गजाधर, श्री
गया प्रसाद, श्री (उपनाम मास्टर साहब)

गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाशंकर, श्री
गिरिराज सिंह, श्री
गिरीशचन्द्र तिवारी, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपाल राम दास, श्री
गोविन्द नारायण तिवारी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गौरी राम श्री
गौरीशंकर सराफ, श्री
गौरीसिंह राठौर, श्री
घनश्याम गिरि, महन्त
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र किशोर, श्री
चन्द्र कुमार, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रशेखर, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चेतराम पचपेड़ा, श्री
चेतराम वर्मा, श्री
जंगबहादुर, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगपत सिंह, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयेन्द्र सिंह, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जवाहर लाल जाटव, श्री
जवाहिर लाल, श्री
जसोदा नन्द, श्री
जानकी प्रसाद, श्री
जियाउर्रहमान, श्री
जुगल किशोर, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैदत्त सिंह, श्री
जैनूराम श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारख डे राय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकम सिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रेपन सिंह, श्री
बल बहादुर सिंह, श्री
बल सिंह, श्री
दशरथ, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
दृगराज सिंह, श्री
देव राम, श्री
देवीचरण अग्निहोत्री, श्री
देवी दयाल सेन, श्री
देवी सहाय बाजपेयी, श्री
देवी सेवक, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनराज यादव, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
ध्रुव कुमार, श्री
नन्हेलाल, श्री
नरदेव सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवल किशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन, श्री
निहाल सिंह श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेमपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पब्बर राम, श्री
पीतम सिंह, श्री
प्यारेलाल, श्री (मेरठ)
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रताप सिंह, श्री

प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फारूक चिश्ती, श्री
फूल सिंह, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बजरंग बली, ब्रह्मचारी
बदनसिंह, श्री
बदलराम, श्री
बद्रीप्रसाद अवस्थी, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, सरदार
बलवीर सिंह, श्री (मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (फतेहगढ़)
बसन्तलाल, श्री (जालौन)
बसन्तलाल, श्री (लखनऊ)
बसन्तसिंह, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबू सिंह, श्री
बिशन लाल, श्री
बुधिराम, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बृज मोहन दास अग्रवाल, श्री
बेचनराम, श्री (मिर्जापुर)
बेचनराम, श्री (वाराणसी)
बेनी बाई, श्रीमती
बेनीसिंह अवस्थी, श्री
बैजनाथ, श्री (बलिया)
बैजनाथ, श्री (वाराणसी)
ब्रह्माश्रम, स्वामी
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भगूराम, श्री (उपनाम भृगुनाथ)
भारत सिंह चौहान, श्री
भोलालाल, श्री
भोमा प्रसाद, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भैरवदत्त धूलिया, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगला प्रसाद तिवारी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मकसूद हुसैन, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मदन मोहन सिंह, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्सादीन, श्री
मलिखान सिंह, श्री
महरमसिंह, श्री
महिपालसिंह, श्री
मही लाल, श्री
महेन्द्र प्रताप सिंह, कुंवर
महेशकुमार, श्री
माताप्रसाद, श्री
मानसिंह, श्री
मारकण्डे, श्री
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्शीलाल, श्री
मुरलीधर, श्री
मुलायम सिंह, श्री
मुल्कीराज, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद महमूद अली खाँ, श्री
मुहम्मद रऊफ, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, आचार्य
मोहन लाल कपूर, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
योगेश्वर प्रसाद, श्री
रईसउद्दीन, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (कानपुर)
रघुनाथ सिंह, श्री (झांसी)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज, श्री
रघुवीर श्री,
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीर सिंह, श्री (मैनपुरी)
रफी मुहम्मद खां, श्री
रमाकान्त, श्री
रमावल्लभ मिश्र, श्री
रमाशंकर अग्रवाल, श्री
राज किशोर, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री

राजनारायण सिंह, श्री
राजबली, श्री
राजबहादुर, श्री (सीतापुर)
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबहादुर द्विवेदी, श्री
राज राजेश्वर, श्री
राजाराम, श्री (देवरिया)
राजाराम, श्री (बलिया)
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधेश्याम कपूर, श्री
राम अंजोर, श्री
राम अधार, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
राम आसरे, श्री
राम करन, श्री
राम किंकर, श्री
राम किशोर, श्री
राम कुमार, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र जोशी, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्र सिंह, श्री
रामचरन दोहरे, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामदत्त श्री
रामदास, श्री
रामदुलार पटेल, श्री
रामदुलारे, श्री (रायबरेली)
रामदेव, श्री (गोंडा)
रामदेव, श्री (प्रतापगढ़)
रामनरेश पांडेय, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ, श्री (मिर्जापुर)
रामनाथ, श्री (शाहजहांपुर)
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
रामप्रकाश त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री (आगरा)
रामप्रसाद, श्री (गढ़वाल)
रामप्रसाद, श्री (रायबरेली)
रामप्रसाद वेशमुख, श्री
रामचरन, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामर्मूति "अंचल", श्री
रामरतन, श्री
राम लखन सिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामश्री राजपूत, श्री
रामसजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
रामसिंह, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप, श्री (देहरादून)
रामस्वरूप, श्री (प्रतापगढ़)
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर सिंह, श्री
रुस्तम सैटिन, श्री
रूप नाथ, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर, श्री
लटूरीसिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
वरमेश्वर पाण्डेय, श्री
वसी नकवी, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विपिनबिहारी तिवारी, श्री
विशुनप्रताप सिंह, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (उपनाम शोभन साहू)
विश्वनाथ सिंह, श्री
विष्णु स्वरूप, श्री
वीर बहादुर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेश्वर त्यागी, श्री
शंकर सिंह, चौधरी
शकुंतला देवी, श्रीमती
शफकत जंग, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमीम आलम, श्री
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवनाथ सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह, श्री

शिवलाल, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शीतला दीन, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
सुगनचन्द मजदूर, श्री
श्याम लाल यादव, श्री
श्याम सिंह, श्री
श्रीनाथ, श्री
श्रीनारायण तिवारी, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्री राम तिवारी, श्री
श्री शंकर शर्मा, श्री (उपनाम लालो शर्मा वकील)
सईद अहमद, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्तू, श्री
सरजू प्रसाद, श्री
सरदार सिंह, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सालिक राम, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेव, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशील कुमार विद्यार्थी, श्री
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हरिगेनराम, श्री
हरिहरनाथ अग्रवाल, श्री (उपनाम हरी बाबू)
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीशचन्द्र, श्री
हरीशचन्द्र सिंह, श्री
हरीसिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीसिंह, श्री (मेरठ)
हिम्मत बहादुर, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट:—उप-मुख्य मंत्री श्री रामप्रकाश, उद्योग मंत्री श्री प्रभुनारायण सिंह तथा परिवहन मंत्री श्री मानसिंह वर्मा भी उपस्थित थे।

प्रश्नों के समय कैबिनेट स्तर के मन्त्री का सदन में उपस्थित न रहने पर आपत्ति

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्नों का समय बड़े महत्व का होता है। प्रश्नों के समय कैबिनेट स्तर के किसी एक मंत्री का उपस्थित होना आवश्यक है किन्तु वे नहीं आते जिससे प्रश्नों का महत्व समाप्त होता जा रहा है। आप आदेश दें कि एक आध कैबिनेट स्तर के मंत्री यहां आकर प्रश्नों के समय में अवश्य बैठ जाया करें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों के समय परम्परा यह रही है कि संबंधित मंत्री जिनको उत्तर देना होता है वही रहते हैं। वह नहीं होंगे तो देखा जायगा। फिर डिप्टी मिनिस्टर भी मंत्री की परिभाषा में आ जाते हैं। अच्छा है कि मिनिस्टर्स रह सकें लेकिन मजबूरी नहीं है।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ६ जुलाई, १९६७

तारांकित प्रश्न

रानीखेत अग्निकाण्ड की जांच

*१—श्री रामदत्त (जिला नैनीताल)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील रानीखेत (जिला अल्मोड़ा) में दिनांक १५ फरवरी, १९६७ को कई जगह आग लग गई जिसकी रिपोर्ट दिनांक १७ फरवरी, १९६७ को पटवारी बल्ला सल्ट तहसील रानीखेत के पास लिखाई गई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह उप मंत्री (श्री रुस्तम सैटिन)—

१५-२-६७ को शशिखाल पट्टी बल्ला सल्ट, तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा में एक दुकान में आग लगी। इसके बारे में एक रिपोर्ट परगना अधिकारी रानीखेत को १६-२-६७ को भेजी गई तथा दूसरी रिपोर्ट १९-२-६७ को पटवारी बल्ला सल्ट को दी गई। १७-२-६७ को इस बारे में पटवारी को कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई।

घटना के सबंध में पुलिस द्वारा जांच हो रही है।

श्री राम दत्त—

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि अग्निकांड की इस घटना के बारे में जो एफ० आई० आर० लिखाई गयी और परगना अधिकारी को रिपोर्ट दी गयी उसमें कुछ नामजद मुलजिमान हैं जिसमें कांग्रेस के एक एम० एल० सी० तथा अन्य आदमी शामिल हैं ?

श्री रुस्तम सैटिन—

अध्यक्ष महोदय, श्री गोविन्द सिंह मेहरा, प्रत्याशी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र रानीखेत, ने श्री लक्ष्मण सिंह अधिकारी तथा श्री मोहन सिंह, ग्राम चबलाना बल्ला सल्ट, श्री हरी दत्त, ग्राम खुमाड़, पट्टी बल्ला सल्ट, श्री इन्द्र सिंह, ग्राम देवायल, श्री भोला दत्त, ग्राम नवाड़ा तथा श्री चमड़ सिंह, ग्राम तल्ली म्याड़ी के विरुद्ध तथा हायल सिंह की दूकान में स्थित उनके चुनाव कार्यालय में आग लगाने, कार के ड्राइवर तथा रसोइये प्रेम वल्लभ व कार्यकर्ता श्री हयात सिंह, सर्वश्री गुसाई राम, केवलानन्द आनन्द प्रकाश आदि के चोट पहुंचाने के बारे में नामजद कराये।

श्री राम दत्त—

कांग्रेस के जिन नामजद मुलजिमान का नाम पढ़ कर सुनाया गया, उन्होंने जब आग लगाने का प्रयास किया और रिपोर्ट उनके खिलाफ ४३६ के अन्तर्गत हुई तो कागनिजेबिल आफेन्स होते हुए भी उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री रुस्तम सैटिन—

मामले की जांच हो रही है।

पर्वतीय क्षेत्र के लिए विकास परिषद्

*२—श्री रामदत्त—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिये कोई विकास बोर्ड बनाने जा रही है? यदि हां, तो उसका गठन कब तक हो जायेगा ? क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त बोर्ड के अन्तर्गत कौन-कौन जिले होंगे ?

श्री रुस्तम सैटिन—

(अ) जी हां। पर्वतीय क्षेत्रों की विकास आवश्यकताओं की जांच के लिये एक पृथक विकास परिषद् संगठित करने का निर्णय लिया जा चुका है।

(ब) शीघ्र ही उसका गठन होने की आशा है।

(स) इस परिषद् के अन्तर्गत निम्नलिखित जिले होंगे—

चमोली, उत्तर काशी, पिथौरागढ़, टेहरी, पौड़ीगढ़वाल, अल्मोड़ा एवं नैनीताल।

श्री रामदत्त—

राज्यपाल के अभिभाषण में आश्वासन तो दिया गया था कि हिल डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जायगा लेकिन माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बतलाया है कि परिषद् बनाया जायगा। तो इन दोनों में क्या अन्तर होगा ?

श्री रुस्तम सैटिन—

सरकार का विचार एक परिषद् बनाने का है। बोर्ड और परिषद् में अन्तर नहीं है। इसको अधिशासी अधिकार नहीं होंगे। यह एक सलाहकार के रूप में काम करेगा।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला पिथौरागढ़)—

क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि उत्तराखंड का बजट इससे अलग रहेगा या उसी में यह भी शामिल कर लिया जायगा ?

श्री रुस्तम सैटिन—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस परिषद् के कौन-कौन सदस्य होंगे ?

श्री रुस्तम सैटिन—

अभी यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री इन्द्रलाल—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इसकी कम से कम अवधि क्या होगी ?

श्री रुस्तम सैटिन—

यह भी अभी निश्चित नहीं है।

श्री गोपालदत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वहां हिल बोर्ड बनने के पश्चात् उत्तराखण्ड की जो डिवीजनल प्लानिंग कमेटी है उसका अस्तित्व रहेगा या नहीं ?

श्री रुस्तम सैटिन—

अभी यह पूरा प्रश्न विचाराधीन है।

श्री नेक राम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो एडवाइजरी बोर्ड बनेगा उसमें आफिशियल्स रहेंगे या नान-आफिशियल्स भी रहेंगे ?

श्री रुस्तम सैटिन--

मैंने कह दिया कि अभी यह सारा प्रश्न विचाराधीन है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इसके पहले जो सरकार थी उसने इस बोर्ड को बनाने के संबंध में कुछ निर्णय लिए थे ? यदि हां, तो उन निर्णयों को बताने की कृपा करेंगे।

श्री रुस्तम सैटिन--

इसके लिए नोटिस चाहिए।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट--

उत्तराखण्ड और कुमायूं के लोगों ने सरकार से यह प्रार्थना की है कि यह सिर्फ ऐडवाइजरी बोर्ड न रह कर एक सब्स्टेंशल बनाया जाय क्योंकि ऐडवाइजरी बोर्ड पहले भी था जिसका कोई महत्व नहीं निकला। तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि इसको सिर्फ ऐडवाइजरी बोर्ड न बना कर कोई महत्वशाली चीज बनायें जिससे वहां महत्वपूर्ण कार्य हो सके ?

श्री रुस्तम सैटिन--

सरकार का ऐसा विचार है कि अगर अधिशासी अधिकार इसको दिये जायं तो फिर दूसरे इलाके भी इस प्रकार की मांग करेंगे और इससे एकरूपता खत्म हो जायगी।

श्री योगेश्वर प्रसाद (जिला चमोली)--

जहां तक मुझे स्मरण है, जब माननीय चन्द्रभानु गुप्त मुख्य मंत्री थे तब गवर्नर साहब ने जो घोषणा की थी उसमें पर्वतीय विकास बोर्ड स्थापित करने की बात थी। उससे समझा जाता था कि उसको प्रशासकीय अधिकार होंगे। तो उस योजना से हटने का क्या कारण है ?

श्री रुस्तम सैटिन--

मैंने जब पहले एक माननीय सदस्य ने पूछा तो बता दिया कि अगर अधिशासी अधिकारों वाला कोई बोर्ड बनाया जाय तो सरकार का यह मत है कि फिर दूसरे इलाकों में भी इस प्रकार की मांग उठ खड़ी होगी जिससे पूरे प्रांत की योजनाओं की एकरूपता में बाधा सी उत्पन्न हो जायगी।

जुडीशियल आफिसर, खुर्जा के विरुद्ध जांच

*३--श्री हरीसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जुडीशियल आफिसर खुर्जा, (जिला बुलन्दशहर) के जिले बुलन्दशहर में १ जनवरी, १९६५ से ३१ मार्च, १९६७ तक के कार्यकाल में उनकी अदालत में पेश मुकदमे वाले कितने वादी और प्रतिवादियों ने अपने मुकदमे उनके यहां से उठवाने के लिए प्रार्थना-पत्र एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट (जुडीशियल) बुलन्दशहर को दिए हैं ?

श्री रुस्तम सैटीन--

६९।

*४--श्री हरीसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जुडीशियल आफिसर, खुर्जा (जिला बुलन्दशहर) के खिलाफ रिश्वत और अन्य भ्रष्टाचारों के आरोपों की कोई जांच जिला बुलन्दशहर के उच्च अधिकारियों व उत्तर प्रदेशीय विजिलेंस कमीशन द्वारा १ जनवरी, १९६५ से ३१ मार्च, १९६७ के समय में की गई है ? यदि हां, तो उस जांच के आधार पर राज्य सरकार ने उक्त जुडीशियल आफिसर के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री रुस्तम सैटिन—

केवल एक शिकायती पत्र इस दौरान में आया है, और उसकी जांच हो रही है।

[श्री हरीसिंह (बुलन्दशहर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो ६९ प्रार्थना-पत्र जुडीशियल आफिसर के यहां से मुकदमा उठाने के सिलसिले में थे उनमें मुख्य-मुख्य क्या ग्राउन्ड्स थे ?

श्री रुस्तम सैटिन—

इसके लिए नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन अलग-अलग ग्राउन्ड्स दिए गए थे। अभी इसकी जांच हो रही है।

श्री हरीसिंह (बुलन्दशहर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मार्च, १९६७ में उक्त जुडीशियल आफिसर के खिलाफ यह प्रार्थना-पत्र दिया गया था कि मुझे इनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है और बाजार की तरह से इनके यहां इंसाफ बिकता है, इसलिए मेरा मुकदमा इनके यहां से उठा लिया जाय ?

श्री रुस्तम सैटिन—

मुख्य शिकायतें भ्रष्टाचार के संबंध में थीं और प्रार्थना-पत्र श्री लेखराज शर्मा, राम प्रसाद जसवंत सिंह पंजाबी और ज्योति प्रसाद के थे। इन लोगों ने भ्रष्टाचार की शिकायतें लिखी थीं।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार के पास इस संबंध में कि वे करप्ट आफिसर हैं दरख्वास्तें आई हैं और उनकी इन्क्वायरी की गई या नहीं ?

श्री रुस्तम सैटिन—

वह जिलाधीश के पास आई और वहां से सरकार को मिली। आयुक्त से जांच के लिए कहा गया। उसने कागजात देखकर ए० डी० एम० (जे०) को जांच के लिए दे दिया है।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, शिकायत होने पर अधिकारी का तबादला कर दिया जाता है तो मैं जानना चाहता हूं कि केवल तबादला करने से उनकी खराबी में कोई कमी आने वाली नहीं है, इसलिए सरकार क्या ऐसे कदम उठाएगी कि जिसकी शिकायत हो उसको वहीं रखकर शुद्ध किया जा सके ?

श्री रुस्तम सैटिन—

श्रीमन्, मैंने कहा कि अभी जांच हो रही है। अभी तबादले का सवाल नहीं है। जांच से कोई चीज निकलेगी तो उसके ऊपर गौर किया जायगा।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि भ्रष्टाचार संबंधी आरोप ट्रांसफर एप्लीकेशन में लिखे गये हैं ?

श्री रुस्तम सैटिन—

जो शिकायती पत्र आये उसमें लिखा गया। ट्रांसफर एप्लीकेशन में क्या लिखा गया है, इसकी सूचना इस समय नहीं दे सकता।

श्री हरीसिंह (बुलन्दशहर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस शिकायत की जांच हो रही है उसको विजिलेंस कमीशन कर रहा है ?

श्री रुस्तम सैटिन--

मैंने पहले ही कह दिया कि यह पहले आयुक्त को दी गई और उसने ए० डी० एम० (जे०) को दे दी है ।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन व्यक्तियों ने दरख्वास्तें दी हैं कि उनके ऊपर भ्रष्टाचारी होने का संदेह है इसलिए हमारा मुकदमा उनके पास न रहने दिया जाय, उनका क्या हुआ ?

श्री रुस्तम सैटिन--

इसके लिए सूचना की आवश्यकता है ।

मऊनाथभंजन थाने में झण्डा सम्बन्धी रिपोर्ट

*५--श्री बृजमोहन दास अग्रवाल (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में मऊनाथभंजन थाने पर ३० जनवरी, १९६७ और ५ फरवरी, १९६७ के बीच राष्ट्रीय चिन्ह अशोक अंकित तिरंगा झण्डा के दुरुपयोग की कोई रिपोर्ट श्री चन्द्र भूषण नामक एक नागरिक ने की थी ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)--

श्री चन्द्र भूषण ने ऐसी रिपोर्ट की थी परन्तु झण्डे पर कोई अशोक चिन्ह नहीं था। देखने पर वह कांग्रेस पार्टी का झण्डा पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मऊ थाने में इकबाल अहमद की रिपोर्ट

*६--श्री बृजमोहन दास अग्रवाल (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २१ फरवरी, १९६७ को इकबाल अहमद नामक एक बुनकर ने मऊ थाने पर कतिपय लोगों के विरुद्ध यह रिपोर्ट लिखाई थी कि उन लोगों ने घर में घुसकर उनकी पत्नी को पीटा ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह--

जी हां। श्री इकबाल की रिपोर्ट पर जांच की गई। ६ अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय भेजी गई जहां वह विचाराधीन है ।

आजमगढ़ में जेल की जमीन की मांग

*७--श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)--

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि मुहल्ला रैदोपुर (नई कालोनी), शहर आजमगढ़ की जनता की तरफ से एक प्रार्थना-पत्र जून, १९६२ में जेल मंत्री को दिया गया था कि पक्की सड़क से नई कालोनी को जोड़ने के लिए आजमगढ़ जिला जेल की केवल पचास कड़ी भूमि जो बीच में पड़ती है, रास्ते के लिए दे दी जाय ? यदि हां, तो इस पर आज तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रुस्तम सैटिन--

जी नहीं, जून, १९६२ में ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया है। प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुक्तिनाथ राय--

क्या माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्न को सूचना मान कर कि सरकार की ओर से जो उत्तर दिया गया है बिलकुल गलत है, श्री इन्द्रासनसिंह, श्री बृजबिहारी मिश्र, भूतपूर्व, एम० एल० ए० के प्रश्न ११, १२, १३ दिनांक ७ सितम्बर, १९६४ को देखने की कृपा करेंगे और उसकी पुनः जांच करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री रुस्तम सैटिन---

श्रीमन्, प्रश्नकर्त्ता सदस्य ने जून, १९६२ का महीना दिया था, इस महीने में कोई भी प्रार्थना-पत्र नहीं आया। परन्तु इस विषय में प्रार्थना-पत्र आये हैं---१७ अप्रैल, १९६१ को आया, २७ सितम्बर, १९६१ को आया, २ जनवरी, १९६२ को आया, ५ जुलाई, १९६२ को आया, १४ जुलाई, १९६३ को आया, १८ जुलाई, १९६४ को आया, ४ सितम्बर, १९६४ को आया, २९ अक्तूबर, १९६५ को आया। जिस महीने में बताया उसमें नहीं आया था। उसी का उल्लेख किया गया। इसलिए इस प्रकार का उत्तर दिया गया कि नहीं आया।

श्री मुक्तिनाथ राय---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो दरख्वास्तें आयी हैं उनके बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रुस्तम सैटिन--

बात यह है, श्रीमन्, वहां एक जमीन है जेल से बिलकुल लगी हुई। उस जमीन के पास वहां की नगरपालिका ने एक कालोनी बनायी और कुछ लोगों को जमीनों के प्लाट बना कर दिए। वहां से जाने के लिए एक सड़क की मांग हो रही है। यह स्थान जिला जेल से बिलकुल लगा हुआ है। जब यह मांग सरकार के सामने आयी तब वहां के अधिकारियों ने कहा कि यह हमारे बहुत करीब है इसलिए इसका देना कठिन है। उनका कहना था कि डेवलपमेंट बोर्ड को चाहिए कि जिस समय किसी प्लाट का डेवलपमेंट करें तो पहले सड़क की व्यवस्था कर लें न कि प्लाट की योजना बना लें और फिर सरकार से जमीन की मांग करें।

श्री मुक्तिनाथ राय--

मान्यवर, क्या उप मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस ५० कड़ी रास्ते में ४ वर्ष से जनता का आवागमन हो रहा है और उस पर नगरपालिका की तरफ से सफाई हो रही है ?

श्री रुस्तम सैटिन--

५० कड़ी जमीन की मांग अवश्य है और इस संबंध में नगरपालिका ने बार-बार विचार किया और आई० जी० (प्रिजन्स) ने जो प्रस्ताव इस संदर्भ में लिखा है वह इस प्रकार है---(१) नगरपालिका जेल भूमि की ५० कड़ी भूमि का मुआवजा दे। (२) एक दीवार (जिसकी ऊंचाई जेल विभाग निर्धारित करेगा) नगरपालिका मेन सड़क से प्रस्तावित मार्ग तक अपने खर्चे से उसे बनवाये। (३) प्लाट संख्या ८९३ जेल विभाग को नगरपालिका बिना किसी मुआवजा के सौंप दे।

अवकाश प्राप्ति की अवस्था

*८---श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकारी कर्मचारियों के अवकाश प्राप्ति की अवधि ५८ से पुनः ५५ वर्ष करने का सरकार कोई निश्चय कर रही है ?

श्री रुस्तम सैटिन---

इस संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस संबंध में क्या सरकार कोई विचार कर रही है ?

श्री रुस्तम सैटिन—

अभी मैंने कहा कि इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री अध्यक्ष—

कोई निर्णय नहीं लिया गया है और विचार हो रहा है, यह अलग-अलग चीजें हैं। इस दृष्टि से आप जवाब दें।

श्री रुस्तम सैटिन—

जी हां, विचाराधीन तो है ही।

श्री मेंदासिंह (जिला देवरिया)—

मंत्री जी के वक्तव्य से ऐसा लगता है कि कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, तो जब तक निर्णय नहीं लिया गया है तब तक किस आधार पर काम चल रहा है ?

श्री रुस्तम सैटिन—

पहले जो नियम था, उसी आधार पर काम चल रहा है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि पहले २-३ सालों में बार-बार ५५ से ५८ और ५८ से ५५ होता रहा है जिससे कर्मचारियों में अनिश्चितता की भावना फैल गई है, इसको देखते हुए आप इस बारे में निश्चित फैसला कब तक कर लेंगे ?

श्री रुस्तम सैटिन—

अभी समय नहीं दिया जा सकता है कि कब तक हो जायगा।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

क्या सरकार को पता है कि अन्य प्रदेशीय सरकारों ने ५८ वर्ष से ५५ वर्ष की उम्र का फैसला अपने-अपने यहां कर लिया है ?

श्री रुस्तम सैटिन—

यह अखबारों में तो आया है। यदि माननीय सदस्य नोटिस दें तो निश्चित रूप से पता किया जाय।

श्री रामदत्त—

क्या मंत्री जी को पता है कि सचिवालय में कई ऐसे अधिकारी हैं जिनकी उम्र ६० वर्ष के करीब पहुंच गयी है ?

श्री रुस्तम सैटिन—

मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री मेंदासिंह—

जिस अवधि में निर्णय सरकार के विचाराधीन है, क्या यह सही है कि उस अवधि में ५५ से ५८ के लिए एक्सटेंशन बड़ी तेजी से दिए जा रहे हैं ? या इन उम्रों पर भी अभी फैसला नहीं हो रहा है ?

श्री रुस्तम सैटिन--

इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, मंत्री जी ने अभी जोशी जी के उत्तर में कहा कि उनको जानकारी नहीं है कि सचिवालय में ६० वर्ष की उम्र के लोग काम कर रहे हैं, तो क्या उस संबंध में वह जानकारी करने की कृपा करेंगे और उसका कारण बताने की कृपा करेंगे कि ऐसा क्यों है ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री कह चुके हैं कि उन्हें इसकी सूचना नहीं है ।

श्री गेंदासिंह--

क्या जिनको निर्णय से पहले ही ५५ साल की अवस्था पर ही रिटायर होने के लिए नोटिस दिया गया है उनको निर्णय हो जाने के बाद कि ५८ रिटायरमेंट की अवस्था होगी फिर से नौकरी पर बुलाया जायगा ?

श्री अध्यक्ष--

मुझे तो लगता है कि आपको भ्रम है । ५८ तो अभी है ही, ५५ करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

कानपुर में कलेक्टरगंज थानान्तर्गत श्री सूरजपाल सिंह की हत्या

*९--श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

क्या गृह मंत्री को पता है कि दिनांक १४ सितम्बर, १९६६ को कानपुर के थाना कलेक्टरगंज के अन्तर्गत श्री सूरज पाल सिंह नाम के व्यक्ति की दिन-दहाड़े निर्मम हत्या कर दी गई और सूरज पाल के नाम जो रिवाल्वर तथा बन्दूक थी उसकी वापसी का प्रार्थना-पत्र उनके भाई का होने पर आज तक अस्लहा वापस नहीं किये गये और तहसीलदार महोदय ने खिलाफ रिपोर्ट लिखी है ?

श्री रुस्तम सैटिन--

श्री सूरज पाल सिंह की हत्या दिनांक १४ सितम्बर, १९६६ को दिन-दहाड़े नहीं हुई बल्कि साढ़े दस बजे रात में हुई । मृतक के दो भाइयों ने मृतक के शस्त्रों को लेने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया था । प्रार्थियों को यह परामर्श दिया गया कि पहले वह लोग अपने नाम शस्त्र रखने का लाइसेंस स्वीकृत करावें । यह सही नहीं है कि उक्त प्रार्थना-पत्र पर तहसीलदार ने कोई खिलाफ रिपोर्ट लिखी है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या मृतक सूरजपाल के दो भाइयों ने दो अस्लहा के लिए कोई प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां तो किस तिथि को ?

श्री रुस्तम सैटिन--

१८ नवम्बर, १९६६ को प्रार्थना-पत्र दिया गया था ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

इस बात को देखते हुए कि उनके भाई की हत्या कर दी गई है उनको जल्दी लाइसेंस अस्लहा के दिए जावेंगे ताकि वे अपनी जानमाल की रक्षा कर सकें ?

श्री रुस्तम सैटिन--

यह तो जिलाधीश का काम है और वे इस पर विचार कर रहे होंगे ।

डाइरेक्टोरेट आफ विजीलेंस को दिये गये मामले

*१०—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में "डाइरेक्टोरेट आफ विजिलेंस" की स्थापना कब हुई थी और कितनी शिकायतें गजटेड अधिकारयों के विरुद्ध उसे दिनांक २० अप्रैल, १९६७ तक प्राप्त हुई हैं ? प्राप्त शिकायतों में से कितनी की जांच कराई गयी और कितनी सही सिद्ध हुई और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रुस्तम सैटिन—

उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान (डाइरेक्टोरेट आफ विजिलेंस) की स्थापना जून, १९६४ में हुई थी। जून, १९६४ से २० अप्रैल, १९६७ तक २१६ शिकायतें गजटेड अधिकारियों के विरुद्ध उसे शासन से प्राप्त हुईं। इनमें से ७३ मामलों में जांच पूरी हो गयी है। ६४ मामलों में आरोप सही पाये गये जिनमें से १५ मामले शासकीय न्यायाधिकरण के सुपुर्द कर दिए गए, और शेष में विभागीय कार्यवाही की गयी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जो २१६ गजेटेड आफिसर्स के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें से ६४ सही पायी गईं तो ६४-६५, ६५-६६ और ६६-६७ में उनकी अलग-अलग संख्या क्या थी ?

श्री रुस्तम सैटिन—

इसके लिए अलग से नोटिस देनी पड़ेगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जिन ७३ मामलों में जांच की गयी है और उनमें से जिन ६४ को सही पाया गया है तो उनकी जांच कब समाप्त हो गयी ?

श्री रुस्तम सैटिन—

इसमें समाप्त होने की तिथि भी मेरे पास नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो १५ मामले शासकीय न्यायाधिकरण को सुपुर्द किए गये हैं वह कब किये गये हैं ?

श्री रुस्तम सैटिन—

इसकी निश्चित तिथि मेरे पास नहीं है।

श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की गई है उनमें कितने ऐसे हैं जिनको पद से हटाया गया है ?

श्री रुस्तम सैटिन—

ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री राजबहादुर द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये जो २१६ अधिकारी हैं इनकी जिलेवार विवरण तालिका किस प्रकार है ?

श्री रुस्तम सैटिन—

इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री गेंदासिंह—

क्या यह सही है कि ६४ मामले जो विजिलेंस कमीशन ने भेजे थे उनमें केवल १५ मामले ही उसने शासकीय ट्रिब्यूनल को भेजने के लिए लिखा था या किस प्रकार से १५ को ही वहां भेजा गया ?

श्री रुस्तम सैटिन—

इस सूचना का भी मेरे पास कोई आधार नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि १५ मामलों पर जो अलग से विभागीय कार्यवाही की गई वह कब की गई और क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रुस्तम सैटिन—

जो कार्यवाही उनके ऊपर की गई है वह जनहित में बताना उचित नहीं है ।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि डाइरेक्टोरेट विजिलेंस की जब स्थापना हुई और जो उसके परसोनेल बनाये गये वह परसोनेल अभी तक वहां हैं या इस नई सरकार ने उसमें कोई परिवर्तन किया है ?

श्री रुस्तम सैटिन—

इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री हरीसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो वर्तमान विजिलेंस कमीशन है उसके ५ सदस्य ऐसे हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच हो चुकी है और उनको उसमें रखा गया है ?

श्री रुस्तम सैटिन—

इसके लिए भी नोटिस की आवश्यता होगी ।

श्री नेकराम शर्मा—

विजिलेंस कमीशन को जो शिकायतें दी जाती हैं वह वह दी जाती हैं जिनको सरकार उचित समझे । क्या वर्तमान सरकार ने इसमें कोई परिवर्तन किया है कि जो शिकायत भ्रष्टाचार की पब्लिक करे उन सारी शिकायतों को विजिलेंस कमीशन के पास भेज दिया जाय ? यदि हां, तो वह क्या ?

श्री रुस्तम सैटिन—

अभी सरकार इस पर विचार कर रही है ।

सम्पत्ति का ब्योरा देने वाले मंत्री

*११—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्होंने अपने मंत्रिमण्डल के मंत्रियों को यह आदेश दिया है कि वह अपनी जायदाद और धन आदि का ब्योरा प्रस्तुत करें ? यदि हां, तो किस-किस मंत्री ने इस आदेश का पालन किया है ? क्या सरकार उसको सदन के पटल पर रखना उचित समझेगी ?

श्री रुस्तम सैटिन—

जी हां । जिन-जिन मंत्रियों से ब्योरा प्राप्त हो गया है उनकी सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३३० पर)

श्री शराफत हुसैन रिजवी---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने जो लिस्ट मुझे दी है उसमें कैबिनेट रैंक के १५ मंत्रियों में से १२ के धन और प्रापर्टी का हिसाब आपके पास आ गया है परन्तु जो चौधरी साहब, श्री झारखण्डेराय और जयराम जी वर्मा रह गये हैं इनका ब्यौरा कब तक उनके पास आ जायगा ?

श्री रुस्तम सैटिन---

शीघ्र से शीघ्र प्राप्त होने की आशा है ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी---

मैं यह जानना चाहता हूं कि वह मुझे यह बताने की कृपा करेंगे कि अलग-अलग जो ये नाम दिए गये हैं इनमें किन-किन ने धन और प्रापर्टी का ब्यौरा दिया है ?

श्री रुस्तम सैटिन---

जहां तक ब्यौरे का सवाल है वह तो बताया नहीं जा सकता । जो ब्यौरा मंत्रियों ने दिया उसे सदन के सामने रखने की प्रथा नहीं है । और नोटिस की आवश्यकता इसलिए है कि यदि वे चाहें कि किस ने ब्यौरा दिया और किसने नहीं, तो यह बताया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष---

वह सूचना तो आप दे चुके कि किस-किस ने ब्यौरा दे दिया है, किंतु इसमें एक प्रश्न और है कि क्या सरकार उस ब्यौरे को सदन पटल पर रखना उचित समझेगी ?

श्री रुस्तम सैटिन---

सदन पटल पर इसको रखने की प्रथा भी नहीं है और यह जनहित में भी नहीं होगा ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

यह ब्यौरा क्या गोपनीय है ? और यदि गोपनीय नहीं है तो यह प्रथा कब प्रारम्भ हुई और इसके प्रारम्भ करने का उद्देश्य क्या है ?

श्री रुस्तम सैटिन---

यह प्रथा सभी लेजिस्लेचर्स में चलती है । मुख्य मंत्री या प्रधान मंत्री को ब्यौरा दिया जाता है और यह सदन पटल पर नहीं रखा जाता ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कई मंत्री ऐसे हैं कि जो संयुक्त परिवार से संबंध रखते हैं ? तो क्या उस ब्यौरे में संयुक्त परिवार का ब्यौरा भी है और उस के अपने भाग का ब्यौरा भी है ? वह भी इसमें संलग्न है या नहीं ?

श्री रुस्तम सैटिन---

उनके संबंधियों का भी ब्यौरा मांगा गया है, किन्तु उसे यहां रखा नहीं जा सकता ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी---

मैंने अपने मूल प्रश्न में यह पूछा था कि उनके पास धनराशि तथा जायदाद कितनी है, तो इस सरकार को उसे यहां रखने में दिक्कत क्या है ?

श्री अध्यक्ष---

उसका ब्यौरा न रखें, लेकिन आपका मतलब यह है कि कुल धनराशि कितनी है, कुल प्रापर्टी कितने की है उसे गवर्नमेंट बताये ?

श्री शराफत हुसैन---

जी हां ।

श्री रुस्तम सैटिन---

मैं उत्तर दे चुका हूं कि यह गोपनीय है और उसे यहां रखा नहीं जा सकता ।

श्री वीरेंद्र वर्मा---

क्या केंद्रीय सरकार की ओर से या प्रधान मंत्री की ओर से इस सरकार को आदेश हैं कि इस प्रकार के ब्यौरे प्राप्त किये जायं और उन को गोपनीय रखा जाय ?

श्री रुस्तम सैटिन---

अभी तक यह सब गोपनीय रखा गया है और मैं समझता हूं कि यह प्रथा चली आ रही है कि इसे गोपनीय रखा जाय ।

श्री अध्यक्ष---

यह श्री वीरेंद्र वर्मा के सवाल का जवाब तो नहीं हुआ । उन का सवाल यह था कि क्या केंद्रीय सरकार ने ऐसे कोई आदेश दिये हैं कि इस को गोपनीय रखा जाय ?

श्री रुस्तम सैटिन---

इस के लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस प्रकार पापर्टी आदि की लिस्ट लेने का फायदा क्या है जब कि उस का किसी को पता ही न हो । इस का आब्जेक्ट क्या है ?

श्री रुस्तम सैटिन---

अगर किसी के विरुद्ध कभी कोई जांच हो किसी कारण से तो उस में इसका उपयोग किया जा सकता है । यही इस का आब्जक्ट हो सकता है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

जिन जिन माननीय मंत्रियों ने यह ब्यौरा अभी तक नहीं दिया है, मुख्य रूप से मुख्य मंत्री जी ने, उस का क्या कोई विशेष कारण है ?

श्री रुस्तम सैटिन---

जहां तक मैं समझता हूं लोगों को उसके तैयार करने में थोड़ी सी अड़चन होगी और वह शीघ्रातिशीघ्र आ जायगा ।

श्री रामायण राय---

हमारे नियमों में "मंत्री" शब्द की परिभाषा में "उपमंत्री" भी आते हैं, तो इन उपमंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा क्यों नहीं भेजा है ?

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास जो लिस्ट है उसमें उपमंत्रियों का उन्होंने बताया है, उसमें ११ मिनिस्टर और बाकी उपमंत्री अलग हैं ।

जैतीपुर थाने में पुलिस हस्तक्षेपीय अपराध

*१२---कुंवर सत्यवीर (जिला बिजनौर)---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपर के थाने जैतीपुर में १ जनवरी सन् १९६७ से २५ अप्रैल, सन् १९६७ तक कितने पुलिस द्वारा हस्तक्षप करने वाले मुकदमों की रिपोर्ट दर्ज हुई और इनमें से फाइनल रिपोर्ट कितनों में लगी ?

श्री रुस्तम सैटिन--

इस अवधि में पुलिस द्वारा हस्तक्षेप अपराध की ४९ रिपोर्टें थाना जैतीपुर पर दर्ज हुई। २२ मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई।

कुंवर सत्यवीर--

२२ मामलों में फायनल रिपोर्ट लगायी गयी, क्या इससे मालूम नहीं पड़ता है कि इन्होंने उन मामलों को परसू नहीं किया, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है ?

श्री रुस्तम सैटिन--

किसी मुकदमें में जांच के सिलसिले में कोई चीज नहीं मिलती है तो फायनल रिपोर्ट लगती है। अगर माननीय सदस्य को किसी विशेष मुकदमे में पता चले कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है या किसी ने कुछ लिया है तो नोटिस दे दें।

श्री सुरेंद्र विक्रम--

४९ आदमियों की रिपोर्ट लिखी गयी। २२ में फायनल रिपोर्ट लगायी गयी, बाकी कितने में चार्ज शीट लगायी गयी ?

श्री रुस्तम सैटिन--

४९ मामलों की जांच की गयी। २२ मामले चालान किये गये, २२ में अन्तरिम रिपोर्ट लगी और एक मामले की जांच हो रही है, एक एक्सपंज हो गया।

राजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध जांच

*१३--श्री सुरेंद्र विक्रम--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने राजपत्रित अधिकारी १ जनवरी, १९६६ से २० अप्रैल, १९६७ तक विजिलेंस सुपुर्द किये गये और उनमें से कितनों के खिलाफ कार्यवाही हुई तथा कितने मुक्त किये गये ?

श्री रुस्तम सैटिन--

१ जनवरी, १९६६ से २० अप्रैल, १९६७ तक ८७ राजपत्रित अधिकारियों के मामले सतर्कता अधिष्ठान को जांच हेतु भेजे गये। उनमें से ५ राजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ जांच पूरी हो गई है और उचित कार्यवाही की गई। इनमें से कोई भी मुक्त नहीं हुआ।

श्री सुरेंद्र विक्रम--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन ५ राजपत्रित कर्मचारियों की जांच हो गयी है उनके नाम क्या हैं और वह किस विभाग के हैं ?

श्री रुस्तम सैटिन--

नाम मेरे पास नहीं हैं। ब्यौरे के लिये रिपोर्ट की आवश्यकता होगी जो दी नहीं जा सकती।

श्री वीरेंद्र वर्मा--

५ अधिकारियों के विरुद्ध जो शिकायतें सिद्ध हुई हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही सरकार ने की है ?

श्री रुस्तम सैटिन--

यह बताना जनहित में नहीं है।

श्री सुरेंद्र विक्रम---

इस बात को देखते हुए कि ५ अधिकारियों के खिलाफ चार्जेज सिद्ध हो गये हैं तो कहां तक उचित है यह कहना कि नाम बतलाना जनहित में नहीं है, किस विभाग में है वह बताना जनहित में नहीं है, क्या सजा दी गयी वह बताना जनहित में नहीं है तो कौनसी बात है जो जनहित में है, वह बतला दें ?

श्री अध्यक्ष---

नियमों में मैं विवश हूं। मैं बाध्य नहीं कर सकता किसी बात को कहने के लिये जिसको वह जनहित में न समझें। वैसे मैं ऐसा समझता हूं कि विजिलेंस कमीशन की क्या कार्यवाही हुई, अगर माननीय मंत्री बता सकते तो अच्छा था।

पुलिस द्वारा चालचलन की तसदीक

*१४---श्री शराफत हुसैन रिजवी---

क्या सरकार उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा चाल-चलन की तसदीक की प्रथा को शीघ्र समाप्त कर देगी। यदि हां, तो कब तक ?

श्री रुस्तम सैटिन---

ऐसा कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी---

अंग्रेजों के जमाने से थानेदार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के चालचलन के बारे में जांच कराने की जो प्रथा चली आ रही है, क्या माननीय मंत्री जी उसे समाप्त करने पर विचार करेंगे क्योंकि यह थानेदार लोग २ रुपया लेकर तसदीक कर दिया करते हैं ?

श्री रुस्तम सैटिन---

सारा मामला पी० आर० सी० की रिपोर्ट आने के बाद विचाराधीन है कि किस वर्गीकरण के हिसाब से क्या परिवर्तन किया जाय।

श्री शराफत हुसैन रिजवी---

जो भी सरकारी सर्विसेज हैं गजेटेड और नान गजेटेड उनमें सभी में एक सर्टिफिकेट एम० एल० ए० का तथा एक किसी गजेटेड आफिसर का होता है, तो इन दो सार्टिफिकेट के बाद फिर थानेदार द्वारा उनके चालचलन की जांच कराने की क्या आवश्यकता रहती है ?

श्री रुस्तम सैटिन---

क्योंकि हो सकता है कि कुछ वाकयात ऐसे हों जो उन लोगों को न मालूम हों, इसलिये पुलिस जांच करके पता लगा लेती है।

श्री गेंदासिंह---

माननीय सदस्य का जो सवाल है वह क्या सभी लोगों के चालचलन की जांच से संबंधित है या केवल सरकारी कर्मचारियों के चाल चलन से ही ?

श्री अध्यक्ष---

यह प्रश्न तो आप माननीय सदस्य से कर रहे हैं, उनसे प्रश्न करने का कोई कायदा नहीं है।

श्री वीरेंद्र वर्मा---

क्या गजेटेड आफिसर्स की भी जांच पुलिस के अधिकारी करते हैं ?

श्री रुस्तम सैटिन--

जो स्टेट सर्विसेज के लोग होते हैं उनकी जांच जिलाधीश, डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस तथा इन्टेलिजेंस द्वारा करायी जाती है ।

श्री नेकराम शर्मा--

क्या किसी मंत्री द्वारा प्रमाण-पत्र दिये जाने के बाद भी पुलिस द्वारा जांच करायी जाती है, यदि हां, तो ऐसा क्या है, क्या इसको रोकने के लिये कोई कदम उठायेंगे ?

श्री रुस्तम सैटिन--

उसकी जांच भी करायी जाती है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसमें कोई खामी ऐसी हो जिसका सार्टिफिकेट देने वाले को पता न हो ।

*१५--श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)--

[पुनर्विचार पर हटा दिया गया ।]

*१६--श्री मुहम्मद रफी खां--

[४थे शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ३५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

देवल कोट में पुल निर्माण

*१७--श्री योगेश्वरप्रसाद--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चमोली जिले के अन्तर्गत देवल कोट नाम के स्थान पर नाले के पुल का निर्माण कार्य अपूर्ण पड़ा है ? यदि हां, तो कब तक यह पुल बन कर तैयार होगा ?

श्री रुस्तम सैटिन--

देवल कोट स्थान पर पुल का निर्माण कार्य चल रहा है । आशा है कि जून १९६८ के अन्त तक यह पुल बन कर तैयार हो जायगा ।

*१८--श्री योगेश्वर प्रसाद--

क्या सरकार को ज्ञात है कि चमोली जिले के देवल कोट पुल पर जो लोहे के रस्से जोड़े गये हैं, वह किसी अन्य पुल के होने के कारण उपरोक्त देवल कोट पुल के लिये छोटे पड़ गये हैं और यह अपूर्ण पुल इस समय भी खतरे की अवस्था में पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो मुख्य मंत्री इसकी जांच करवा कर इस संबंध में उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री रुस्तम सैटिन--

जी नहीं, यह पुल रस्सी वाला नहीं है अपितु स्टील गर्डर्स से बनाया जाने वाला ७० फीट दर का है । उसके भाग इसी पुल के लिये निर्मित कराये गये हैं । इसमें जो लोहे के रस्सों का उपयोग हो रहा है वह केवल पुल के बनाने में ही साधक हैं ।

श्री योगेश्वर प्रसाद--

क्या माननीय उपमंत्री जी को यह ज्ञात है कि इस पुल का निर्माण सन् ६३-६४ के लगभग प्रारम्भ हुआ था । इसके निर्माण में इतने बिलम्ब होने का क्या कारण है ? जून सन् ६८ तक यह पुल अवश्य बन जाय क्या इसके लिये माननीय मंत्री जी कोई जोरदार आदेश करने की कृपा करेंगे ?

श्री रुस्तम सैटिन—

पुल के बनने में देर अवश्य हुई है। अब जैसा कि उत्तर में कहा गया है जल्दी बनकर तैयार हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

उनके प्रश्न का दूसरा हिस्सा था कि क्या वह जून ६८ तक बनकर तैयार हो जायेगा।

श्री रुस्तम सैटिन—

जहां तक सरकार आशा करती है वह बनकर तैयार हो जायेगा।

श्री रमाशंकर अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कार्य पूरा होने की निश्चित तिथि क्या थी ?

श्री रुस्तम सैटिन—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री योगेश्वर प्रसाद—

श्रीमन्, मैंने जांच की मांग की थी, इस पुल में अधूरा कार्य हुआ है, पुल की दीवार खिसक गई है, नीचे से सीमेंट भी उतर गया है ....

श्री अध्यक्ष—

आपका सवाल क्या है ?

श्री योगेश्वर प्रसाद—

श्रीमन्, मैंने प्रश्न यह किया था कि क्या माननीय मुख्य मंत्री कृपा कर इसकी जांच करवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। जो मूल प्रश्न है १८ उसमें उन्होंने यह पूछा है कि यह अपूर्ण पुल इस समय भी खतरे की अवस्था में पड़ा हुआ है। आपके उत्तर में इसका कोई जिक्र नहीं है।

श्री रुस्तम सैटिन—

सवाल यह है श्रीमन्, इस पुल में जो खतरा वे बताते हैं वह लोहे की रस्सियों से बताया है। इनको यह पता नहीं कि लोहे की रस्सियां तब तक रहेंगी जब तक पुल न हो जाय। इनका कहना है कि लोहे की रस्सियों पर आधारित है, इसमें वास्तविकता नहीं है।

जालौन जिले में आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस

*१९—चौधरी शंकरसिंह (जिला जालौन)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जालौन जिले में जनवरी तथा फरवरी, १९६७ में कितने बन्दूकों तथा रिवाल्वर या पिस्टल के लाइसेंसों का वितरण हुआ है उसकी नामवार व तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री रुस्तम सैटिन—

जिला जालौन में माह जनवरी तथा फरवरी, १९६७ में ४९ बन्दूकों के लाइसेंस दिये गए। जिनको ये लाइसेंस दिये गये उनकी नामवार व तहसीलवार सूची संलग्न है। इस अवधि में जिला जालौन में रिवाल्वर तथा पिस्तौल का कोई लाइसेंस नहीं दिया गया।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २३१–२३३ पर)

चौधरी शंकर सिंह—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो लाइसेंस दिये गये उन सभी लाईसेंसेज के लिये पुलिस की रिपोर्ट मंगा ली गई थी। यदि वह रिपोर्ट आई थी तो क्या सब माफिक में थी ?

श्री रुस्तम सैटिन—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इन बन्दूकों में कितनी बन्दूकें गल्ला वसूली के सिलसिले में दी गईं जिनका गल्ला लिया गया ?

श्री रुस्तम सैटिन—

यह कोई प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

जनवरी और फरवरी में कोई गल्ला वसूली नहीं हुई है।

चौधरी शंकरसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने बन्दूकों के लाइसेंस ऐसे थे जो सिर्फ इलैक्शन की वजह से दिय गये ?

श्री रुस्तम सैटिन—

ऐसी हमारे पास कोई सूचना नहीं है।

मितव्ययिता अभियान

*२०—श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मितव्ययिता अभियान में सरकार कौन-कौन से पद समाप्त करने जा रही है और इससे कितने अधिकारी व राजकीय कर्मचारियों की छंटनी होगी तथा उससे सरकार की कितने रुपये मासिक बचत होगी ?

वित्त मंत्री (श्री रामस्वरूप वर्मा)—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री श्रीराम तिवारी—

क्या मंत्री जी इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर इसी सेशन में देने की कृपा करेंगे चूंकि यह सरकार को १ महीने पहले भी भेजा गया था ?

श्री नेकराम शर्मा—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे आज के प्रश्न २८ और २९ के उत्तर मुझे मिल चुके हैं जो बिलकुल इसी तरह के हैं। तो उनको उत्तर क्यों नहीं मिले ?

श्री अध्यक्ष—

आपके प्रश्न केवल सचिवालय से संबंधित हैं और तिवारी जी का सारे प्रदेश से है। लेकिन म तिवारी जी की सूचना के लिये बतलाऊं कि यह माननीय मंत्री जी की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है कि वह सूचना दें या न दें। उन्हें देनी होगी और मैं दिन नियत करूंगा।

राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता

*२१—श्री श्रीराम तिवारी—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कर्मचारियों को सरकार ने जो बढ़ा हुआ डी०ए० स्वीकार किया है तथा उनकी जो मांग है उसे स्वीकार करने में कितने रुपये वार्षिक का अन्तर पड़ेगा ?

श्री रामस्वरूप वर्मा—

राज्य कर्मचारियों की मौजूदा मांग स्वीकार करने में लगभग ११.५७ करोड़ रुपये वार्षिक अतिरिक्त व्यय होगा ।

श्री श्रीराम तिवारी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केंद्र के बराबर पैरीटी देने में ११ करोड़ ५७ लाख की धनराशि में राजपत्रित कर्मचारियों और अराजपत्रित कर्मचारियों की अलग-अलग श्रेणियों पर कितना व्यय होगा ?

श्री रामस्वरूप वर्मा—

सूचना की आवश्यकता है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

एक सदस्यीय जांच कमीशन ने कितना रुपया डीयरनेस एलाउन्स में देने का निश्चय किया था ?

श्री रामस्वरूप वर्मा—

उनके हिसाब से लगभग १५ करोड़ रुपया होता था । मैं भ्रम दूर करदूं चूंकि माननीय सदस्य इसमें दिलचस्पी रखते हैं । वन-मैन कमीशन ने १९६०–६१ को बेसिस तो माना लेकिन केंद्रीय सरकार के हिसाब से ५९ को बेसिस मान कर हिसाब लगाया । ५९ में मूल्य का सूचकांक ११५ था, १९६० में १२४ हो गया । तो ९ का अन्तर वेतन में जुड़ गया । जो हमने दिया है वह उनकी सिफारिश पर दिया है । लेकिन जो ९ प्वाइंट कमीशन ने नजरअन्दाज कर दिये थे उनको घटाकर हमने दिया है ।

शाहजहांपुर जिले में पुराने दरोगा तथा जैतीपुर थाने में अपराध

*२२—श्री रफी मुहम्मद खाँ (जिला गोंडा)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपुर के थाने जैतीपुर में १ जनवरी, १९६६ से ५ अप्रैल, १९६७ तक कितने मुकदमे पुलिस द्वारा हस्तक्षेप करने योग्य अपराधों के कायम हुये, उनमें से कितने चालान हुये और कितनों में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई ?

श्री चरणसिंह—

थाना जैतीपुर में इस अवधि में ११३ मामले दर्ज हुए जिनमें से ५८ चालान हुये और ३१ में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई ।

*२३—श्री रफी मुहम्मद खाँ—

क्या गृह मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कितने दरोगा ५ वर्ष से अधिक से शाहजहांपुर में तैनात हैं ?

नोट—तारांकित प्रश्न २१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री चरणसिंह—

ऐसे २ दरोगा हैं।

न्याय मंत्री का प्रतापगढ़ में आगमन

*२४—श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि न्याय मंत्री ८ अप्रैल, १९६७ को प्रतापगढ़ किस सरकारी कार्यक्रम से गये थे ?

श्री चरणसिंह—

न्याय मंत्री ८ अप्रैल, १९६७ को न्याय संबंधी शासकीय व्यवस्था के कार्य से प्रतापगढ़ गये थे ।

*२५—श्री राम नरेश शुक्ल—

[पुनरावृत्ति के कारण हटा दिया गया ।]

विधायकों को राजनीतिक पेंशन न मिलना

*२६—श्री मुक्तिनाथ राय तथा श्री विश्वनाथसिंह (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार ने कोई ऐसा आदेश निकाला है कि जिन राजनैतिक पीड़ितों को पोलीटिकल पेंशन मिलती थी उन्हें विधायक चुन जाने के बाद की तिथि से मिलना बन्द हो जायेगी। यदि हां, तो यह आदेश क्या हैं?

श्री चरणसिंह—

जी हां । दिनांक २२-५-५७ और ७-६-६२ को यह आदेश दिये गये थे कि जो राजनैतिक पेंशनर विधायक अथवा संसद सदस्य चुन लिये जाते हैं उनकी पेंशन बन्द कर दी जाय ।

वाराणसी में अपराध की घटनायें

*२७—श्री मुक्तिनाथ राय तथा श्री विश्वनाथसिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर महापालिका के अन्दर प्रत्येक थानों में १ जनवरी, १९६७ से ३० अप्रैल, १९६७ के बीच हर महीने में अलग अलग कितनी वारदातें हत्या, डाका, चोरी, अथवा, राहजनी, अपहरण, साम्प्रदायिक उपद्रव आदि की हुई ? सरकार प्रत्येक माह का ब्योरा अलग अलग देने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३३४-३३५ पर)

सचिवालय में अधिकारियों के पदों की समाप्ति

*२८—श्री नेकराम शर्मा, श्री अशरफ अली खां (जिला मथुरा) तथा श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सचिवालय में कितने अफसरों की छंटनी या कम किया जा रहा है तथा क्या सरकार अफसरों की स्पेशल पे को समाप्त करने जा रही है ?

श्री चरणसिंह—

अब तक कुल ऐसे ८ अफसरों के पदों को समाप्त किया गया है । किन्तु सचिवालय में नियुक्त किसी अफसर की स्पेशल पे समाप्त नहीं की गयी है ।

प्रशासन व्यय में कमी के उपाय

*२९—श्री नेकराम शर्मा, श्री अशरफ अली खां तथा श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १ अप्रैल से अब तक उसने प्रशासन में क्या-क्या इकोनामी की है ? इन इकोनामी मेजर्स से कितनी बचत होगी ?

श्री रामस्वरूप वर्मा—

जिन मदों पर बचत करने का इस समय निर्णय हुआ है वे तथा उनसे संबंधित बचत संलग्न तालिका में दी हुई है । प्रशासकीय तथा वित्तीय कारणों से या अनुभव के आधार पर भविष्य में इनमें संशोधन भी किये जा सकते हैं ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३३६–३३९ पर)

महंगाई भत्ते की नई दरें पाने वाले कर्मचारी

*३०—आचार्य दीपंकर—

क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार की ओर से हाल में बढ़ाई गई महंगाई भत्ते की दरें स्थानीय निकायों के कर्मचारियों, अध्यापकों तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारियों पर लागू होगी या नहीं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यह वृद्धि उन्हें कब से दी जाने वाली है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप वर्मा—

महंगाई भत्ते की नई दरें सार्वजनिक निर्माण विभाग के उन वर्क चार्ज कर्मचारियों पर लागू होंगी जो किसी स्वीकृत वेतन-क्रम में वेतन पाते हैं, और जिन्हे पहिले से ही सरकारी दरों पर महंगाई भत्ता मिल रहा है । सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्य वर्क चार्ज कर्मचारियों, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा अध्यापकों पर यह नई दरें नहीं लागू होंगी, क्योंकि यह दरें केवल नये वेतन–क्रमों में वेतन पाने वाले पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों पर ही लागू की गई हैं ।

मंत्रियों के दौरे पर व्यय

*३१—आचार्य दीपंकर तथा श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ५ अप्रैल, १९६७ से ७ मई, १९६७ तक किस मंत्री ने किस जिले व स्थान का कितनी बार दौरा किया और उन पर कुल मिलाकर (जिला अधिकारियों के खर्च से भिन्न) कितने रुपये खर्च में आये ?

श्री चरणसिंह—

वांछित सूचना संलग्न† तालिका में दी गई है ।

यू० पी० सिविल सर्विस परीक्षा शुल्क कम करने पर विचार

*३२—श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश की पी० सी० एस० श्रेणी की नौकरियों में बैठने के लिये ५० रुपये परीक्षा शुल्क के रूप में, अनुसूचित जातिके उम्मीदवारों को देना पड़ता है जब कि आई० ए० एस० श्रेणी की नौकरियों में बैठने के लिये उन्हें केवल १८.६२ रुपये (अठारह रुपये बासठ पैसे) ही परीक्षा शुल्क के रूप में देना पड़ता है ? यदि हां, तो मुख्य मंत्री अनुसूचित जातियों के पिछड़ेपन गरीबी और संरक्षण को ध्यान में रखते हुये उक्त शुल्क में रियायत करने पर विचार करेंगे ?

---

† तालिका छापी नहीं गई ।

श्री चरणसिंह--

यू० पी० सिविल सर्विस (एक्जिक्यूटिव ब्रांच) में भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित एक सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा से होती । इस सम्मिलित परीक्षा में बैठने के लिये अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को ४५ रु० परीक्षा शुल्क देना पड़ता है । फीस की दर में कमी करने के बारे में सरकार विचार कर रही है ।

महंगाई भत्ता सम्बन्धी रिपोर्ट

*३३--श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

क्या वित्त मंत्री सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते संबंधी एक सदस्यीय कमीशन की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप वर्मा--

इस रिपोर्ट के छपाने का प्रबन्ध किया जा रहा है । जैसे ही छपी हुई प्रतियां प्राप्त हो जायंगीं, इस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रख दिया जायगा ।

नैनी तथा कालागढ़ में श्रमिक हड़तालें

*३४--श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री नेकराम शर्मा तथा श्री रामनाथ (जिला शाहजहांपुर)--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल १९६७ से लेकर १८ मई १९६७ तक नैनी, जिला इलाहाबाद, कालागढ़, जिला बरेली में श्रमिक हड़तालें हुयीं ? इनमें से किन किन स्थानों पर गोलियां चलीं जिसके फलस्वरूप कितने मजदूर मारे गये, कितने घायल हुये तथा कितने जल भेजे गये ?

उद्योग मंत्री (श्री प्रभुनारायण सिंह)--

जी हां, नैनी, जिला इलाहाबाद तथा कालागढ़, जिला बिजनौर (न कि जिला बरेली) में इस अवधि में श्रमिक हड़तालें हुईं ।

इसमें कहीं भी गोलियां नहीं चलीं ।

सहकारिता मन्त्री का नैशनल हायर सेकेन्डरी स्कूल, रुदौली में पधारना

*३५--श्री चन्द्रकुमार (जिला बाराबंकी)--

क्या यह सही है, कि १८/१९ मई की रात्रि में श्री गंगा भक्त सिंह, सहकारिता मंत्री 'नैशनल हायर सेकेन्डरी स्कूल' रुदौली (बाराबंकी) पहुंचे और वहां उन्होंने रात्रि में ताला खुलवाया और उस समय उनके साथ काफी संख्या में राष्ट्रीय स्वंयसेवक और जनसंघ के भूतपूर्व एम०एल०ए० उनके साथ थे ? क्या यह सही है कि उन्होंने वहां चौकीदार को कालेज के तमाम रिकार्ड देने के लिये जोर डाला और स्कूल को सील बन्द करने का आदेश दिया ?

श्री चरणसिंह--

सहकारिता मंत्री सीनियर आडीटर के सा १८/१९ मई, १९६७ को एक जांच के संबंध में श्री शमशेर बहादुर सक्सेना से मिलने रुदौली के नैशनल हायर सेकेन्डरी स्कूल में गये थे जहां वह रहते हैं । उनके साथ भूतपूर्व विधायक श्री मुकुट बिहारी के अलावा कोई राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के कार्यकर्ता नहीं थे । उक्त स्कूल का ताला खुलवाने और चौकीदारी से रिकार्ड लेने या स्कूल को सील बन्द करने का उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया ।

लखनऊ में श्री बंशीधर पांडेय का मकान खाली होना

*३६—श्री रामायण राय तथा श्री मदन मोहन मिश्र (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि दिनांक १० मई, १९६७ को १० बजे दिन में ९ नम्बर त्रिलोकी नाथ मार्ग, लखनऊ पर स्थित मकान में उप मंत्री श्री ओम प्रकाश सिंह बहुत से आदमियों को लेकर घुस गये और उस मकान से श्री बंशीधर पांडेय, भूतपूर्व सभा सचिव के पांच वर्षीय बालक तथा उनके सामान के साथ बाहर निकाल कर सड़क पर फेंक दिया गया ?

श्री चरणसिंह—

मकान नम्बर ९ त्रिलोकीनाथ मार्ग को २४-४-६७ को राज्य सम्पत्ति अधिकारी ने उप मंत्री श्री ओम प्रकाश सिंह के नाम एलाट किया था। श्री ओम प्रकाश सिंह के कई बार मकान खाली करने के लिये कहने पर अन्त में श्री बंशीधर पांडे ने ९ मई, १९६७ को मकान खाली करने का आश्वसन दिया। अतः १० मई, १९६७ को श्री ओम प्रकाश सिंह ने मकान में प्रवेश किया और उसी दिन शाम तक श्री बंशीधर पांडे ने अपना सामान वहां से हटा लिया। श्री बंशीधर पांडे के किसी संबंधी को या उनके सामान को सड़क पर नहीं फेंका गया।

मंत्रि परिषद् में भूतपूर्व सरकारी कर्मचारी

*३७—श्री रामायण राय तथा श्री हरी दत्त कांडपाल (जिला अल्मोड़ा)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रि परिषद् में क्या ऐसे कोई सदस्य हैं जिन्हें राजकीय सेवाओं से त्याग पत्र देना पड़ा हो अथवा निष्कासित किये गये हों ?

श्री चरणसिंह—

परिवहन मंत्री जी और स्वायत्त शासन मंत्री जी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी रह चुके हैं। दोनों ने नौकरी छोड़ दी थी।

लोनी कटरा थाने में अफीम की चोरी

*३८—श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बाराबंकी में तहसील हैदरगढ़, थाना लोनी कटरा के अन्तर्गत ग्राम मोहम्मदपुर में श्री रमाकान्त मिश्र के मकान में दिनांक १२ अप्रैल, १९६७ को रात में अफीम की चोरी हुई जिसकी रिपोर्ट श्री रमाकान्त द्वारा थाने में की गई ? यदि हां, तो कितनी अफीम चोरों से बरामद की गई ?

श्री चरणसिंह—

ग्राम मुहम्मदपुर, थाना लोनी कटरा, जिला बाराबंकी में श्री रमाकांत मिश्र के मकान में दिनांक १२-४-६७ की रात में नहीं बल्कि सुबह लगभग ५-३० बजे अफीम की चोरी हुई जिसकी सूचना श्री मिश्र ने लिखित रूप से १२-४-६७ को ही थाना लोनी कटरा में दी। चोरों से करीब १४ सेर अफीम बादी द्वारा गांव के लोगों की सहायता से बरामद की गई।

*३९—श्री गुप्तार सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त अफीम जो चोरों से बरामद हुई उसे सील मुहरबन्द करके पुलिस ने मालखाने में जमा किया या नहीं ? यदि सील नहीं किया, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—

जो अफीम चोरों के पास से बरामद हुई उसे सील मोहर बन्द करके पुलिस ने मालखाने में जमा किया।

*४०—श्री अशरफ अली खां—

[२० जुलाई, १९६७ के लिये स्थगित किया गया।]

*४१—श्री वसी नकवी तथा श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

[२० जुलाई, १९६७ के लिये स्थगित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

पर्वतीय राज्य की स्थापना की मांग

१—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरियाना के राज्यमंत्री श्री मुल्तान सिंह ने उनकी जानकारी में केन्द्रीय सरकार से यह मांग किया है कि उत्तर प्रदेश में दो प्रमण्डल आगरा तथा मेरठ हरियाना राज्य से मिला दिये जायं ?

श्री चरण सिंह—

जी नहीं। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है।

२—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में इस विषय पर अनेक जन सभायें अभी हाल में हो चुकी हैं, जिनमें मांग की गई है कि वहां अलग एक पर्वतीय राज्य की स्थापना की जाय ? यदि हां, तो उस विषय में सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह—

पिछले साल ऐसी जन सभाओं के होने की सूचना आई थी जिनमें कुछ पर्वतीय जिलों को लेकर एक पृथक राज्य की स्थापना किये जाने के प्रस्ताव भी किये गये थे। इस मामले में ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई जिसमें राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की आवश्यकता पड़ती। यह विषय केन्द्रीय सरकार से संबंध रखता है।

चीनी उत्पादन

३—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि १९६६-६७ में प्रदेश में कितनी चीनी बनाने का लक्ष्य था और कुल कितनी चीनी बनाई गई ?

श्री प्रभुनारायणसिंह—

केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष १९६६-६७ के लिये प्रदेश में चीनी उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। उक्त वर्ष में प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा ७.११ लाख मीट्रिक टन चीनी बनाई गई।

थानाध्यक्ष, फतेहगंज के विरुद्ध शिकायत

४—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या गृह मंत्री को पता है कि जिला बरेली, थाना फतेहगंज पूर्वी के ग्राम नगरियां खुर्द, शिवराजपुर, मानपुर, बडिया आदि ग्रामों में जब से मौजूदा दरोगा आये हैं तब से अशांति का वातावरण पैदा हो गया है और अनेक घटनायें तथा वारदातें उपरोक्त ग्रामों में होती हैं जन जीवन को बहुत खतरा पैदा हो गया है ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या तुरन्त कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री चरणसिंह—

ग्राम नगरिया खुर्द, थाना फतेहगंज में नहीं बल्कि थाना जैतीपुर जिला शाहजहांपुर में लगता है। थाना फतेहगंज पूर्वी में १२-५-६७ के पूर्व श्री नत्थी प्रसाद, थानाध्यक्ष तैनात थे।

उनके समय में थाना फतेहगंज पूर्वी में जरायम की स्थिति संतोषजनक रही। इस अवधि में ग्राम शिवराजपुर, मानपुर, बड़िया आदि क्षेत्रों में अपराधों में वृद्धि नहीं हुई। १२-५-६७ से श्री आर० पी० सिंह थानाध्यक्ष हैं। इस क्षेत्र में न तो कोई अशांति का वातावरण ही है और न जन-जीवन को कोई खतरा है। अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

५—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या गृह मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, १९६६ से अप्रैल, १९६७ के बीच उपरोक्त ग्रामों में दंगे फसाद आदि की कितनी रिपोर्टस् थाना फतेहगंज पूर्वी में दर्ज हुयीं और जनहित में तथा सुरक्षा हेतु उन पर स्थानीय पुलिस ने क्या कार्यवाही की और रिपोर्ट भारतीय दंड विधान की कौन-कौन सी धारा के अन्तर्गत दर्ज की गई ?

श्री चरणसिंह—

उक्त ग्रामों के क्षेत्र में नवम्बर, १९६६ से अप्रैल, १९६७ की अवधि में कुल ४ दस्तन्दाजी अपराध होने की सूचना पुलिस को मिली, जिनके संबंध में धारा (१) ३०७ (२) धारा ३२६/३२३/५०६ (३) धारा ४५७ (४) धारा ३७९ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमें कायम किये गये थे। इन सब मामलों में जांच की गई। ३ मामले लापता रहे धारा ३२६/३२३/५०६ के मुकदमें में चार्जशीट लगाई गई है। इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था के लिये ७-११-१९६६ को ग्राम मानपुर में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध धारा १०७/११७ के अन्तर्गत कार्यवाही की गई और मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है। इसी प्रकार ग्राम शिवराजपुर में दिनांक २५-४-६७ को अन्य दो पार्टियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

मलिहाबाद तहसील में कथित डकैतियां

६—श्री राधेश्याम कपूर (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १४, १५ फरवरी, १९६७ की रात्रि को श्री रामसहाय, मौजा हुसैना तथा भगवानदीन, मौजा जाजमऊल और ६ मार्च, १९६७ को मिश्री लाल, मौजा बरगदी, ७ मार्च, १९६७ को रहीमाबाद तथा लालपुर ग्राम (मलिहाबाद तहसील) जिला लखनऊ में डकैतियां पड़ीं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—

उक्त ग्रामों में प्रश्न में उल्लिखित तिथियों में डकैतियां पड़ने की कोई सूचना पुलिस को प्राप्त नहीं हुई और इस संबंध में कोई अपराध अंकित नहीं किया गया।

चमोली जिले में पुलों का निर्माण

७—श्री योगेश्वर प्रसाद—

क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चमोली जिले के अन्तर्गत (१) आटागाड़ में हालघाट, (२) रामगंगा, (३) स्यूणीगाड़, (४) रवनसरगाड़, (५) बगड़ी गाड़, (६) कैलनदी व हरमल चोटिंग मार्ग में पिण्डर नदी पर उपरोक्त भिन्न-भिन्न स्थान में पुलों के निर्माण कार्य क्यों रुके पड़े हैं तथा उपरोक्त पुल कब तक तैयार हो जावेंगे ?

श्री चरणसिंह—

पुलों के विषय में सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३४० पर)

मुरादाबाद जिले में पावर क्रशर के लाइसेंस

८—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या उद्योग मंत्री बतायेंगे कि सन् १९६६ में पूरे प्रदेश में कितने आदमियों को नये क्रशर के लाइसेंस दिये गये और उसमें मुरादाबाद जिले के किन-किन आदमियों को नये लाइसेंस दिये गये ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

प्राप्त सूचनानुसार वर्ष १९६६–६७ में पूरे प्रदेश में ८१ व्यक्तियों अर्थात् सुरक्षित क्षेत्र में ९ और मुक्त क्षेत्र (फ्री एरियाज) में ७२ व्यक्तियों को नये लाईसेन्स पावर क्रेशर के लिये दिये गये हैं इसमें से मुरादाबाद जिले की अमरोहा मिल के सुरक्षित क्षेत्र में तथा उक्त जिले की अन्तर्गत फ्री एरियाज में जिन व्यक्तियों को नये लाइसेन्स दिये गये उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३४१–३४२ पर)

चमोली जिले में देवल कोट का पुल

९—श्री योगेवर प्रसाद—

क्या मुख्य मंत्री जांच करवाकर यह बताने की कृपा करेंगे कि चमोली जिले के अन्तर्गत मल्लाचदिपुर देवल कोट में जिस पुल का निर्माण कार्य हो रहा है उसके पिलर के नीचे की दीवार उखड़ती व उजड़ती जा रहीं है ? यदि हां तो क्या मुख्य मंत्री ऐसी कार्यवाही और व्यवस्था करवाने की कृपा करेंगे कि तुरन्त इस पुल की रक्षा हो सके?

श्री चरणसिंह —

मल्ला चदिपुर देवल कोट पर पुल का पिलर सुरक्षित है और इस पुल को किसी प्रकार के खतरे की सम्भावना नहीं है।

१०—श्री योगेश्वर प्रसाद—

[३सरे सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

चमोली जिले में कड़ाकोट रेंस चौपतागाड़ का पुल

११—श्री योगेश्वर प्रसाद—

क्या सरकार चमोली जिले के कड़ाकोट रेस चोपता गाड़ (नाले) के पुल का निर्माण शीघ्र करवाने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह—

चमोली जिले के कड़ाकोट रेंस चौपता गाड़ के पुल का निर्माण हो रहा है। इस निर्माण कार्य के ३१ मार्च, १९६८ तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

बाजपुर सहकारी चीनी मिल से गन मेटल गायब होना

१२—श्री रामदत्त —

क्या उद्योग मन्त्री इस तथ्य की जांच कराने की कृपा करेंगे कि विगत १९६६–६७ वर्ष के क्रशिंग सीजन में बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री, नैनी ताल के स्टोर से १८० किलोग्राम गन मेटल गायब हो गया है ? यदि हां, तो इस घटना के लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री प्रभुनारायणसिंह—

प्राप्त सूचनानुसार निर्दिष्ट सीजन में उक्त मिल के स्टोर्स से लगभग १८० किलोग्राम गन मेटल गायब हो गया था। अभी पुलिस द्वारा मामले की तहकीकात की जा रही है।

१३–१४—श्री योगेश्वर प्रसाद—

[५वें सोमवार के लिए प्रश्न संख्या १–२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

चतुर्थ योजना में केंद्रीय सहायता

१५—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ योजना में कितनी सहायता स्टेट सरकार को केन्द्र से मिली है ?

श्री रामस्वरूप वर्मा—

योजना आयोग ने अक्तूबर १९६६ में राज्य सरकार की चतुर्थ योजना पर कुल परिव्यय अस्थाई रूप से ९२६ करोड़ रुपया नियत किया था जिसमें केन्द्रीय सहायता का अनुमान ४९५ करोड़ रुपया रखा गया था। तब से केन्द्र तथा राज्य सरकारों के वित्तीय संसाधनों में परिवर्तन हो जाने से चतुर्थ योजना के परिव्यय तथा केन्द्रीय सहायता की धनराशि के निर्धारण के प्रश्न पर आयोग द्वारा पुर्नविचार किया जायगा।

१६—श्री नेकराम शर्मा—

[४ जलाई, १९६७ को प्रश्न संख्या ३ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चका है।]

कचौरा में बाबू तेली के घर डकैती

१७—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कस्बा कचौरा, थाना सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) में अप्रैल, १९६७ को श्री बाबू तेली के घर डकैती पड़ी थी ? यदि हां, तो पुलिस उसमें क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चरणसिंह—

जी हां। इस संबंध में धारा ३९५/३९७ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया और ९ अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट प्रेषित की गई। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयत्न किया जा रहा है।

१८—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कितनी डकैतियां इन दस सालों में इस कस्बे में हो चुकी हैं ?

श्री चरणसिंह—

इस कस्बे में १९५८ से १९६७ (१९-६-६७) तक केवल ३ डकैतियां हुई हैं।

१९—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार कचौरा कस्बे में पुलिस चौकी कायम करने पर विचार कर रही है ?

श्री चरण सिंह—

ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मैं आपका ध्यान प्रश्न ३२ से लेकर ३७ तक की ओर आकर्षित करता हूं। इनमें एक प्रश्न तो मंत्रि परिषद के गठन के बारे में, दूसरा डिप्टी मिनिस्टर ने क्या ज्यादती की, तीसरा सहकारिता मंत्री के व्यवहार के....

श्री अध्यक्ष---

आपको कहना क्या है, आपका प्वाइंट क्या है ?

श्री रामायण राय---

प्रश्नों को प्रायोरिटी देते समय आपके कार्यालय के जो नियम हैं मेरा यह निश्चित विचार है कि उनका उल्लंघन करके इन प्रश्नों को ऐसे स्थान पर रखा गया है कि ये समय से सदन के अन्दर विचारार्थ न आ सकें। आप अगर स्वयं संतुष्ट हों तो ठीक है वरना मेरा आपसे आग्रह है कि इसकी जांच करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष---

यह बड़ी नाजुक बात है। अच्छा होता यदि सदन में कहने से पहले माननीय सदस्य ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से जानकारी हासिल करली होती, तभी इतने बड़े आक्षेप का यहां लगाना उचित हो सकता था। मैं समझता हूं कि उनकी बात किसी भ्रान्ति पर निर्भर है। लेकिन मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वह कृपा करके मेरे यहां पधारें और अगर उनकी शंका सही होगी तो मैं सदन में खेद प्रकट करूंगा और संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करूंगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

मंत्री जी के हस्ताक्षर की ७ पेज की सूची मेरे प्रश्नों के उत्तर में मेरे पास आई है। तिवारी जी के प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा कि सूचना एकत्रित की जा रही है। उन्होंने जानबूझकर सच्चाई को छिपाया है। इसलिये मैं उनके विरुद्ध ब्रीच आफ प्रिविलेज की नोटिस देता हूं।

श्री अध्यक्ष---

आपको नियमों के अनुसार नोटिस देने का अधिकार है। लेकिन इसके बारे में मैं कुछ कह चुका हूं। मैं चाहता हूं कि आप नोटिस देने से पहले कृपया उसका भी अध्ययन कर लें।

श्री बिपिन बिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम ४४ की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि प्रश्न एक सदस्य द्वारा किसी दूसरे असरकारी सदस्य को संबोधित किया जा सकेगा। आपने अभी कहा कि किसी प्रश्नकर्ता से प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं....।

श्री अध्यक्ष---

मैं आपका बड़ा अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे यह बतला दिया। मेरा मतलब यह था कि माननीय गेंदा सिंह जी ने तत्काल, बिना किसी पूर्व सूचना के, प्रश्न करने की बात की, तो इस प्रकार एक सदस्य दूसरे माननीय सदस्य से प्रश्न नहीं कर सकते हैं। उसकी प्रक्रिया है। जैसे उन्होंने सवाल किया वैसे नहीं हो सकता। मेरा मतलब यह नहीं है कि कोई कर ही नहीं सकता।

एक सदस्य---

अध्यक्ष के द्वारा कर सकता है।

श्री अध्यक्ष---

नहीं कर सकता है।

कतिपय विषय

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)---

श्रीमन, इस सदन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों की संख्या बहुत कम है और जो हैं भी वे सब अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं जिसके कारण आपको कहना पड़ता है कि दूसरे से बोलें। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि कृपा करके आप उसको देख लें। जो हैं वे ठीक काम करें और कुछ और बढ़ा दिये जायं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय हरीश कुमार जी जो बात कह रहे हैं वह ठीक है। इस बात के मैंने आदेश कर दिये हैं कि प्रतिदिन सुबह इनको चेक कर लिया जाया करे तथा कुछ ध्वनि विस्तारक और भी बढ़ा दिये जायं क्योंकि कुछ माननीय सदस्यों को असुविधा होती है, मैं स्वयं इसका प्रयत्न कर रहा हूं।

श्री शब्बीर हसन (जिला फतेहपुर)--

श्रीमन्, कल मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न था...

श्री अध्यक्ष--

अगर आपने कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाया है तो आप मुझसे मिल लें, सदन का समय इन कामों के लिये नहीं है।

श्री इन्द्रपाल (जिला बांदा)--

श्रीमन, मैं एक लोक महत्व के प्रश्न की सूचना देना चाहता हूं। हमारे यहां तराई भाबर में.....

श्री अध्यक्ष--

इस तरह से कोई सूचना नहीं दी जा सकती। आप नियमों के अनुसार दीजिये।

सहकारी बैंकों में नामांकन के सम्बन्ध में कथित गलत सूचना देने के सम्बन्ध में सर्व श्री कृष्णानन्दराय और लक्ष्मीरमण आचार्य के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

कल चार माननीय सदस्यों ने एक विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना भेजी थी। उस पर मैंने कल यह कहा था कि मैं इस संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। उस जानकारी में, एक जानकारी मैं यह आवश्यक समझता था कि माननीय कृष्णानन्द राय और लक्ष्मीरमण आचार्य ने क्या स्पेसीफिक शब्द कहे थे जिनके ऊपर आपत्ति हुई थी। मैंने उनको कार्यवाही में देखा। इस संबंध में मैंने मंत्री जी से नामांकन की पूरी लिस्ट भी चाही थी। मंत्री महोदय का कहना है कि पूरी लिस्ट इतनी जल्दी नहीं मिल सकती। ४-५ आवश्यक नामों के बारे में मैंने उनसे जानकारी हासिल कर ली। इस संबंध में मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि आम तौर पर इस विषय में मैं लोगों को नहीं सुनना चाहता। जिन लोगों को यह आपत्ति है और विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है, वे मुझे संक्षेप में बतायेंगे। उसके बाद मैं माननीय मंत्री जी को संक्षेप में सुन लूंगा। मैं चाहता हूं कि ४-५ मिनट में यह सब समाप्त हो जाय क्योंकि इस विषय में चर्चा एक बार नहीं, इसी सप्ताह में कई बार हो चुकी है।

श्री रमाशंकर अग्रवाल (जिला आगरा)--

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में सदस्यों के समक्ष बार बार माननीय कृष्णानन्द राय जी तथा लक्ष्मी रमण आचार्य जी ने यह कहा है कि माननीय सहकारिता मंत्री ने सहकारिता विभाग में केवल उन्हीं लोगों का चयन किया है, जो जनसंघ के सदस्य हैं। तो किसी दल का सदस्य होने की दृष्टि से या किसी दल से सम्बन्धित होने की दृष्टि से यह नामांकन नहीं किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष---

मैं एक बात कहूं कि यह सब मैं कल ही पढ़ कर सुना चुका हूं इसलिये आप को जो वैधानिक बात कहनी है वह कहें, भाषण और केवल एक ही बात कहने में अन्तर है।

श्री रमाशंकर अग्रवाल---

मेरा जो प्रस्ताव है उसमें मैंने निश्चित सूचना दी है। लेकिन जो नाम हैं उनके सम्बन्ध में मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि श्री वीरेन्द्र स्वरूप जो बैंक के संचालक चुने गये हैं और वह सिकन्दराबाद नगरपालिका के चेयरमैन हैं, उनका सम्बन्ध पी० एस० पी० से रहा है, न वह जनसंघ के कभी मेम्बर रहे हैं और न अब हैं। जहां तक गया प्रसाद सिंह जी का सम्बन्ध है जिनका कि नामांकन हुआ है वह भी हमारे एक्स एम० एल० ए० हैं उनको सभी जानते हैं; लेकिन इस तरह की बात कह कर जानबूझ कर सदन को गुमराह करने की कोशिश की गई है। मालूम यह होता है कि हमारा जो नियमावली का नियम ६३ है, उसमें कुछ मिसप्रिन्ट हुआ मालूम होता है वर्ना जो भाषा उसमें लिखी है...

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)---

मेरी वैधानिक आपत्ति है...

श्री रमाशंकर अग्रवाल---

मैं भी तो वैधानिक आपत्ति पर ही बोल रहा हूं। तो प्राविजो में नियम ६३ के यह लिखा हुआ है कि.....

श्री अब्दुल मुईज खां---

आपकी वैधानिक आपत्ति नहीं है, आपके कहने पर मेरी वैधानिक आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष---

श्री अब्दुल मुईज खां साहब ठीक कह रहे हैं। वह व्यवस्था चाहते हैं, आप वैधानिक आपत्ति पर नहीं बोल रहे हैं, आप ही चूंकि विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना है आप उसको समझा रहे हैं।

श्री अब्दुल मुईज खां---

अध्यक्ष जी, मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि कल हमारे साथी ने जो नियम ६३ को कोट किया, उसमें मेरी समझ में कुछ मिसप्रिन्ट है। नियम ६३ की आखिरी जो २ लाइनें हैं कि "सदन अध्यक्ष की सम्मति के बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा।" अगर शब्द बिना दोबारा होता तो सवाल नहीं था या अध्यक्ष की 'सम्मति' से होता तब कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसी दशा में अगर 'के' के बजाय 'से' हो तो ठीक हो जायगा।

श्री अध्यक्ष---

ठीक हो गया, इशारा काफी है। श्री रमाशंकर जी भी इसी बिन्दु पर आ रहे थे। मैं बड़ा आभारी हूं श्री अब्दुल मुईज खां का और श्री रमा शंकर जी का भी कि उन्होंने मेरा ध्यान दिलाया। मैंने भी नियमों के सम्बन्ध में जो मूल कार्यवाही थी उसको देखने की कोशिश की तो यह साफ मालूम हो गया कि उसमें यही है कि सदन अध्यक्ष की सम्मति 'से' बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा, तो आप दोनों का ही कहना ठीक है। 'के' से यहां कोई अर्थ नहीं निकलता है और कानून तो एक कामनसेन्स के आधार पर ही बना है और 'के' से कोई सेन्स नहीं निकलता, वह तो बिलकुल विपरीत हो जाता है। मैंने दूसरे संस्करण में शीघ्र इसे संशोधित करने का आदेश दे दिया है और इसका शुद्धिकरण भी निकलवा दिया है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

आपने तो 'से' के अनुसार ही काम किया है।

श्री रमा शंकर अग्रवाल—

अब मैं अपने प्रस्ताव की ग्राह्यता के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। नियम ६५ में ग्राह्यता की शर्तें दी गई हैं। पहली शर्त तो यह है कि ऐसा प्रश्न किसी हाल ही में घटित निश्चित विषय तक निबद्ध हो, तो इसके अनुसार यह घटना हाल की ही है और इसका विषय भी निश्चित है। उनका आरोप यह है कि किसी भी सदस्य का नामांकन नहीं किया गया है, जो जनसंघ का सदस्य नहीं है। लेकिन ऐसे सदस्य हैं जो जनसंघ के सदस्य नहीं हैं और उनका नामांकन हुआ है। दूसरी बात यह है कि इस मामले में चूंकि सदन के सामने जानबूझ कर गलत बयानी की गयी है, इसलिये सदन का हस्तक्षेप आवश्यक है। इसलिए, श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव ग्राह्य है और निश्चित है। आपसे प्रार्थना है कि इसको ग्राह्य माना जाय।

*श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, यह जो विशेषाधिकार का प्रश्न आपके सामने है, आपने कल भी इस पर अपने विचार व्यक्त किये थे। उस वक्त आपने फरमाया था कि माननीय सहकारिता मंत्री यदि कोई सूची उन व्यक्तियों की दे दें, जिनका नामांकन किया गया है तो आपको ज्यादा आसानी होगी। आक्षेप यह है कि जनसंघ के मेम्बर्स के अलावा और किसी पार्टी के मेम्बर्स का नामांकन नहीं किया गया है। मान लीजिये कि अगर ६००, ७०० या ५०० व्यक्तियों में से जिनका नामांकन किया गया है उन्होंने ४ या ५ नाम बताये हों जो दूसरी पार्टियों के हों और ९८ या ९९ प्रतिशत जनसंघ के आदमी हों तो जिन लोगों ने यह आक्षेप किया है कि केवल जनसंघ के लोगों को ही नामांकन किया गया है, उनका कहना सही होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि सहकारिता मंत्री का यह फर्ज होगा कि एक नामों की सूची जिनका विभिन्न संस्थाओं में नामांकन किया गया है, उसको आपके सामने पेश करें और २ या ४ की बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन अगर ९८ या ९७ आदमी उसमें जनसंघ के होंगे तो मेरे साथी की बात सही है।

श्रीमन्, मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि जिनके खिलाफ माननीय कृष्णानन्द राय जी ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है और जिन्होंने उनके खिलाफ उठाया है, दोनों को विशेषाधिकार समिति के समक्ष भेज दिया जाय और जो भी तथ्य वे चाहेंगे वे मंगा लेंगे तथा फैसला कर देंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसको आप स्वीकार करके प्रिविलेज कमेटी को भेज दें।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

मेरा आग्रह यह है कि मैंने दोनों पक्षों की ओर से एक एक आदमी को सुन लिया है। इसके सम्बन्ध में सारे पहलू आ चुके हैं।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे तो कुछ समय अवश्य मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

हां, आपको समय अवश्य मिलेगा क्योंकि इसमें आप भी तो मुल्जिम हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

श्रीमन्, वैसे तो इस बहस का अन्त ही नहीं होगा। इसके सम्बन्ध में आपकी कुछ रूलिंग यहां पर हो चुकी हैं और मैं उनके सम्बन्ध में अधिक चर्चा नहीं करना चाहता हूं। केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां तक मेरा प्रश्न है, मुझे जहां तक स्मरण है मैं कुछ निश्चय के साथ इस चीज को कहता हूं कि मैंने खुद इस प्रकार की बात नहीं कही। मैंने केवल इतना ही कहा था कि यदि सदन को गुमराह करने की बात हम करें तो यह बात गलत है और सही अगर है तो उसको जानने के लिये, उसकी जांच के लिये उस के सम्बन्ध में अवमान के सम्बन्ध में कोई प्रक्रिया सदन के सामने होनी चाहिये। मैंने इतना ही कहा था। इसके अतिरिक्त मैंने कुछ नहीं कहा था। जहां तक मेरा प्रश्न है कल भी मैंने इसकी सूचना दी थी। श्री रमाशंकर अग्रवाल और श्री गंगवार जी ने, आज भी, मुझे दुःख हुआ, क्योंकि ऐसा मालूम होता है कि इस प्रकार के ज्ञान को लेकर वे यहां पर अवमान का प्रश्न दें तो कठिन समस्या हो जायगी। माननीय रमा शंकर जी ने आज भी कहा कि मैंने बार-बार इस चीज को कहा था। मेरा खयाल है कि मैंने कभी नहीं कहा और वैसे ४ जुलाई की कार्यवाही आपके सामने मौजूद है, आप देख सकते हैं। यह प्रश्न एक लोक महत्व का प्रश्न है, जनतंत्रीय प्रणाली से संबंधित उस के प्राण को जीवित रखने का प्रश्न है और माननीय मंत्री जी ने अगर ऐसा कार्य किया है जैसा सदन में कहा गया है, तो मैं भी कहना चाहता हूं कि चाहे मैं भी दोषी हूं अवमान का, लेकिन इस प्रश्न को जरूर आप प्रिविलेज कमेटी को भेज दें और वहां पर मालूम हो जायगा कि इस सदन की मान्यताओं के प्रति कितना घोर अन्याय किया गया है यदि उन्होंने ऐसा किया है। यदि यह बात सही है कि मैंने सचमुच ऐसा कभी नहीं कहा था तो मेरे प्रति, इस प्रकार अवमान का प्रश्न उठा कर एक प्रकार का घोर अन्याय किया गया है और मैं प्रस्ताव करूंगा कि धारा ७४ के अन्तर्गत इस सदन को कार्यवाही करनी चाहिये और माननीय गंगवार तथा रमा शंकर जी अग्रवाल के विरुद्ध कार्यवाही कर के उन्हें दंडित किया जाय।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, आचार्य जी तो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा नहीं लिहाजा इनके प्रश्न को भेजने का प्रश्न नहीं पैदा होता है। लेकिन मैं तो अब भी इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि जो भी विशेषाधिकार का प्रश्न मेरे विरुद्ध लाया गया है, उसको विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया जाय। प्रार्थना केवल यही है कि एक ही तरह का प्रश्न विशेषाधिकार समिति विचार करेगी। मैं चाहता हूं कि मैंने जो भेजा था और माननीय सदस्य ने जो मेरे विरुद्ध भेजा है उन दोनों पर विचार हो जाय। फर्क उसमें हो जायगा कि एक को आप स्वीकार कर लें और दूसरे को अस्वीकार कर दें। इसलिये मैं चाहूंगा कि जो माननीय गंगा भक्त सिंह के विरुद्ध है उसको भी आप विशेषाधिकार समिति को भेज दें और मेरे विरुद्ध जो है उसको भी भेज दें।

माननीय रमा शंकर अग्रवाल जी जो प्रिविलेज का प्रश्न लाये हैं श्रीमन्, वह कल ही पी० सी० एफ० में नामांकित हुये हैं वह खुद अपराधी हैं।

श्री अध्यक्ष—

जनसंघ के व्यक्ति के लिये नामांकित होना अपराध नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, मेरा मतलब किसी अपराध से नहीं है, बल्कि तात्पर्य यही था कि वह स्वयं नामीनेट हुए हैं।

श्री रमाशंकर अग्रवाल—

नामीनेट होना क्या अपराध है, श्रीमन्? मैंने इकोनोमिक्स में एम० ए० किया है, अगर मुझे पी० सी० एफ० में नामीनेट किया गया तो क्या अपराध मैंने किया है?

श्री अध्यक्ष—

अच्छा होता अगर आप न खड़े होते, क्योंकि माननीय कृष्णानन्द राय ने स्वयं उस शब्द को वापस ले लिया और आप के खड़े होने से पहले मैंने भी यह कहा कि किसी पार्टी के आदमी का नामांकन होना न कोई अपराध है और न अनौचित्य है उसमें। जो जनसेवी हैं वे किसी न किसी पार्टी के होंगे। अब अगर शिकायत हो सकती है तो मात्रा के ऊपर हो सकती है।

कल, माननीय मुरलीधर पांडेय, माननीय रमाशंकर अग्रवाल, माननीय मलिखान सिंह और माननीय रघुनाथ सिंह ने मेरे पास विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना के प्रश्न भेजे माननीय कृष्णानन्द राय और माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य के विरुद्ध। उन्होंने उसमें डेफीनिटली यह एसर्ट किया कि माननीय कृष्णानन्द राय और माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य ने यह घोषणा की थी कि माननीय सहकारिता मंत्री ने सहकारी बैंकों में जनसंघ के सदस्यों के अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति का नामांकन कदापि नहीं किया। वह उनका आरोप है। मैंने प्रोसीडिंग्स को देखा। प्रोसीडिंग्स को देखने के बाद मुझे यह मिला कि माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य ने यद्यपि बड़े जोर से इस बात को कहा था कि माननीय सहकारिता मंत्री ने जान बूझ कर सदन को गुमराह किया, वे एक ऊंचे वकील हैं, उन्होंने कहीं यह आरोप नहीं लगाया कि जनसंघ के अतिरिक्त किसी और व्यक्ति का नामांकन नहीं हुआ या जनसंघ के ही व्यक्तियों का नामांकन हुआ। अब माननीय कृष्णानन्द राय जी का जो कथन है, वह इससे ज्यादा पोजिटिव है। उन्होंने कहा है—मैं डेफिनिटली एसर्ट करता हूं, पूरी जिम्मेवारी के साथ एसर्ट करता हूं कि केवल जनसंघ के ही आदमी प्रदेश के सारे बैंकों में नामांकित किये गये। तो इसके माने यह हुए कि जहां तक माननीय लक्ष्मी रमण आचार्य जी के बारे में जो निश्चित आरोप लगाया है कि उन्होंने सदन में यह कहा—वह तो निराधार है।

अब माननीय कृष्णानन्द राय जी ने यह अवश्य कहा कि केवल जनसंघ के व्यक्तियों का नामांकन किया गया, यह नहीं कहा कि किसी और का नहीं किया गया और इस तरह से दोनों बातें एक सी ही हो जाती हैं। मेरे सामने ऐसे प्रश्न और भी इसी आधार पर आये हैं। माननीय सहकारिता मंत्री के विरुद्ध दो दिन पहले ही एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न आया, माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध भी विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न आया, तो उस समय भी यह बात आयी थी। इसी विषय पर माननीय सहकारिता मंत्री ने कहा था कि हमने जनसंघ के आदमियों का नामांकन नहीं किया है जब कि सदन में प्रश्नों के सिलसिले में जो तथ्य सामने आये उससे प्रत्यक्ष है कि जनसंघ के आदमियों का नामांकन हुआ और कहा गया कि जान बूझ कर उन्होंने सदन की अवहेलना की। मैंने उस समय भी यह व्यवस्था दी कि अगर किसी मंत्री ने या किसी माननीय सदस्य ने एक सूचना दी और दूसरे सदस्य ने दूसरी सूचना दी तो यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं हो सकता। इसके बारे में मैंने विस्तार से कहा था। माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध भी विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न आया था और आज भी ठीक वही स्थिति है। माननीय सदस्य ने बतलाया कि ५ आदमी ऐसे हैं जो नामांकित व्यक्ति हैं जो जनसंघ के नहीं है। मैंने जानने की कोशिश की कि मुझे पूरी नामांकित व्यक्तियों की संख्या मालूम हो जाय, लेकिन माननीय मंत्री जी इतने थोड़े समय में यह लिस्ट मेरे पास नहीं भेज सके और न टोटल ही बतलाया। तो यह प्रत्यक्ष है कि वह तो बड़ी संख्या रही होगी। अगर काफी बड़ी संख्या में से अब तक यह सूचना आयी कि ५ ऐसे व्यक्ति है जो जनसंघ के नहीं हैं तो अब मेरे सामने केवल दो बातें रह जाती हैं। एक तो यह कि मैं फिर जानकारी करूं, छानबीन करूं या दूसरी माननीय मंत्री जी ने या माननीय सदस्य ने जो कुछ यहां कहा है उसको मान लूं कि यह बिलकुल ठीक है। क्योंकि अब तक की परम्परा यह रही है कि इस सदन में माननीय सदस्यों द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है वह ठीक ही कहा जाता है, उसे ठीक मान लूं। मान लिया जाय कि जनसंघ के अलावा ४–५ और दल के व्यक्तियों का नामांकन हुआ, सब जनसंघ का ही नहीं हुआ, इसलिये

[श्री अध्यक्ष]

यह नहीं कहा जा सकता केवल इसी आधार पर कि माननीय कृष्णानन्द राय की जो सूचना है उसे जानबूझ कर गुमराह करने के लिये एक हद तक कहा जाय, वह सर्वथा निराधार या अस्पष्ट है।

मेरी कठिनाई और बढ़ जाती है जब इधर से आरोप लगाने वालों की तरफ से कहा जाय कि इसे विशेषाधिकार समिति में भेज दिया जाय और जिनके ऊपर आरोप है वे भी यह कहें कि इसे विशेषाधिकार समिति को अवश्य दे दें। फिर माननीय सदस्यों के मन में यह लग सकता है कि आखिर जब आरोप करने वाला और आरोपित व्यक्ति दोनों यह मांग करते हैं कि इसे विशेषाधिकार समिति में भेज दिया जाय तो मैं क्यों नहीं इस मांग को मान लेता। मैं माननीय सदस्यों को स्पष्ट बतला देना चाहता हूं कि मैं आरोप करने वाले या जिनके खिलाफ आरोप हैं, उनकी बातों पर ध्यान न देकर केवल नियमों पर ध्यान दूंगा। मैंने हाउस आफ कामन्स, पार्लियामेंट, इस विधान सभा की पिछली पूरी प्रक्रिया, मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस व दूसरे अन्य विद्वानों के लेख पढ़े, कभी भी ऐसे विषय में ब्रीच आफ प्रिवलेज नहीं हुआ है। मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं। ऐसे विषय यदि ब्रीच आफ प्रिविलेज में लिये जायं तो चार माननीय सदस्यों ने जो आरोप लगाये हैं उनमें से एक माननीय सदस्य का जहां तक सम्बन्ध है, लक्ष्मी रमण आचार्य का, उनके बारे में जो कहा गया कि उन्होंने कहा है---वह बिलकुल गलत है। माननीय लक्ष्मी-रमण आचार्य ने कहा कि सदन में जनसंघ के ही सारे व्यक्ति नामांकित हुए और बाहर का कोई नहीं हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि एक विशेषाधिकार का प्रश्न उनके विरुद्ध होता। इस तरह से विशेषाधिकार के प्रश्नों का अन्त नहीं होगा और सदन की कार्यवाही असंभव हो जायगी। आज तक के जो पिछले अनुभव हैं वे इस बात के पक्ष में रहे कि ऐसे प्रश्नों पर विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न नहीं होंगे। अब सदन के सामने सर्वश्री लक्ष्मी रमण आचार्य, कृष्णानन्द राय तथा चार माननीय सदस्यों का स्टेटमेंट हैं। कौन कितना गलत है और किसने परदा डालने की कोशिश की है यह सदन स्वयं निर्णय कर सकता है। मैं सदन को कोर्ट आफ इंक्वायरी बनाने को तैयार नहीं हूं और यही अपेक्षित भी है। यही मेरी व्यवस्था इस पर है।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठाना नहीं चाहता और न वह मुनासिब है। मैं सिर्फ इतनी बात जानना चाहता हूं कि आपको यह सूचना दी गयी है कि ५ व्यक्ति जनसंघ के नहीं हैं, मेरा खयाल यह है कि अभी इसकी भी गवेषणा करने की जरूरत पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष---

आचार्य दीपंकर जी, मैं आपका आभारी हूं। मैंने अपनी व्यवस्था देते हुए स्वयं यह कहा था कि इसमें जानकारी की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन अगर मैं यह मान लूं जैसी कि हमारी परम्परा है कि जो माननीय सदस्यों ने कहा वह पूर्णतया सत्य है तब भी उसका यही नतीजा निकलता है।

श्री रमाशंकर अग्रवाल---

क्या माननीय बहुगुणा जी बतलायेंगे कि २० साल में उन्होंने कितने नान-कांग्रेस मैन नामिनेट किये ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय बहुगुणा जी जब मंत्री हों, तब पूछियेगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

मैं सिर्फ पर्सनल एक्सप्लेनेशन में कह रहा हूं। दिक्कत यह है कि मेरे भाई हमारी परछाईं से भी डरते हैं और उनको हमारी परछाई में भी भूत दिखता है। ऐसी ज्यादती हमने कभी नहीं की, जैसी कि आज सहकारिता मंत्री जी कर रहे हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, मैंने प्रारम्भ में यह कहा था कि मेरे विरुद्ध जो आरोप लगाया गया वह निराधार था। मैं इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने यह मांग की थी कि धारा ७४ के अन्तर्गत इसे गौर किया जाय कि इस प्रकार से यदि बिना पढ़े लिखे और बिना देखे कोई भी सदस्य आरोप लगाना शुरू कर दे तो इसका कहीं अन्त नहीं होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई आर्थिक दंड देकर मुझे पुरस्कृत किया जाय, लेकिन जिन सदस्यगण ने निराधार आरोप तो लगा दिया लेकिन कभी सदन की कार्यवाही पढ़ी नहीं, न उसे देखा—तो कम से कम इतना अवश्य किया जाय कि वे खेद प्रकाश करें।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि इस विषय में मैं तो पहले ही कह चुका कि माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य ने ऐसा नहीं कहा जैसा कि बताया गया। उस विषय में मैं सारी बात कह चुका हूं। मैं समझता हूं कि आचार्य जी अब उससे आगे आग्रह नहीं करेंगे।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं और बहुत से माननीय सदस्य भी जानकारी चाहते हैं कि माननीय सहकारिता मंत्री ने जिन महानुभावों को मनोनीत किया है बैंकों में, अगर उसकी सूची सदन के पटल पर रख दें तो . . . .

श्री अध्यक्ष—

देखिये, प्रश्नों का समय ११ से १२ बजे तक होता है और मुझे प्रश्न भेजिये, मैं माननीय मंत्री जी के पास भेज दूंगा।

सदन के कार्यवृत्त में संशोधन

श्री अध्यक्ष—

मैं एक जरा सी सूचना यह दे दूं कि कल माननीय धर्मवीर सिंह जी (मेरठ) बोले थे लेकिन जो हमारे यहां कार्यवृत्त छपता है उसमें कुछ गलती हो गयी। इसमें माननीय रघुवीर सिंह (मैनपुरी) लिख गया। मैंने इसको संशोधित कर दिया और मुझे खेद है कि ऐसी गलती हो गयी। आशा है भविष्य में ऐसा नहीं होगा।

जन कांग्रेस विधायक दल को सदन में मान्यता

श्री अध्यक्ष—

एक मुझे सूचना देनी है माननीय सदन को। मेरे पास जन कांग्रेस विधायक दल की तरफ से एक आवेदन आया था कि चूंकि उनकी संख्या २५ से अधिक हो गयी है इसलिये उसको एक समुदाय या दल के रूप में मान लिया जाय और उसको वह सुविधायें दी जायं जो २५ से अधिक सदस्य वाले दलों को दी जाती हैं। इसकी छानबीन मैंने उन सदस्यों से, जिनके नाम मेरे पास दल के मंत्री ने भेजे हैं, कर ली और करने के बाद जब मैं संतुष्ट हो गया कि उनकी संख्या २६ है तो मैंने उसको एक समुदाय के रूप में स्वीकार कर लिया।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—

अगर आप उन २६ सदस्यों के नाम सदन में पढ़ कर सुना दें, तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है। जन कांग्रेस के जो माननीय मंत्री हैं उन्होंने भी मुझसे यही आग्रह और अनुरोध किया है। उनके नाम हैं—सर्वश्री चौधरी चरण सिंह, जयराम वर्मा, उचितनारायण शर्मा, श्याम लाल यादव, रामनारायण त्रिपाठी, राजबहादुर द्विवेदी, रामचन्द्र आजाद, रामवचन यादव, राजबहादुर यादव, हरीसिंह, रामप्रसाद देशमुख, राजेन्द्र सिंह यादव, राज नारायण सिंह, ओम प्रकाश सिंह, प्रीतम सिंह प्रधान, किशन लाल, युगुल किशोर, रामकिंकर, वीरेन्द्र वर्मा, रामचन्द्र-सिंह, किशन सिंह, अयोध्या प्रसाद, राजाराम यादव, राजाराम, धर्मसिंह, जी० एस० चौधरी, जवाहर लाल यादव। ये २७ नाम मुझे भेजे थे। मैंने इसकी जानकारी की तो श्री राजाराम (बलिया) ने उससे इन्कार कर दिया और दो और सदस्यों के पास से मुझे सूचना नहीं आयी। तो इस तरह से २४ रह गये। उसके बाद श्री सुखदेव (सुल्तानपुर) और श्री श्रीपति मिश्र ने १७ जून, १९६७ को एक सूचना भेजी कि उन्होंने जन कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। तो इस तरह से २६ सदस्य हो गये।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में आप १९६२ से सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष —

पहले से हूं।

श्री नेकराम शर्मा—

उस समय यह प्रश्न उठाया गया था जब रिपब्लिकन पार्टी के रिकग्नीशन का सवाल था कि यहां पर उसको मान्यता दी जाय, तो अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी थी कि वह बाकी आल इंडिया बाडी होनी चाहिये और उसके साथ इतनी संख्या होनी चाहिये तब हम रेकग्नीशन देंगे। आल इंडिया रिपब्लिकन पार्टी ने अपना विधान पेश किया था और संख्या बताई थी, लेकिन इसके बाद भी माननीय अध्यक्ष ने उसको रिकगनीशन नहीं दिया था। तो श्रीमन्, जन कांग्रेस न तो आल इंडिया पार्टी है और न इसका आल इंडिया कांस्टीट्यूशन ही है। यह इसी स्टेट में पैदा हुई है और उस समय जब कि यहां से कांग्रेस के कुछ सदस्य उसमें चले गये हैं। इसलिये केवल संख्या के आधार पर यदि आप रिकगनीशन देंगे तो कल को २०/२५ आदमी उधर जाकर बैठ जायंगे तो उनको भी दे देंगे। आप कृपया यह बताने का कष्ट करें कि आपकी मान्यता के क्या माने हैं, आप उनको सारी सुविधा देंगे या जो दल को रिकगनीशन दिया जाता है, वह आप प्रदान करेंगे, इसको आप स्पष्ट कर दें।

श्री अध्यक्ष—

आपने जो प्रश्न उठाया है वह बड़ा मौलिक है और इस निर्णय को लेते हुये मुझे भी कुछ कठिनाई सामने आई और मुझे अध्ययन करना पड़ा। यह ठीक है कि हमारे सदन में ऐसी परम्परा रही है कि जब किसी दल को मान्यता दी जाय तो उसकी संख्या को जहां २५ न्यूनतम मानने की बात है और आधार रखा है वहां एक बात और थी कि इस दल का कार्यक्रम सदन के अन्दर और बाहर हो। इसके अतिरिक्त एक और आधार था। वह यह था कि उसी आधार पर वह दल निर्वाचन लड़ा हो। जहां तक जन कांग्रेस का संबंध है उसका कार्यक्रम सदन के अन्दर और बाहर है। जैसी मुझे सूचना मिली है और जैसी मैंने छानबीन की और उस आधार पर वह काम कर रहा है। इस बात को मैंने ठीक समझा। किन्तु एक कठिनाई पड़ी कि उसी आधार पर उसने चुनाव लड़ा हो। इसके लिये मैंने यह सोचा कि हमारा अभिप्राय यह है कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, जिस पार्टी का जन्म पिछले चुनाव के बाद ही हुआ हो, उसके चुनाव लड़ने का सवाल तो हो

हो नहीं सकता। अगर आने वाले चुनाव में यह पार्टी जन कांग्रेस के रूप में चुनाव न लड़े तो अगले सत्र में इसको मान्यता न मिले, यह हो सकता है। स्वतंत्र पार्टी जब इस स्थिति में नहीं थी तो पूर्वगामी अध्यक्ष ने तय किया कि यह एक नई पार्टी है और उसे संख्या के आधार पर ही सदन में मान्यता दी गयी है। अब मान्यता के माने क्या हैं? इसके माने यह हैं कि जो दल यहां पर २५ से अधिक हैं उनको जो साधारण सुविधायें मैं दे सकता हूं, उनको दूंगा। यह ऐसा प्रश्न है कि जिसके बारे में यह नहीं बता सकता कि क्या सुविधा दूंगा। सबसे परामर्श करके जो उचित होगा, वह सुविधा दूंगा।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, मैं व्यवस्था के संबंध में एक भी शब्द कहना नहीं चाहता हूं, वह तो हो गई। लेकिन जैसा कल श्रीमन्, ने कहा था कि यदि किसी व्यवस्था के संबंध में कोई नये तथ्य सामने आयेंगे तो आप उस पर विचार करेंगे। चूंकि श्रीमन् ने माननीय नेकराम जी को समय दिया है, इसलिये मैं भी एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। पिछले चुनाव के बाद कुछ स्थानों पर कुछ लोगों ने दल परिवर्तित किये यानी एक दल को छोड़ कर दूसरे दल में चले गये और मेरा ऐसा विश्वास है श्रीमन् कि, कदाचित् समाचारपत्रों में भी जो इस संबंध में चर्चा चल रही है, देखते हैं। मैंने मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस तथा इसके अतिरिक्त जो जनतंत्र का इतिहास इंगलैंड का है, उसको भी पढ़ने की चेष्टा की। वहां केवल २–३ अवसर ऐसे आये हैं जब कुछ व्यक्ति अपने दल को छोड़ कर दूसरे दल में जाकर बैठे हैं और उनमें से श्री विंस्टन चर्चिल और रैम्जे मैकडोनल्ड ने भी ऐसा किया। वे दूसरे दल में जाकर बैठे, लेकिन किसी नये दल का निर्माण नहीं किया और न किसी दल को मान्यता दिलाई। मान्यता मिलने के संबंध में एक तथ्य रखना चाहता हूं कि आपने जो मान्यता दी है, उसकी परिधि इसके अन्तर्गत क्या होगी, उस मान्यता में श्रीमन्, कितनी सुविधायें प्रदान करेंगे, उसके अन्दर क्या जिस दल ने चुनाव न लड़ा हो उस दल को मान्यता देकर समस्त सुविधायें प्रदान की जा सकती हैं और क्या इससे जनतंत्र की प्रणाली को क्षति पहुंचने की आशंका है, यह सोचना होगा। यदि आज चौधरी चरण सिंह दावा करते हैं तो वह जनतंत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते बल्कि उस दल का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस दल के चुनाव घोषणा-पत्र पर उन्होंने चुनाव लड़ा है। वह किसी और दल का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इस परिस्थिति में जो नया दल बना वह दल उस दल का प्रतिनिधित्व करता है जिस दल के चुनाव घोषणापत्र पर चुनाव लड़ा है। मैं मानता हूं कदाचित् इस प्रश्न की परिधि के अन्तर्गत न आता हो।

श्री अध्यक्ष—

आप का एक मिनट ६० सेकेंड से ज्यादा होता है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं केवल १ मिनट ६० सैकेंड का चाहता हूं। मैं श्रीमन् के सामने इन परिस्थितियों में कहना चाहूंगा कि एक परंपरा थी, जिन दलों ने किसी चुनाव घोषणापत्र पर चुनाव न लड़ा हो, उसको मान्यता नहीं दी गयी, कम से कम उनको सुविधायें नहीं प्रदान की गयीं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इस पर अनुमति इसलिए नहीं दी कि मेरे सामने कोई मुख्य विषय था और दोनों पक्षों को सुनकर उस पर व्यवस्था दूं। मैंने एक घोषणा की, उस पर अवसर दे दिया। मुझे हर्ष है कि माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य ने जो बातें मैंने कहीं उसका मूलतः खण्डन नहीं किया उन्होंने कुछ नैतिकता की तरफ संकेत किया। इंगलैंड के इतिहास में क्या हुआ किन परिस्थितियों में कौन गये, दल बनाया होता तो अच्छा होता या न बनाया तो अच्छा किया, इसपर इतिहास निर्णय देगा। यहां जो कुछ हुआ, उसपर भी आने वाला इतिहास निर्णय देगा। मैं सिर्फ नियमों से बंधा हुआ हूं। मेरा अभिप्राय केवल इतना है कि जो माननीय सदस्य यहां पर हैं उनको

[श्री अध्यक्ष]

बैठने की सुविधा हो, कल आपने देखा जो मेरे कार्यक्षेत्र में नहीं था, उसके बारे में मेरे कान में बात आयी, मैंने इस बात का आश्वासन दिया कि जो कुछ हो सकेगा मैं करूंगा। उसका मतलब यह है कि जो सुविधायें उपलब्ध हो सकेंगी उनको मैं देखूंगा ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)---

अध्यक्ष जी, एक दूसरे प्रश्न पर मैं व्यवस्था चाहता हूं। एक दोहरा शासन पार्टियों के गठन के संबंध में पैदा हो रहा है, एक ओर मान्यवर, आपने एक नये दल को स्वीकृति प्रदान की है, जन कांग्रेस को, दूसरी ओर संयुक्त विधायक दल के नाम पर हमारी प्रोसीडिंग्ज जो हो उसकी होती है, उनमें हमारे उस तरफ बैठने वाले सदस्य कहते हैं संविद की सरकार, संयुक्त विधायक दल की सरकार, इस तरह से उसका उच्चारण होता है,। तो जो दोहरा फायदा इस सदन में बैठने वाले कुछ दल उठाना चाहते हैं, वह अपना अस्तित्व भी रखे हुए हैं, उस नाते आपसे सुविधा चाहते हैं और एक नये अस्तित्व का भी निर्माण करना चाहते हैं। आप एक ही अस्तित्व यहां स्वीकार कर सकते हैं, दोनों अस्तित्व को कदाचित् स्वीकार नहीं कर सकते यह मेरी समझ है। मैं जानना चाहता हूं कि आप दोनों तरह अतिस्त्वों को मान्यता देना चाहते हैं, या यही मान्यता देकर इतिश्री है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

संयुक्त विधायक दल के मानी यह हैं कि उसके कुछ अंग हैं, उन अंगों को मिला कर संयुक्त विधायक दल बना है। उसका एक अंग और सदन के सामने आया। वह अंग भी उस संयुक्त दल का भाग है। इतना भर उस मान्यता का मतलब है। अब संयुक्त विधायक दल को बैठने की सुविधा देना या अपनी मीटिंग करने की सुविधा देना यह मेरा कर्तव्य है। उसके बाद जो उसके विभिन्न अंग हैं, उनको किस हद तक किन परिस्थितियों में क्या सुविधायें मैं दे सकूंगा इस पर मैं विचार करूंगा। कोई अंतिम निर्णय नहीं है ।

श्री रमाशंकर अग्रवाल (जिला आगरा)---

कोलीशन मिनिस्ट्री की परम्परा तो सारे संसार में रही है, इसको बहुगुणा जी क्यों भूल जाते हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत (जिला आगरा)---

मान्यवर, आपने जो अपनी व्यवस्था संयुक्त विधायक दल को मान्यता देने में दिखाई है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जब संयुक्त विधायक दल बन गया है तो वह संयुक्त रहे, यह नहीं कि उसके अलग-अलग अंग रहें और आप उनको भी मान्यता दें। हमारे यहां कांग्रेस का एक दल है। अगर उसमें कोई गांधी स्टडी सरकिल, कोई सोशलिस्ट दल बन जाय तो क्या आप इसी तरह से उनको अलग-अलग मान्यता देंगे और अलग-अलग कमरे देंगे ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय रावत जी, आप उत्तर प्रदेश-संयुक्त प्रदेश और संयुक्त दल की परम्परा को कायम रहने दीजिए ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

ठीक है, श्रीमन्, यमुना को गंगा में मिलाकर संगम बनाने दीजिए यह नहीं कि नदी, नाले सबको ऐसा मिलाकर संगम बना दें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरमेश्वर पाण्डेय)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में कुछ कहना चाहता हूं। अभी कहा गया कि जन कांग्रेस में २६ लोग हैं और जिन लोगों ने जन कांग्रेस को चुना है वे कांग्रेस के घोषणा-पत्र पर चुनाव लड़कर आये हैं। इसलिए यहां जन कांग्रेस बना कर उन्होंने जनतंत्र की हत्या की है और जनतंत्र में उनको विश्वास नहीं है। अंग्रेजों के इतिहास का भी कुछ उद्धरण दिया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि वे १४ लोग जिन्होंने कांग्रेस की सदस्यता बाद में ग्रहण कर ली वे लोग तो कांग्रेस के घोषणापत्र पर चुनाव लड़कर नहीं आये थे उसके विरोध में लड़े थे तो मेरा कहना यह है कि आप जो काम करते हैं जब दूसरे वही करते हैं तो आप लांछन लगाते हैं, यह उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने नहीं किया। (हंसी)

१९६७–६८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान,—अनुदान संख्या १८—शिक्षा (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—

अब वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के आय-व्ययक पर विवाद आरंभ होगा। कल श्री नेकराम शर्मा जी बोल रहे थे, वे अपना भाषण आरंभ करेंगे।

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मैं कल इस सदन में कह रहा था कि शिक्षा मंत्री ने अपने भाषण में दो तीन बातों का जिक्र किया। सर्वप्रथम यह कि प्रदेश में शिक्षा एमलेस रही। दूसरे यह कि शिक्षा का स्वरूप बिलकुल इंपीरियलिस्टिक ढंग का है, जैसी चली आती थी, वैसी ही चली आ रही है।

श्री अध्यक्ष—

आपस में बातें न हों। जो जा रहे हैं वे शांति से चले जायं।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, यह सही है कि आजादी के बाद शिक्षा का क्या नया प्रकार हो, क्या एम्स एण्ड आबजेक्ट्स हों यह तय नहीं हो पाया। यह भी सही है जितने कमीशन नियुक्त हुए—चाहे वह राधाकृष्णन कमीशन हो, चाहे मुदालियर कमीशन हो और चाहे कोठारी कमीशन हो, उन्होंने शिक्षा में रिकार्म्स तो दिये लेकिन शिक्षा के एम्स ऐन्ड आबजेक्ट्स क्या होने चाहिये, शिक्षा प्रदेश और देश में क्या होनी चाहिये, उसके लिए उन्होंने कोई रास्ता नहीं दिखाया। श्रीमन्, कांग्रेस शासन में एक बात की ओर ध्यान रहा कि हम शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार करें। इसका नतीजा आपके सामने है कि जो प्रदेश शिक्षा क्षेत्र में बहुत पिछड़ा था उसकी अपेक्षा राजस्थान और जम्मू काश्मीर ही शिक्षा में पिछड़े थे और सारे प्रदेश उससे आगे थे और जिस में १,००० के ऊपर केवल १५७ साक्षर थे वहां पर प्रदेश में २६–२७ परसेंट लोग अब साक्षर हो गये हैं। यह कांग्रेस सरकार ने किया। लेकिन उस सरकार ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया कि एम्स और आबजेक्टिव्स क्या हों क्योंकि वे शिक्षा को सर्व साधारण के लिए सुलभ बनाना चाहते थे। साम्यवादी सरकार होती तो रूस की तरह शिक्षा का विकास करती।

---

†५ जुलाई, १९६७ की कार्यवाही से।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नेकराम शर्मा]

दूसरी बात जो शिक्षा मन्त्री ने कही---वह यह है कि "शिक्षा मन्दिर राजनीति का अखाड़ा बन गये हैं, अध्यापकों का एप्वाइन्टमेंट पोलिटिकल बेसिस पर होता है और यही कारण है कि शिक्षा का स्तर गिर गया है।" अगर शिक्षा मन्त्री जी स्वयं यह बात न कहते तो अच्छा रहता। अगर उन्होंने कहा, वह जिस नीति को आज शिक्षा के अन्दर अपना रहे हैं उस पर मेरा ही नहीं बाहर भी ओरों से चर्चा है कि शिक्षा मन्त्री जी शिक्षा संस्थाओं को आर० एस० एस० और जनसंघ का अड्डा बनाने जा रहे हैं।

श्रीमन्, इस बारे में शिक्षा मन्त्री जी कमेटियां जिलों में नियुक्त करने जा रहे हैं जिस में एक गवर्नमेंट की तरफ से नामिनी होगा कुछ स्कूलों के प्रतिनिधि होंगे और कुछ टीचर्स होंगे और जो कमेटी बनेगी उस को अधिकार होगा, कि वह शिक्षा संस्थाओं का निरीक्षण करे और यह निश्चय करे कि किस स्कूल को ग्रान्ट दी जाए तो सब कुछ उसी आधार पर होगा। अभी पाण्डेय जी प्रजातन्त्र की बात कर रहे थे और परसों इसी सदन में वह माओ और स्टालिन की तारीफ कर रहे थे। मैं जानता हूं कि जनसंघ का प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं है और इसलिए वह हमेशा देश में प्रेसिडेंट रूल्स की मांग करती है। तो जो जिला कमेटियां बन रही हैं उन में शिक्षा मन्त्री जी जनसंघ के व्यक्ति नियुक्त करेंगे और उन अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे जिनकी प्रेरणा जनसंघ की तरफ से होगी। जैसा धांधली का और पक्षपातपूर्ण और राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति का काम कोआपरेटिव विभाग में हुआ वही अब शिक्षा विभाग में होने जा रहा है। तो यह राजनीति का अखाड़ा कांग्रेस ने बनाया या कम्युनिस्ट पार्टी ने स्कूलों को बनाया या एस० एस० पी० ने बनाया। असली अखाड़ा तो अब शुरू हो रहा है कि किस तरह से शिक्षा संस्थाओं में अध्यापक पद पर किसी पार्टी विशेष के व्यक्ति पहुंचें। श्रीमन्, १६ सरस्वती शिशु मन्दिरों की स्थापना की प्रदेश में स्कीम है। उन में क्या होता है, किस प्रकार की शिक्षा होती है और किन लोगों का उस में प्रभुत्व है यह सब जानते हैं। मेरी सूचना गलत हो तो मैं माफी मांग लूंगा। ये शिशु मन्दिर किस बात के प्रतीक हैं, ये हिन्दू राष्ट्र और हिन्दू राष्ट्रवाद की स्थापना के प्रतीक हैं। जो आर० एस० एस० में विश्वास करते हैं ये उन्हीं लोगों की संस्थाएं हैं। जिस प्रकार से रूस में हुआ उसी प्रकार से हिन्दुस्तान में फुल फ्लेज्ड हिन्दू राष्ट्र की स्थापना के लिये सरस्वती शिशु मन्दिरों की स्थापना की जा रही है। मन्त्री जी अभी पिथौरागढ़ गये, क्या वहां पर उन्होंने सरस्वती शिशु मन्दिर की स्थापना नहीं की जो यह शिक्षा के कर्णधार आज बने हैं?

श्रीमन्, माननीय शिक्षा मन्त्री ने घोषणा की थी कि हम नामिनेशन नहीं करेंगे; किन्तु क्या कारण है कि अब ऐसा वह करने जा रहे हैं। हमारी सूचना गलत हो सकती है, इस के लिए मुझे मन्त्री जी क्षमा करेंगे, किन्तु क्या यह सच नहीं है कि गुरु जी आए और यह तय हुआ कि ५ हजार वर्कर्स देहात में जन संघ की विचारधारा के भेजे जाएं और बी० टी० सी० में जिनका नामिनेशन हो सकता है उन्हें भेजा जाय। माननीय शिक्षा मन्त्री का निर्णय कि हम नामिनेशन नहीं करेंगे बदल गया और अब वह नामिनेशन करेंगे और जो कहते हैं कि योग्यता पर करेंगे वह भी भ्रम है। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या जरूरत पड़ गयी कि यह कहने के बाद कि नामिनेशन नहीं करेंगे, अब कर रहे हैं। इस से सिद्ध होता है कि जनसंघ पोलिटिकली बिहेव कर रहा है और शिक्षा क्षेत्र में अपने प्रसार की पूरी कोशिश कर रहा है। माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने १७६ सब डिप्टी इन्स्पेक्टर्स आफ स्कूल्स को अलग करने की बात कही। मैंने इस बात को माननीय विस मन्त्री जी से मालूम करने का प्रयास किया कि किन-किन को रिट्रेंच किया जा रहा है। पहले जो १७६ सब डिप्टी इन्स्पेक्टर्स आफ स्कूल्स को अलग करने का सरकुलर चला गया था उस के बाद न मालूम क्या प्रेशर पड़ा वायरलेस से उन को रोक लिया गया। यह क्या नीति है? आप यह शिक्षा में क्या अनुभव या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? हम समझते हैं कि शिक्षा मन्त्री जी की पालिसी शिक्षा जगत में एक्सपेरिमेंट

करने की है। अगर आप की यह पालिसी है तो फिर ध्येय क्या हो सकता है और किस तरह से यह शिक्षा हमारे प्रदेश में आगे बढ़ेगी, यह एक बड़ा भारी प्रश्न पैदा होता है। आपकी पालिसी की कोई रूपरेखा हमारे सामने नहीं है। एक दो या तीन कुछ तो अपनी योजना देते कि आप यह शिक्षा में करने जा रहे हैं। आपने एक प्रोग्राम के मुताबिक काम करने की बात कही थी तो उस के अनुसार १५०) रु० वेतन करने की बात कहते, तनख्वाह बढ़ाने की बात कहते कि हम यह ग्रेड अध्यापकों के लिए मानने जा रहे हैं, या शिक्षा के लिए इतनी फीस माफ करने जा रहे हैं, या ५ साल में या २ साल में हम यह करना चाहते हैं और यह योजना है तो हम समझते कि आप कुछ शिक्षा के लिए करना चाहते हैं। मगर आप यह जानते हैं कि आप को यहां पर ज्यादा दिन नहीं रहना है इस लिए यह सब कार्यक्रम नहीं बनाया है। नहीं तो बाद को जनता आप से यह सवाल करती कि आप ने यह नहीं किया। अब तो आप यह कह सकते हैं कि हम ज्यादा दिन सरकार में नहीं रहे इस वजह से हम यह सब कुछ नहीं कर पाये। इसी वजह से शिक्षा मन्त्री जी यह योजना इस शिक्षा के विषय में नहीं बना रहे हैं। यह बात सही है कि हमारे देश में शिक्षा के विषय में कोई प्लानिंग नहीं हुई है, लेकिन यह सरकार तो अपनी योजना बनाये कि वह इस शिक्षा की दिशा में क्या करना चाहते हैं शिक्षा में क्या आमूल परिवर्तन करना चाहते हैं और क्या योजना रखना चाहते हैं; लेकिन वह सब नहीं कर नहीं पाये। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं।

शिक्षा मन्त्री जी ने घोषणा की कि हाई स्कूल ऐण्ड इन्टरमीडियेट बोर्ड को खतम करके यह काम स्कूलों को सिपुर्द करेंगे। यह ठीक है, लेकिन क्या वह १०० स्कूल वही होंगे जो सरस्वती शिशु मन्दिर होंगे या वे होंगे जिन को जनसंघ के ऊपर विश्वास होगा? भले ही आप यह काम इस तरह से करें लेकिन मेरा निवेदन यह है कि इस तरह से भी यह समस्या हल होने वाली नहीं है। मैं जानता हूं कि यह सही है कि बोर्ड में पक्षपात होता है और पेपर बांटने में, कापी देने में पक्षपात का सहारा लिया जाता है, मगर इस तरह उस को तोड़ने से बहुत फायदा नहीं होगा। अगर आप बोर्ड को रखना नहीं चाहते हैं तो उस को डिसेन्ट्रलाइज कीजिये। जो आज परीक्षायें होती हैं उनका रास्ता उस तरह से बदलिये। मिश्र में जिस समय वहां के विद्यार्थी पावर में लाये तो उस समय वहां पर बड़ा आन्दोलन होने लगा। उस समय नासिर ने सोचा कि क्या किया जाय। उन्होंने मन्थली एग्जामिनेशन का सिस्टम वहां पर कर दिया। आप यह चाहते हैं कि यह परीक्षा का तरीका बदले और हर जगह मन्थली एग्जामिनेशन कर दिया जाय। जो वार्षिक परीक्षायें होती हैं उनको बन्द कर दिया जाय। मन्थली जो मार्क्स आयें उन के आधार पर उन को प्रमोट किया जाय। मैं यह समझता हूं कि सही रूप में शिक्षा में आप यदि परिवर्तन करना चाहते हैं तो जितने भी ऐडमिशन हैं वह सब मार्क्स-शीट के आधार पर होने चाहिये। चाहे कालेज में और चाहे यूनिवर्सिटी में सब जगह पर मार्कशीट के आधार पर ही ऐडमिशन होने चाहिये। दूसरी तरह से जो ऐडमिशन किये जाते हैं वे बन्द कर देने चाहिये। मैं यह समझता हूं कि इस तरह से कर के राजनीति में दखल दिया जा रहा है। अभी तक एजूकेशनिस्ट ही डाइरेक्टर हुआ करता था, लेकिन अब शिक्षा मन्त्री जी का प्रस्ताव है कि आई० ए० एस० डाइरेक्टर हुआ करेगा। भाटिया जी विद्वान हैं। ऐसे आदमी उस में रहने चाहिये, लेकिन यह जो आई० ए० एस० के रखने का प्रस्ताव है तो क्या हर एक मर्ज की दवा ही आई० ए० एस० है? वह इस लिए आई० ए० एस० को रखना चाहते हैं कि जिस तरह से वह शासन को चलाना चाहते हैं उन की इच्छा के अनुसार वहां भी शासन चले। शिक्षा विभाग में आई० ए० एस० को डाइरेक्टर के पद पर रखना बहुत गलत बात है।

उप मुख्य मन्त्री (श्री राम प्रकाश)—

यह सूचना आप को कहां से मिली?

श्री नेकराम शर्मा—

जहां से आप को सूचना मिलती है वहीं से हम भी पाते हैं। श्रीमन्, अगर हमारे शिक्षा मन्त्री जी शिक्षा मन्दिरों को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहते हैं तो कुछ दिनों से विरोधी दल की मांग थी कि राजनीतिज्ञ यूनिवर्सिटी और कालेजों की मैनेजमेंट कमेटी से अलग किये जायं इस पर अमल करें, कोई घोषणा नहीं की क्योंकि आप पावर में आ गये हैं। शिक्षा मन्त्री जी पावर में आ गये हैं इसलिए वही ढंग, वही तरीका अपनाया जिस से कि उन की शक्ति बढ़े। श्रीमन्, मैं तो ५ मिनट ही बोला हूं। कम से कम दस मिनट मुझे और दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

इस में कठिनाई बहुत है। आप ज्यादा से ज्यादा ५ मिनट में समाप्त करें।

श्री नेकराम शर्मा—

तो उन की नीति भी एक्सपेरिमेंट की नीति है और इस में जो दुर्दशा शिक्षा की आज तक हुई है उस से भी अधिक बदतर हालत शिक्षा की होती जायगी। स्टेट की प्राइमरी ड्यूटी है कि प्राथमिक शिक्षा पूर्णरूप से अनिवार्य की जाय। इसके लिए संविधान के आर्टिकिल ४३ में व्यवस्था की गयी है। हमारी सरकार ने इस का प्रबन्ध किया था, लेकिन आप की सरकार ने इस के लिए क्या किया? आप ने यह घोषणा की कि हम प्रिंसिपल्स की पोस्ट्स को प्रांतीयलाइज करेंगे, लेकिन कल खाली हेडमास्टर तक आ गये। फिर भी मैं आपकी इस बात का स्वागत करता हूं। आप जिला परिषदों से शिक्षा का प्रबन्ध अपने हाथ में लीजिये। आज सारे डिग्री कालेजेज तथा इन्टरमीडिएट कालेजेज के प्रिंसिपल्स का प्रान्तीयकरण होना चाहिये। जिस तरह से मैनेजमेंट उनको हैरेस करता है वह समाप्त किया जाना चाहिये। यह अच्छा कदम है। मैं इस में आप के साथ हूं। जिला परिषद् से शिक्षा को निकालिये। उस में मैं आप के साथ हूं, लेकिन कामर्शियलाइज्ड एजूकेशन जितनी है उस को आप समाप्त कीजिये और इस बात की व्यवस्था करिये कि कोई व्यक्तिगत तौर पर प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन नहीं चला सकता। इस के लिए आवश्यक प्रबन्ध होना चाहिये। जितने मैनेजर्स हैं उन को आप अपने कन्ट्रोल में रखिये। इस के लिए कमलापति त्रिपाठी जी ने कदम उठाया था और एक ऐक्ट भी पास किया था, लेकिन वह नाकाफी है।

इस के अलावा बुक्स को नेशनलाइज करिये और किताबों को सरकार को खुद ही छपाना चाहिये। सरकार को इस के लिए इन्तजाम करना चाहिये। समान वेतन और समान कार्य का जो सिद्धान्त है उसे आप को लागू करना चाहिये। यू० जी० सी० ने इस के लिए सिफारिश की है कि ८० फीसदी तक राजी हों तो वह देने को तैयार हैं। सरकार को इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिये। अगर दसवें तक आप शिक्षा फ्री नहीं कर सकते तो कम से कम ७, ८ कक्षा तक उसे फ्री किया जाना चाहिये। अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा जैसे पवित्र मन्दिर में जैसा माननीय मन्त्री जी का उद्देश्य है उस में राजनीति के अखाड़े को, राजनीति की दलबन्दी को हटा कर उसे आटोनामस संस्थाओं को दिया जाय और उन के द्वारा शिक्षा संस्थाओं का काम चलाया जाय। और अगर ऐसा नहीं हो सके तो सारी शिक्षा को नेशनलाइज किया जाय।

*श्री बजरंगबली ब्रह्मचारी (जिला हमीरपुर)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, आप की आज्ञा से आज संस्थाओं की मांगों के सम्बन्ध में विशेष विस्तृत विवेचनात्मक गवेषणात्मक व्याख्या न करके केवल शिक्षा के मूलभूत सिद्धान्तों की ओर आप के द्वारा इस सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा जिन के सम्बन्ध में पिछले शासन का दृष्टिकोण पूर्णतया उपेक्षित और अवहेलनापूर्ण रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज इस देश के अभ्युदय और उत्थान का प्रश्न है। आज जनता जनार्दन के कल्याण का प्रश्न है। आज भारतीय समाज के विकास और प्रकाश का प्रश्न है। इस भारत देश के समुचित खान-पान और विभिन्न प्रकार की आर्थिक सामाजिक और नैतिक समस्याओं के समाधान का प्रश्न है। स्वाभावतः यह प्रश्न होता है "फिर कैसी शिक्षा हो, कैसी दीक्षा हो ? कैसा आचार-विचार हो ? कैसा रहन-सहन हो ? कैसा संयम साधना हो ? आप के माध्यम से कहना चाहूंगा कि चाहे कोई आस्तिक हो या नास्तिक हो, चाहे ईश्वरवादी हो या अनीश्वरवादी हो, चाहे कोई बड़ा जाना-माना प्रख्यात विश्व, चोटी के विद्वानों में से हो के और चाहे कोई निरक्षर भट्टाचार्य हो, चाहे कोई बड़ा धनी-मानी राज्य प्रासाद और बड़े भव्य भवनों में निवास करने वाला हो और चाहे, कोई पेट को पीठ से चिपकाये परम अकिंचन किसी टूटी-फूटी झोपड़ी में रहने वाला, श्रीमन्, चाहे कोई राष्ट्रवादी, अन्तर्राष्ट्रवादी, समाजवादी अथवा मार्क्सवादी हो या द्वैतवादी, अद्वैतवादी, विशिष्ट द्वैतवादी अथवा अद्वैताद्वैतवादी हो; श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से कहना चाहूंगा कि हमारे समस्त सम्मानित सदस्य इस में बिना अगर-मगर, किन्तु परन्तु के एक मत होकर स्वीकार करेंगे कि किसी भी लोकोपयोगी, जनोपयोगी योजना को क्रियान्वित और कार्यान्वित करने के लिए नैतिक निष्ठा, नैतिक दृढ़ता, नैतिक विशिष्टता का होना अत्यन्त आवश्यक है।

मैं आप की आज्ञा से निवेदन करूंगा कि औद्योगिक शिक्षा की हमें बड़ी आवश्यकता है। व्यवसायिक शिक्षा भी जरूरी है। विभिन्न प्रकार की ज्ञान–विज्ञान की शिक्षा भी अत्यन्त आवश्यक है, परन्तु इस में दो मत नहीं हो सकते कि इन सब की मूल नैतिक शिक्षा की हम अवहेलना और उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि "छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम्", जड़ काट देने पर केवल पत्तों और डालों को सींच कर हम फल की कामना करें तो हमारा ध्येय त्रिकाल में सिद्ध नहीं हो सकता। श्रीमन्, नैतिक शिक्षा की अभी तक हमारे शासन द्वारा अवहेलना पूर्णरूपेण होती रही है। नैतिक शिक्षा की अवहेलना करके समाज में फैले पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार का आमूल-चूल उन्मूलन हम नहीं कर सकते। मैं आप की आज्ञा से कहना चाहूंगा कि नैतिक शिक्षा की उपेक्षा करके, अवहेलना करके समाज में सदाचार, समता और मानवता की स्थापना कभी नहीं कर सकते। मैं आप की आज्ञा से कहना चाहूंगा कि नैतिक शिक्षा की अवहेलना करके

"सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखभाग्भवेत्"

इस सब प्रकार के विचारों को कहीं भी हम क्रियान्वित, कार्यान्वित नहीं कर सकते।

मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि नैतिक शिक्षा की उपेक्षा करके, अवहेलना करके दीन-दुखियों की आह पर, भूखे नंगों की कराह पर हमें जैसी सच्ची सहानुभूति चाहिये वह इस नैतिक शिक्षा की उपेक्षा करके हम कभी भी प्राप्त करने में सक्षम और समर्थ नहीं हो सकते।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहूंगा कि प्रत्येक देश की अपनी अपनी कुछ मौलिक विशेषतायें होती हैं। यदि आप प्रत्येक देश के इतिहास का अवलोकन करें तो आपको प्रत्येक देश की विशेषताओं का ज्ञान हो जायेगा। जर्मनी की विशेषता रही है वहां नये नये आविष्कार करना। फ्रांस की विशेषता है वहां का नया-नया फैशन। इंग्लैन्ड की विशेषता है वहां की कूटनीति। इसी तरह हर देश की अपनी-अपनी विशेषता है। इस परम पूज्य भारत की विशेषता है आस्तिकता, धार्मिकता और नैतिकता। यह वह परम पूज्य भारत है जो अपनी नैतिकता के कारण ही आर्यावर्त भारत कहलाया। यह वह पूज्य भारत है, जिसने अपनी नैतिकता के बल पर ही एक नहीं अनेकों आक्रमणों को सह कर अपनी मानवता को, अपनी सभ्यता को और अपने आदर्शों को सदैव जीवित रखा है।

[श्री बजरंगबली ब्रह्मचारी]

श्रीमन्, यह वह कर्मभूमि भारत है, जिसमें नैतिकता को मूर्तरूप देने के लिये, उसके नैतिक निर्माण के लिए और उसकी रक्षा के लिये सदैव प्रयास किया जाता रहा है।

अब मैं आपकी आज्ञा से यह कहना चाहूंगा कि हमारी जो दिव्यभाषा संस्कृत है, जिसमें नैतिकता के अनेकों जीते जागते उदाहरण हैं, उसकी उपेक्षा और उसकी अवहेलना हुई रही है। पिछली सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरा नम्र निवेदन है कि इस सरकार को इस ओर समुचित ध्यान देना चाहिये।

श्रीमन्, हमारे सामने यह परमपूज्य महात्मा गांधी का चित्र है। यह उनका चित्र है, जिन्होंने सदैव राम राज्य की कल्पना की थी, भारत में राम राज्य लाने का स्वप्न देखा था और उसके लिये अपना सब कुछ अर्पण कर दिया था। मैं निवेदन करूंगा कि हमें आज उनके उस स्वप्न को साकार रूप देना है, जो उनकी भावनायें थीं उनका आदर करना है।

अब श्रीमन्, आपकी आज्ञा हो तो मैं राम की नैतिक विशेषताओं की ओर कुछ निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि जो चित्र उस महान् आत्मा का हमारे सामने टंगा है, उसमें वह नैतिकता कूट-कूट कर भरी थी। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि राम की क्या नैतिक महत्ता है, राम की क्या नैतिक विशेषता है। आप राम को किसी भी एंगिल से देखें, किसी भी दिशा से देखें, उनके समस्त जीवन से एक नई प्रेरणा और एक नई चेतना प्राप्त होती है। चाहे आप उनके मधुर मनोहर लोकाभिराम, कौशल्या नन्दवर्धन, कोटि कोटि कंदर्प स्वरूप मन्हें-मुन्हें स्वरूप को देखें, आपको अत्यन्त नैतिक जीवन के दर्शन होंगे। चाहे आप युवक स्वरूप, अनन्त सौन्दर्य मंडित श्रीराम के नैतिक स्वरूप को देखें.....

श्री अध्यक्ष—

ब्रह्मचारी जी, उपसंहार करें।

श्री बजरंगबली ब्रह्मचारी—

और चाहे, श्रीमन्, भगवान राम के महामानव स्वरूप नैतिक जीवन के उदाहरण को देखें, कन्द मूल फलाहारी, बनवासी, प्रवासी, अरण्यवासी और उदासी जीवन की विशेषता को देखें, और चाहे अनाचार, अत्याचार, पापाचार, दैत्यों और दानवों का मर्दन करते हुये, दर्प दलन करते हुए, तपस्वी, तेजस्वी और ओजस्वी राजा राम की हम नैतिक विशेषता और महत्ता को देखें, और एक नहीं अनेक प्रकार के आदर्शों की स्थापना करने वाले, जनता-जनार्दन की सर्वविधि मंगल कामना करने वाले राम की विशेषतायें अवर्णीय और अनिर्वचनीय हैं। उनके जीवन के समस्त कार्य, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में किये गये हमें नई दिशा, शिक्षा, नया तेज और नई चेतना प्रदान करते हैं। मेरा नम्र निवेदन है कि इस नैतिक शिक्षा की अवहेलना और उपेक्षा करके यह राष्ट्र जीवित नहीं रह सकता। हमें प्रसन्नता है कि कल जब शिक्षा मंत्री महोदय ने अपनी शिक्षा नीति घोषित की थी, उनकी बातें भारतीय परम्पराओं और विशेषताओं के अनुकूल थीं परन्तु कुछ बातें अब भी स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। जब वे भारतीय परम्पराओं और नैतिक जीवन की विशेषताओं को दृष्टिगत कर अपनी नीति में कुछ परिवर्तन करेंगे तभी भारत 'भारत' कहलायेगा और तभी हम भारत के सच्चे माने में नागरिक कहलायेंगे।

*श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जो शिक्षा के अनुदान में कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैंने शिक्षा मंत्री का भाषण बड़े ध्यान से सुना और मुझे महसूस हुआ कि वे बजाय विधान सभा के सन्मुख बोलने के वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा के अन्दर या शिविर के अन्दर भाषण दे रहे थे। उन्होंने बड़ी ऊंची बातें कीं चरित्र

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निर्माण की ओर आदर्शवाद की। मैं एक बात पूछना चाहता हूं माननीय रामप्रकाश जी से कि आप अब आदर्श की बात करते हैं। अब करेक्टर की बात करते हैं। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी जिन लोगों को आप उस समय पंचमांगी कहा करते थे, जिन को राष्ट्रद्रोही कहा करते थे, आज उन्हीं से गठबन्धन कर, सत्ता को हथियाने के लिये आपने गठबन्धन किया है, तब आप किस तरह से राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं। कांग्रेस के बीस साल के प्रशासन के बारे में माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें कहीं। मैं क्या कहूं। मैं समझता था और मैंने सुना था कि एक सांप ही ऐसा होता है, जिसकी दो जीभें होती हैं। इन्सान की दो जीभें होती हैं ऐसी बात नहीं देखी गई। तीन किताबें हैं। पंचांग है, शिक्षा की प्रगति है, और एक प्राविधिक शिक्षा की है जिनकी कीमत ८० या ९० पैसे की है। एक-एक किताब में कांग्रेस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है, कांग्रेस की तारीफ की गई है और माना गया है कि कांग्रेस में चतुर्मुखी प्रगति हुई है, टेक्निकल एजूकेशन बढ़ी है और वह सब हुआ कांग्रेस के कुशासन में। यह अपनी कहानी आपकी जबानी है। आपने बताया है कि २० वर्षों में शिक्षा के काम में विस्तार हुआ है और उसकी ओर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। हजारों की संख्या में स्कूल खोले गये हैं। वैज्ञानिक और प्राविधिक शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। छठवीं कक्षा तक बालकों की और हाई स्कूल तक बालिकाओं की शिक्षा को निःशुल्क कर दिया गया है और इसका परिणाम यह हुआ कि स्वतंत्रता से पूर्व प्रदेश में छात्र-छात्राओं की संख्या १८ लाख थी, वह तीसरी योजना के अन्त में १ करोड़ १५ लाख हो गयी और शिक्षा का बजट भी ढ़ाई करोड़ से बढ़कर ४३ करोड़ हो गया और अब ५१ करोड़ हो गया और यह सब प्रगति कांग्रेसी कुशासन में हुई, यह सब कांग्रेस के कुकर्मों का फल रहा।

दूसरी पत्रिका हमें दी गयी है "शिक्षा की प्रगति"। उसमें आपने लिखा है—१९४५–४६ में प्राथमिक शिक्षा पर ९० लाख रु० खर्च होता था, सन् ५०–५१ में ३३२ लाख हो गया, ५५–५६ में ४२४ लाख हो गया, और अब सन् ६६–६७ में २० करोड़ १२ लाख हो गया। यह सब कांग्रेस के कुशासन में हो गया? श्रीमन्, इसके बाद एक दूसरी पत्रिका में आपने बताया है कि तृतीय योजना के अन्त तक ८२ प्रतिशत बालकों और ४३ प्रतिशत बालिकाओं का टारगेट था, जिसमें से बालकों का १०० प्रतिशत और बालिकाओं का ६२ प्रतिशत लक्ष्य पूरा हुआ। यह हुआ कांग्रेस के कुशासन में? कांग्रेस के कुकर्मों के द्वारा?

यह भी कहा गया कि शिक्षा संस्थाओं के अन्दर पालिटिक्स आ गयी है, कार्मशियल हो गये हैं, करप्शन हो गया है, पोलीटिकल एप्वाइन्टमेंट्स होते हैं। जहां तक करप्शन की बात है, मैं केवल इतना ही कहूंगा कि डाक्टर हील दाई सेल्फ। बहुत से माननीय सदस्य बहुत सी संस्थाओं के मेम्बर हैं। माननीय राम प्रकाश जी ने भी कुछ कार्य कारपोरेशन के डिप्टी मेयर की हैसियत से किये और उस समय उनके ऊपर बहुत से गम्भीर चार्जेज लगाये गये। जब तक माननीय मुख्य मंत्री उनको उन चार्जेज से मुक्त न कर दें तब तक उनको करप्शन के बारे में कुछ कहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने इलाहाबाद की एक संस्था के बारे में कहा कि वहां पर १० मास्टर १५ साल से दिखाये गये हैं, लेकिन वे वहां हैं नहीं। इस प्रकार के सैकड़ों हजारों स्कूल हैं। उन्होंने उसका नाम नहीं बताया, अच्छा होता माननीय मंत्री जी नाम बतला देते। मुझे याद है पिछली बार माननीय देवी प्रसाद जी ने भी इस प्रकार की बात कही थी कि हजारों स्कूल्स हैं लेकिन जब माननीय शिक्षा मंत्री ने उनसे उनकी लिस्ट मांगी तो एक भी इंस्टीटयूशन का नाम वे पेश नहीं कर सके। पिछले शिक्षा मंत्री ने एड देने का कुछ फारमूला बना दिया था, उसके अनुसार एड दी गयी थी। अगर उसमें कुछ गलती हुई है तो हम उसको मान लेंगे, वे कृपया उसको सिद्ध करें। उन्होंने कहा कि पोलीटिकल एप्वाइन्टमेंट्स होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि बलिया के सतीशचन्द्र डिग्री कालेज के प्रिंसिपल श्री परशुराम मिश्र का एप्वाइन्टमेंट गोरखपुर विश्वविद्यालय के असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पर हुआ। उनके ऊपर सीरियस चार्जेज थे। उनको सस्पेंड किया गया और महीनों तक सस्पेंड रखा गया। तरह-तरह के प्रेशर्स डाले गये।

[श्री नवलकिशोर]

और इस पर भी जब उनका कहना नहीं किया गया तो उस कालेज के जो डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स हैं उनसे रिकमेंडेशन कराई गई और इस तरह से सारे मामले को हश अप करा दिया गया। यह सब इसलिये कराया गया कि श्री परशुनाथ मिश्र आर० एस० एस० के एक बड़े कार्यकर्ता हैं। इस तरह से क्या यह पोलिटिकल अप्वाइंटमेंट नहीं है तो और क्या है? ९०० चूहे खाय बिलैया हज को चली वाली बात है।

उन्होंने कहा कि जिला परिषदों के जो स्कूल हैं, उनमें बहुत गड़बड़ है। मुझे याद है कि जिस समय पी० टी० सी० के नामिनेशन की बात आई तो बरेली को फोन किये गये और शायद सब जगह किये गये होंगे। वह चाहते थे कि जिला परिषद् के चेयरमैन उसमें न बैठें, लेकिन ऐक्ट के प्राविजन के अनुसार ऐसा हो नहीं सकता था इसलिये दूसरा टेलीग्राम भेजा गया कि आप नामिनेशन नहीं करेंगे और अब कहते हैं कि नामिनेशन करेंगे। उनकी नियत है कि लोकल बाडीज जो प्रजातन्त्र के आधारभूत हैं और जनतंत्र और संसदीय डेमोक्रेसी की बुनियाद हैं उनको भी वह चाहते हैं कि कमजोर हो जायं। वह स्वायत्त शासन की एकार्य को ही कमजोर बना देना चाहते हैं।

यह भी कहा गया कि जिला स्तर पर कमेटियां बनाई जायंगी। इससे बढ़कर और कोई खतरनाक चीज नहीं हो सकती। मैं जानना चाहता हूं मंत्री जी से कि उनका भविष्य क्या होगा उनका फंक्शन क्या होगा उनके फाइनेंनसेज कहां से आयेंगे, उनका स्टाफ कहां से आयेगा? आप के पास स्टेचुटरी बाडीज हैं म्युनिसपैलिटीज हैं, कारपोरेशन्स हैं, जिला परिषदें हैं, उनको ठीक कीजिये, उनकी कमियां दूर कीजिये। अमरीका में भी लोकल कमेटियां हैं, काउन्टी कौंसिल्स हैं इंगलैण्ड में भी उनका नाम अब बरोज हो गया है। आप को याद होगा कि केरल में जब कम्युनिस्टों की सरकार बनी तो वहां भी शिक्षा से बड़ी खिलवाड़ की गई और उसका फल यह हुआ कि सरकार का पतन हुआ। इसलिये आज मैं श्री राम प्रकाश जी को चेतावनी देता हूं अभी वह अनएक्सपीरियेंस्ड हैं कि इस तरह के फासिस्ट तरीकों से आप प्रदेश के जनजीवन के साथ खिलवाड़ न करें और प्रदेश की ट्रेडीशन्स को समाप्त न करें। हमें शुबहा है कि जितने नामिनेशन होते हैं या होंगे वे केवल जनसंघ या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वालों के ही होंगे। जिस तरह से कांग्रेस सरकार अभी तक बिना किसी रिजर्वेशन के फ्री तरीके से सारे नामांकन किया करती थी वैसा ही आप भी करें और इस तरह से हर जगह अपना आर० एस० एस० का अखाड़ा न बनायें। बहुत सी संस्थाओं में अब उनके शिक्षा मंत्री बनने के बाद आर० एस० एस० की शाखायें लगना शुरू हो गई हैं, इससे पहले वहां कोई इस तरह की शाखायें नहीं लगती थीं।

हम से पूछा गया कि टीचर्स के लिये हम ने क्या किया? मैं जानना चाहता हूं कि आप ने क्या किया, आप का तो १९-सूत्री प्रोग्राम था आपने प्राइमरी, हायर सेकेंडरी टीचर्स के लिये क्या किया?

आप श्रीमन् कुछ मुझे समय अधिक दे दें तो बड़ी कृपा हो वैसे मेरा कोई हक तो नहीं है, लेकिन पहले शिक्षा का भार मेरे ऊपर था इस खयाल से कुछ कहने का मौका अधिक मिल जाय तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है आप दस मिनट और ले लें, जल्द समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री नवलकिशोर—

मैं कहना चाहता हूं कि आपने अपने भाषण में कहा कि यूनियन गवर्नमेंट ने वादा किया है कि ८० प्रतिशत प्राइमरी टीचर्स को आप दें तो वह सबसिडाइज कर देंगे तो आप उनको क्यों नहीं। १५० ६० देते? पेरिटी के मामले में आप बिलकुल चुप हो गये हैं और कुछ नहीं किया गया है। हमने दस करोड़ रुपये टीचर्स की वहबूदी पर खर्च किये, हमने प्राइमरी टीचर्स को ट्रेंड

को १०० रुपया और अनट्रेंड को ९० रुपया कर दिया। सेकेंडरी स्कूल्स के टीचर्स के २० रुपये बढ़ाये। डिग्री कालेज के टीचर्स को भी बहुत से बैनिफिट्स हमने पहुंचाये जैसे प्रोविडेंट फंड, इन्श्योरेन्स और ओल्ड एज पेंशन के और जो लोग मर जाते हैं, उनके लिए ग्रेचुटी का प्रबन्ध किया और जिनकी मासिक आमदनी १०० रुपये से कम है, उनके बच्चों को फ्री एजूकेशन का प्रबन्ध किया है। कहा गया कि कानपुर के विश्वविद्यालय और मेरठ के विश्वविद्यालयों का भविष्य अन्धकारमय है। जो बन गये हैं, उनका तो भविष्य अन्धकारमय बताया जाता है, लेकिन कुमायूं के बारे में अभी आप गौर फरमा रहे हैं।

यहां पर ६० हजार हेडमास्टरों को जो प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ाते हैं, प्रोविंशियलाइजेशन की बात कही गयी है। इससे इन गरीबों की मिट्टी पलीत करना है, ये शासन को चौपट करेंगे।

यहां पर कहा गया कि इंगलिश को ओप्शनल करेंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपने कौन सा बड़ा काम किया है। यह तो माननीय सम्पूर्णानन्द जी के समय से ही ओप्शन थी। "इंग्लिश आर एनी अदर मोर्डन लैंग्वेज आर इंडियन लैंग्वेज"। तो इसमें आपने कौन सी नयी बात की है? यू० जी० सी० के ग्रेड को हमने माना। मैचिंग-ग्रान्ट्स जो गवर्नमेंट आफ इंडिया से मिल गयी, आपने उन्हें इम्पलीमेंट क्यों नहीं किया? करने धरने को तो कुछ है नहीं, लेकिन हवा में बात करना चाहते हैं।

श्रीमन्, यूनिवर्सिटी के अन्दर डेफिसिट होता है क्योंकि उनके एस्टीमेट्स की सही स्क्रुटिनी नहीं होती है। उनको पूरी ग्रान्ट्स देख कर दी जायं।

आखीर में मैं उर्दू के बारे में कहता हूं। यहां पर राष्ट्रीयता की बात की जाती है। फंक्शन्स को फासिस्ट बनाते हैं। आप इस देश के अन्दर राष्ट्रीयता की बात करके देश को खंडित कराना चाहते हैं। उर्दू को हमने १४ भाषाओं में एक माना है। मैं चाहता हूं कि उर्दू को अगर सेकिंड लैंग्वेज मान लिया जाय तो कोई आपत्ति नहीं होगी। श्रीमन्, एक बादशाह तुगलक हुए हैं। उन्होंने इधर से उधर और उधर से इधर बहुत किया और इस प्रकार दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली। इस प्रकार इस अदला-बदली में लाखों लोगों की जानें गयीं और रुपया बरबाद हुआ। वही हाल इस मौजूदा सरकार का है। बस, श्रीमन्, एक शेर कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं जो इस प्रकार है :—

"शेख ने मस्जिद बना मिसमार बुत खाना किया।
पहले तो कुछ था भी अब बिल्कुल ही बीराना किया।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी (जिला मैनपुरी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में पहली बार पचासों बार उठक-बैठक करने के बाद आपकी विशेष अनुकम्पा से अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिला। इसके लिए मैं आपका बड़ा ही अनुगृहीत हूं।

(इस समय १ बज कर ४० मिनट पर अधिष्ठाता श्री हरीशकुमार गंगवार पीठासीन हुए।)

सदन में दो दिन से शिक्षा अनुदान के सम्बन्ध में विचार विमर्श हो रहा है। कल मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी का भाषण सुना और कटौती के प्रस्ताव पर माननीय रामायण राय जी के भाषण को भी सुनने का सौभाग्य मिला। यह बात मैं बहुत सफाई के साथ और बेहिचक निवेदन कर देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने शिक्षा व्यवस्था के विषय में जो एक हल्की सी तस्वीर यहां सदन के सन्मुख रखी। मैं उसकी दिशा से, उसकी आत्मा से, उसकी स्प्रिट से पूर्णरूपेण असहमत हूं (विपक्ष की ओर से तालियां) साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो तालियां पीट रहे हैं, खुशी की बात है कि वे पीटें, लेकिन उनको बताना चाहता हूं कि

[श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी]

जनता और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की बुनियादी समस्याओं के बारे में सवाल उठाये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेसी राज्य के २० साल के जो कारनामे रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में ये बहुत कड़वे तजुर्बे के वर्ष रहे हैं, जो अभी कल माननीय रामायण राय ने बहुत सी बातें शानदार भाषा के माध्यम से कहीं और जिस तरह से माननीय मंत्री का भाषण हुआ उस पर चोट की। बहुत सी चीजों में मेरा विचार सामन्जस्य होते हुए भी मैं इस बात को सफाई से निवेदन करना चाहता हूं कि जो तरीका उन्होंने अख्तयार किया कल और आज माननीय नवल-किशोर जी ने जो तरीका अख्तयार किया, ये चतुर खिलाड़ियों के तरीके पिछले २० साल के कारनामों पर परदा डालने के लिये काफी नहीं हैं और आज जो नया कदम उठने वाला है प्रदेश की जनता की तरफ से उससे वह रुकने वाला नहीं है। हमारे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में कितनी अराजकता है, कैसी अव्यवस्था है, चाहे यूनीवर्सिटी एजूकेशन को लें, माध्यमिक शिक्षा को लें, तथा प्राइमरीज एजूकेशन को लें कोई भी स्थान तो ऐसा नहीं है जहां पर लोगों को सन्तोष हो। हमारी शिक्षा के जो स्तम्भ हैं, अध्यापक, विद्यार्थी प्रबन्ध समितियां या शासकीय अधिकारी, कहीं पर तो सन्तोष नहीं। चारों तरफ अराजकता का साम्राज्य है। अध्यापकों की स्थिति के बड़े आंकड़े पेश किये गये, हमारे भूतपूर्व शासकों ने आंकड़ों के जाल में अपने काले चेहरों के धब्बों को इस तरह लीपा पोती करने की कोशिश की कि सारे धब्बे धुल जायेंगे और उनका सफेद चेहरा सामने आ जायगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आजादी का आन्दोलन जिस समय चल रहा था मैं बहुत छोटा सा बच्चा था सन् १९४२ में, एक मेरा अध्यापक था मैं मिडिल में पढ़ता था, जब हम विद्यार्थियों ने अंग्रेजी के खिलाफ बातें कहीं, भावनायें जाहिर कीं, तो वह बोले कि बच्चों अंग्रेजी ने कितनी सड़कें बना दीं, कितनी रेलें चला दीं, यहां कितने स्कूल स्थापित कर दिये। बात बड़ी वजनदार थी। वैसे ही बात यहां भी दिखाई देती है। मेरा अपना खयाल है कि इस तरह आंकड़ों की लीपा-पोती से भूतपूर्व शासक आज विरोधी बेंचों के लोग जनता को गुमराह करना चाहते हैं। जो समस्यायें हमारे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की हैं उन को आंखों से ओझल कर देना चाहते हैं। यह मेरा सीधा सादा चार्ज है। आप ने बहुत किया उससे इन्कार नहीं है। आज प्रश्न यह है कि अध्यापक की क्या हालत है, हमारे प्रदेश में शिक्षा के विकास की क्या सम्भावनायें थीं? क्या सम्भव था? और आपने क्या किया? आज महंगाई बढ़ती चली गयी, अध्यापक तनख्वाह में कितनी बढ़ोत्तरी की? उसके आंकड़े पेश किये गये हैं, शिक्षा का इतना शौक हुआ, लेकिन उस सम्भावना और उस आवश्यकता के मुताबिक आपने कितने स्कूल चलाये? कितने टीचर्स अप्वाइन्ट किये? इस सारे चित्र को अगर हम देखें तो पायेंगे, कि हमारी जो जरूरतें थीं, उनके साथ यह मखौल है। और मैं कहना चाहता हूं सदन से कि आज के हमारे माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में, चाहे वे राजकीय विद्यालय हों या निजी विद्यालय हों, सभी जगह इतना जबरदस्त करप्शन, भ्रष्टाचार है, अराजकता फैली हुई है कि अगर सही तस्वीर हमारे सामने आती है तो शर्म से सर झुके बिना नहीं रहता है। मैं इस सिलसिले में अपनी निजी जानकारी के आधार पर मैनपुरी की राजकीय प्रशिक्षण संस्था का नाम पेश करना चाहता हूं। उसके प्रिन्सिपल महोदय द्वारा वहां सालों से जबरदस्त अव्यवस्था चलती रही, और उनकी बीसों मर्तबा शिकायत की गयी लेकिन लाल फीताशाही की वजह से बजाय इसके कि उसकी कुछ जांच की जाय, प्रिन्सिपल महोदय से जवाब तलब किया जाय, उसका इलाज क्या समझा गया कि तमाम टीचर्स को इधर-उधर हटा दिया गया। इसका परिणाम हुआ कि सारी व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई रिजल्ट गिर गया, और उस विद्यालय का नाम बिलकुल चौपट हो गया।

अब मैं आगरे का नाम लेना चाहता हूं। आगरा राजकीय इंटर कालेज के बहुत से ही विद्वान कहे जाने वाले प्रधानाचार्य की बड़ी शिकायतें हैं। उनके बारे में कई शिकायतें उच्च अधिकारियों के पास गयीं, वे चीजें पेश की गयीं लेकिन उसकी कोई जांच नहीं हुई। उसका समाधान क्या हुआ? वहां के १० अध्यापकों के साथ, जनता के धन के साथ, शिक्षा व्यवस्था के साथ, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया और करीब १० अध्यापकों का ट्रान्सफर

वहां से इधर-उधर कर दिया गया । लेकिन प्रधानाचार्य महोदय, अपने मुकदमें की पैरवी करते हुये, अपने घर का सारा काम काज देखते हुये, वहीं पर विराजमान हैं ।

जहां तक निजी शिक्षा संस्थाओं की बात है, मैं क्या बतलाऊं । प्रदेश के अन्दर जो निजी संस्थायें हैं, जो शिक्षालयों की प्रबन्धक समितियां हैं, वे किस तरह से अपना बिजनेस बनाये हुये हैं शिक्षा की यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है । अध्यापकों का आन्दोलन हुआ और उनकी तरफ से मांग की गयी कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये और इन निजी प्रबन्धक समितियों के हाथ से शिक्षा व्यवस्था ले लेनी चाहिये । क्योंकि ये अध्यापकों की जिन्दगी के साथ, शिक्षा के साथ, विद्यार्थियों की जिन्दगी के साथ, और राष्ट्र की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करती हैं । लेकिन क्या हुआ ? माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने जो भाषण दिया उसे सुन कर मुझे बड़ी गहरी निराशा हुई । इस सम्बन्ध में न कोई आश्वासन दिया गया, न जिक्र किया गया । उल्टे किया यह गया कि जिला परिषद् के अन्तर्गत काम करने वाले १००–१२५ रुपये पाने वाले प्रधान अध्यापक को बुलन्दशहर से बलिया भेज दिया गया । मैं समझता हूं कि सविदा के लिये यह शोभनीय नहीं है । हमें खुशी होती अगर सरकार यह कहती कि माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के अन्तर्गत जितनी निजी संस्थायें हैं उनको हम अपने हाथ में ले रहे हैं और अब उसकी सरकार व्यवस्था की तरफ से की जायगी ।

जहां तक वेतन-क्रम का सम्बन्ध है, कहा गया कि सरकार विचार कर रही है । विचार तो कांग्रेस सरकार भी करती थी और आप भी इस पर विचार ही कर रहे हैं । अगर छात्रों के बारे में, अध्यापकों के बारे में, शिक्षा नीति के बारे में इस नयी सरकार और शिक्षा मंत्री महोदय का यही रवैया रहा, तो पिछला इतिहास इस प्रदेश में दोहराया जायगा और दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकेगी । अध्यापक अपनी मांगों के लिये आपके विरुद्ध खड़े होंगे और इस प्रदेश के अन्दर एक तूफान वर्पा होगा, जो पिछली सरकार और इस सरकार के आश्वासनों की वजह से अब तक रुका हुआ है । कल हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा था कि वे जिलों में शिक्षा समितियां बनायेंगे । कैसी शिक्षा समितियां बनायी जायगी शिक्षा को ठीक तरह से चलाने के लिये, मेरी समझ में नहीं आया कि शिक्षा समितियों का संगठन कैसे होगा, और किस तरह की शिक्षा समिति बनायी जायंगी, उनका फंक्शन क्या होगा ? श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि क्या ये शिक्षा समितियां और उनका नामांकन उसी तरह से तो नहीं होने वाला है, जैसा कि सहकारिता के मध्य हुआ है ? अगर यह होगा तो इससे ज्यादा शर्म की बात कोई होने वाली नहीं है, आशा है कि शिक्षा मंत्री इस बात की सफाई देंगे । बी० टी० सी० के उम्मीदवारों के नामांकन का जहां तक प्रश्न है पहले सरकार की तरफ से कहा गया था कि उसमें नामांकन नहीं होगा लेकिन अब फरमाया गया चूंकि कुछ एप्लिकेशन आ गयीं इसलिये ऐसा किया जा रहा है । अगर ऐसा है तो फिर जो लोग रह गये हैं जिलों में दरख्वास्त देने से और जिनके पास एम० एल० ए० लोगों की सिफारिश नहीं थी उनको भी मौका मिलना चाहिये और इस प्रकार सभी को मौका दिया जाना चाहिये । भूले ही कहा जाय कि मेरिट के आधार पर नामांकन किया जायगा लेकिन मुझे पूरा शक है कि मेरिट के नाम पर भी पक्षपात होगा और इसके माध्यम से अपने लोगों को भेजने की साजिश होगी जो कि नई सरकार के लिये शोभनीय नहीं है और न सदन के लिये ही शोभनीय है ।

श्री जे० एन० सिन्हा (जिला सहारनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, आज मैंने शिक्षा मंत्री जी का भाषण शुरू से अन्त तक बड़े ध्यान से सुना । आम तौर पर बजट के दौरान सरकार अपनी नीतियों को बजाहत के साथ सदन के सामने प्रस्तुत करती है, पर शिक्षा मंत्री ने जो भाषण दिया उससे ऐसा लगा जैसे वह एक शिविर में बोल रहे हैं जो एक खास विचारधारा के लिए है और वहां पर उसका भाषण

[श्री जे० एन० सिन्हा ...]

हो रहा है । उन्होंने किसी नीति की बात नहीं बतलायी । उन्होंने यह भी कहा कि जो स्लेट पहले के लोग लिखकर छोड़ गये हैं उसे कैसे वह शुद्ध कर दें । अभी तक लोग कहा करते थे कि स्लेट ऐसी चीज है जिस को साफ करके नई चीज उस पर लिखी जा सकती है लेकिन मंत्री महोदय ने कहा कि स्लेट उनको ऐसी मिली है जिसको वह शुद्ध नहीं कर सकते । अगर आप कुल शुद्ध नहीं कर सकते थे तो ऊपर से थोड़ा सा मिटा कर कुछ तो उस पर लिखना शुरू कर देते ।

यह भी उन्होंने कहा कि पहले की सरकार ने कुछ ऐसा नहीं किया जिसमें विद्यार्थियों के विकास की बात होती । हमने ६ क्लास तक लड़कों की, १०वीं क्लास तक लड़कियों की फीस माफ की थी तो वह कम से कम ७ वें तक ही माफ कर देते जिससे लोगों को तसकीन हो जाता कि शायद आगे कुछ और यह सरकार कर सकेगी और जिन दुःखों को कांग्रेस सरकार ने पैदा किया है उनका अन्त यह सरकार कर सकेगी । उनका कहना है कि २० वर्ष तक शिक्षा रोगग्रस्त रही । मेरा कहना है कि उस बीमार शिक्षा के प्रोड्यूस ही माननीय मंत्री हैं जो आज उप मुख्य मंत्री बन गये हैं ।

हमारे एक भाई अभी बोल रहे थे उन्होंने खुद कहा कि मैं तो सन् ४९ में बच्चा था । वह भी उस रोगग्रस्त शिक्षा की पैदावार हैं जो आज यहां आ कर बोल सके । और भी बहुत से लोग हैं जो उस रोगग्रस्त शिक्षा की पैदावार हैं ।

हिन्दी की बात पर अभी नवलकिशोर जी ने कहा । केवल वर्गीकरण का हेरफेर कर सकें मंत्री जी । मैं भी एक अध्यापक हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि वर्षों से लोग हाईस्कूल में अंग्रेजी छोड़ कर और संस्कृत ले कर इम्तहान देते रहे हैं । पता नहीं समाचार पत्रों में कितने बड़े-बड़े अक्षरों में निकला कि अंग्रेजी आप्शनल होने जा रही है । कोई नीति का स्पष्टीकरण तो मंत्री जी ने किया नहीं । मैं समझता हूं वह केवल एक जगलरी है और कुछ नहीं ।

दूसरे जब मैंने उनका भाषण सुना तो मैं अर्ज करूं कि—

"बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का,
जो चीरा तो एक कतरए खूं न निकला ।"

समान कार्य, समान वेतन का बड़ा शोर मचाया गया । इलेक्शन के समय जनसंघ के लोगों ने इतना जहरीला वातावरण पैदा किया कि समान कार्य, समान वेतन वाली बात हो जायगी अगर हम जीत जायेंगे । लेकिन मुख्य मंत्री जी ने जब बजट भाषण दिया तो उन्होंने दो बातें कह दीं कि समान-सम न सुविधा स ान कंडीशन्स आफ सर्विस, यह जब तक न हो तब तक हम क्या करें । लेकिन मैं पूछता हूं कि जिन जनसंघ के अध्यापकों ने यह स्थिति पैदा कर दी थी कि ऐसा लगता था कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है । आज जब लोग उनसे पूछते हैं कि क्या होने वाला है तो कहते हैं कि भाई, क्या करें, हमारी पार्टी तो तैयार है लेकिन माननीय उग्रसेन और ऊधल भाई की पार्टी के लोग नहीं मानते हैं । अभी जगदीश नारायण भाई ने भुखमरी की बात की हालांकि उसका आज कोई मतलब नहीं है । लेकिन जब उन्होंने जिक्र किया तो मैं पूछता हूं कि भुखमरी का जब उस वक्त नारा लगाये थे तो आज वे कहां हैं । हमारे जमाने में तो जब फसल आती थी तो हमने २६ और २८ रुपये के भाव गेहूं बिकवाया है और इस सरकार की जो व्यवस्था है, उसके हिसाब से ५७ और ५८ रुपये गेहूं बिक रहा है ।

श्रीमन्, अनुशासन की तरफ भी शिक्षा मंत्री ने इशारा किया था । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसके बहुत से कारण हैं । माता-पिता की उदासीनता हो सकती है । एक विचारधारा वाली पार्टी तो बच्चों को यह सिखाती है कि तुम मां, बाप का कहना न मानो मगर हमारा कहना मानो इससे अनुशासनहीनता हो सकती है । इसके अलावा आज विद्यालयों के अन्दर बड़ी भीड़ है विद्यार्थियों की । अध्यापक पूरा ध्यान नहीं दे पाता । लेकिन एक और सबसे बड़ा कारण है इसका । आज विद्यालयों से से ग्राउन्ड खत्म हो गये हैं । आज बच्चों

के अन्दर जो एनर्जी है उसका आउटलेट नहीं है। अगर उनके अन्दर अनुशासन चाहते हैं तो प्ले ग्राउन्ड्स होने चाहिये। वहां टीम स्पिरिट की एक तरह से शिक्षा मिलती है और फिर जब वह जीवन के अन्दर पदार्पण करता है तो एक आदर्श नागरिक की हैसियत से आता है। लेकिन इसका इसमें कोई जिक्र नहीं है।

एक कमेटी की बात की गयी। मैं आपको बताना चाहता हूं, खासतौर से संसोपा और कम्युनिस्ट भाइयों से कि आज से ५-६ वर्ष पहले मुरादाबाद में आर० एस० एस० के अध्यापकों की एक कान्फरेन्स हुई थी। उसके अन्दर यह तय किया गया कि पहला कदम यह होना चाहिये कि अधिक से अधिक अध्यापक तैयार किये जांय और उन्हे शिक्षा संस्थाओं में लगाया जाय।

आज वे समझ लें कि कांग्रेस तो आपकी राय में दिखावटी समाजवाद की बात करती है लेकिन आप सचमुच में समाजवाद को लाना चाहते हैं तो कान खोलकर सुन लें जिस तरह से इटली में ब्लैक गार्ड्स छा गये थे, उसी तरह से ये संघ वाले छा जायेंगे और इटली का जो हश्र हुआ था, वह सबको मालूम है। इसी तरह से जनसंघ छा जायेगा और व ी हश्र आप लोगों का होगा और देश का न जाने क्या हाल होगा ?

मैं २ ३ सुझाव देना चाहता हूं। क्वांटिटी और क्वालिटी का जिक्र किया गया। मैं यह कहता हूं कि मंत्री जी ने जो कमेटी की बात कही तो उसके पीछे उनका कामप्लेक्स हो सकता है कि किस तरह से जनसंघ अपना प्रभुत्व लायेगा।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री जे० एन० सिन्हा—

मेरा सुझाव यह है कि डिस्ट्रिक्ट लेविल पर एक कमेटी बनाई जाय। उसमें एक इंसपैक्टर आफ स्कूल हों, दो मैनेजमेंट के और दो अध्यापकों के रिप्रेजेंटेटिव हों तथा दो प्रीन्सिपल वही कमेटी सारे विद्यालयों के टीचर्स का चयन करे और सूची हर विद्यालय को भेज दी जाया। उसके अन्दर से ही लोगों को रखा जाय तो यह सारे झगड़े और पक्षपात समाप्त हो जायगें।

प्राविंशियलाइजेशन की बात कहीं गई। जहां तक माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के प्रिन्सिपल की बात है तो यह ध्यान में रखा जाय कि मैनेजमेंट और टीचर्स दोनों के ऊपर कंट्रोल रखा जाय। नहीं तो यह होगा कि प्रिन्सिपल तो लद जायेंगे और अध्यापक वहीं रहेंगे। ग्रान्ट में मैनेजमेन्ट गोलमाल करने के लिये कहेगा और उसको करना होगा। इसलिये इसके साथ-साथ मैनेजमेन्ट और टीचर्स के ऊपर भी कंट्रोल रखना होगा तभी यह कामयाबी हो सकती है।

खाद्य उपमंत्री (श्री शमीम आलम)—

माननीय अध्यक्ष, मोअज्जिज मेम्बरान एवान, (व्यवधान) सदन को ऐवान कहते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय उपमंत्री जी आपको अधिष्ठाता कहना चाहिये था।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदन में बोलते समय सदस्य को केवल आपको सम्बोधित करना चाहिये। उन्होंने उसके साथ साथ अजीज दोस्तों, अजीज मेम्बरान, यह सब कहा तो उनको सिखा दीजिये कि सदन में इस तरह से बोला जाता है।

श्री शमीम आलम—

माननीय सदस्यों से मैंने यह सुना, उसका मैंने तर्जुमा कर दिया ।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री शमीम आलम—

मैं उप मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत शिक्षा विभाग के बजट का समर्थन करता हूं । लेकिन इसके साथ में शिक्षा मंत्री से निवेदन करता हूं, अर्ज करता हूं कि उन्होंने घोषणा की है कि हमारी शिक्षा की पालिसी में परिवर्तन होगा, तब्दीली होगी मैं अर्ज करता हूं कि तब्दीली बेहतरी के लिये होनी चाहिये । कहीं ऐसा न हो कि खराबी की तरफ हो जाय । हमारे साथियों को यह कहने का मौका मिले की देखो हम कहते थे कि तुम हमें वोट नहीं दोगे तो यह पावर में आ जायेंगे । "अब तो घबराकर यह कहते हैं कि मर जायेंगे मर कर भी चैन न पाया तो किधर जायेंगे ।" माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे जो सुझाव हैं जब वे अपनी नीति को अमली जामा पहनायें तो उनका खयाल रखें । मेरा पहला सुझाव तो यह है कि किसी ऐसे विद्यालय में जिसको सरकारी आर्थिक सहायता मिलती हो उसमें किसी धर्म और मजहब की तालीम नहीं दी जायेगी । ऐसी किताबें वहां नहीं पढ़ाई जायेंगी, जिससे किसी धर्म या मजहब का प्रचार होता हो । ख्वाह वह धर्म बहुमत का हो या अल्पमत का हो । मेरा दूसरा सुझाव यह है कि किसी विद्यालय के, जिसको सरकारी सहायता मिलती है, किसी विद्यार्थी को किसी गैर सरकारी संस्था के अधीन तरबियत लेने का हक नहीं होगा ख्वाह वह संस्था रजाकरों की हो या आर० एस० एस० की शाखायें । माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में हमारे नौजवानों की तारीफ की, उनकी प्रशंसा की ।

(इस समय २ बजकर ९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र पीठासीन हुये ।)

उन्होंने कहा उस कलंक के टीके को जो हिन्दुस्तान और चीन की जंग के दौरान लगा था, वह पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की लड़ाई में धो गया । मैं निवेदन करूंगा कि वह कलंक का टीका उस वक्त तक नहीं छूटेगा जब तक हम चीन से मादरे वतन, मातृभूमि की एक एक इंच जमीन खाली नहीं करवा लेंगे । इस सूरत से कलंक का टीका नहीं छूटता है । माननीय उप मुख्य मंत्री एवं शिक्षा मंत्री जी ने अपने भाषण में शिक्षा के महत्व का बयान किया । यह हकीकत है कि किसी कौम की किस्मत का दारोमदार, उसकी सोसाइटी का दारोमदार, उसके निजामे तालीम पर होता है, इस पर दारोमदार होता है कि वह अपनी नस्लों को कैसी तालीम देती है । हम को सही सही फैसला करना होगा कि हम को अपने नस्लों को कैसी तालीम देनी है । जिनके द्वारा हम को आजादी प्राप्त हुई, उन्होंने तय किया था कि भारत की हुकूमत सेक्यूलर स्टेट होगी, लामजहब हुकूमत होगी । तो अगर हम किसी दूसरी नीति पर चलते हैं तो पहले हम को अपना दस्तूर तस्मीम करना होगा । जब तक हिन्दुस्तान का दस्तूर है, कांस्टीट्युशन न है, कोई सरकारी पैसा ऐसी तालीम में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जो लामजहब तालीम न हो ।

कल इसी विभाग की बहसों के दरमियान, हमारा बड़ा दुर्भाग्य है, एक माननीय सदस्य ने यह कह दिया कि हम जो तालीम देते हैं कि अकबर महान था, अब तालीम देंगे महाराणा प्रताप महान् थे । इसी तरह से एक माननीय सदस्य ने औरंगजेब को सोशलिस्ट करार दे दिया । मुझे बड़ा दुख हुआ । यह महाराना प्रताप, अकबर का झगड़ा, शिवाजी और औरंगजेब की दास्तानों की कब तक चर्चा होती रहेगी ? कचहरियों में, तीन साल से ज्यादा हो जाय, तो मुकदमा टाइम बार्ड हो जाता है । क्या यह झगड़ा टाइम बार्ड नहीं हुआ ? कब तक ये झगड़े चलते रहेंगे ? मैंने देखा कि हमारे माननीय सदस्य तकरीर करते हुये बापू की तस्वीर की तरफ देखते हैं । मैं अर्ज करूंगा कि बापू का क्या सपना था, उनका क्या ख्वाब था । मैं अर्ज करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि बापू की रूह को खुशी मिले तो हर बच्चे को इस चीज को बार बार रटवायें "अल्ला

ईश्वर एक ही नाम, सबको सम्मति दे भगवान । "आपकी अपनी शिक्षा की पालिसी को निर्धारित करते हुये इस का पूरा पूरा ध्यान रखना होगा । अगर यह मकसद नहीं है तो सेक्यूलर स्टेट के खजाने का एक भी पैसा खर्च नहीं होना चाहिये। आज हमारे कांग्रेस के लोगों को उर्दू का भी खयाल आया, पिछड़ी हुई जातियों का खयाल आया, अक्लियत के हकों का भी एहसास हुआ। वह बतायें कि उर्दू का कातिल कौन है ? "बाद मरने के मेरे की उस ने कत्ल से तौबा हा उस जूद पशेमां का पशेमां होना।" अगर आज इनके दामन पर उर्दू का बदनुमा दाग न होता तो वह उधर न बैठकर इधर बैठे होते । मैं कांग्रेस सरकार के लोगों से जानना चाहता हूं कि शेड्यूल कास्ट्स को सरकारी मुलाजमत में १८ प्रतिशत की नुमाइन्दगी अभी तक क्यों नहीं दी गई ? आप लोग हमें बतायें कि आज कितने शेड्यूल कास्ट्स और छोटी जातियों के लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर हाईकोर्ट जज, आई० जी०, मुख्य मंत्री और दूसरे मुल्कों में भारत के राजदूत हैं ? मेरे खयाल से इसका जवाब आयेगा कोई नहीं। अब उर्दू की मांग की जा रही है कि इस प्रदेश की दूसरी भाषा उर्दू हो। मैं सामने से गुजरा तो मैंने देखा कि लोग बैनर भी लगाये हुये बैठे हैं। लेकिन मैं उन लोगों को यह पैगाम सुनाता हूं कि उनकी नुमाईन्दगी के ठेकेदार कांग्रेस के लोग उनके हकों के साथ अब तक सौदेबाजी करते रहे, लेकिन मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि अब उनके नये नुमाइन्दे इस प्रकार की सौदेबाजी नहीं करेंगे और वह करेंगे जो ठीक हो। ये लोग सबक सीखें उन चन्द लाख लोगों से जो पंजाबी को तो सरकारी दर्जा दिला सकते हैं, लेकिन करोड़ों लोग उर्दू को नहीं दिला सकते हैं।

श्री चेणी (जिला आजमगढ़)—

अब तक श्रीमन्, परम्परा रही है कि कोई सदस्य लिखित भाषण सदन म नहीं पढ़ता है, लेकिन श्री शमीम आलम जी पढ़ रहे हैं। आप इसे रोकें ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, वह लिखित भाषण पढ़ नहीं रहे हैं, कभी कभी देख लेते हैं । यह उनको अधिकार है, ऐसा वे कर सकते हैं ।

श्री शमीम आलम—

इसलिये मैं माननीय सदन के मेम्बरान से अपील करता हूं कि यह पवित्र सदन है, इसे कोई डिबेटिंग सोसाइटी न समझे और सदस्य लोग अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझें कि हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, इस सदन पर प्रदेश के करोड़ों लोगों की किस्मत का फैसला करने का बोझ है, इतने बड़े प्रदेश का इंतजाम इस सदन के द्वारा चलता है, इसलिये मैं चाहूंगा कि कोई भी फैसला लें, कोई भी बात हो तो वह जजबात की बात न हो, काफी दिलोदिमाग से सोच कर बात कही जाये और जो हमें कांस्टीट्यूशन बताता है, उसको सामने रखते हुये उसके मुताबिक ही हम फैसला लें और उसके बाद इस सदन में बात हो और पास हो । अपने इन सुझावों के साथ माननीय उप मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं ।

श्री जियाउर्रहमान (जिला उन्नाव)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शमीम आलम जी ने मेरा रास्ता कुछ आसान कर दिया है । मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं, जो माननीय रामायण राय जी की तरफ से रखा गया है । शमीम आलम जी ने कुछ आशायें, कुछ उम्मीद अपने एजूकेशन मिनिस्टर से बांधी हैं कि ऐसा होना चाहिये और इस तरह की शिक्षा होनी चाहिये और इस तरह की नहीं होनी चाहिये । इसका मैं तो उनको एक ही शेर पढ़कर जवाब देना चाहता हूं—हमें उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है ।

उपाध्यक्ष महोदय, उर्दू का मसला एक दर्दनाक दास्तान है। मैंने माननीय शिक्षा मन्त्री की पूरी तकरीर सुनी और उस तकरीर को सुनने के बाद जरा सा भी ताज्जुब मुझे नहीं हुआ

[श्री जियाउर्रहमान]

उनकी तकरीर पर, अलबत्ता मुझे मायूसी जरूर हुई। अलबत्ता मुझे मायूसी हुई, बहुत ज्यादा नाउम्मीदी हुई, ताज्जुब तो उनको होना चाहिए था जो उर्दू के नाम पर एलेक्शन लड़े हैं और ३३ प्वाइन्ट प्रोग्राम में उर्दू को शामिल करके शासन की कुर्सियों पर उस तरफ बैठे हुए हैं कि शिक्षा मन्त्री जी की पूरी की पूरी तकरीर में शुरू से लेकर आखिर तक उर्दू के मुताल्लिक एक लफ्ज नहीं था बावजूद इसके कि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब के भाषण में उर्दू के मुताल्लिक एक विजीलेन्स कमेटी मुकर्रर करने का तजकिरा है। मुझे यह मालूम हुआ है कि वह कमेटी बना भी दी गयी है। वह उर्दू चाहने वाले लोगों की शिकायतों की कि क्यों नहीं उसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाता, उसकी शिकायतों को मालूम करने के लिए कमेटी बनाई गयी है, लेकिन उसमें एक भी सदस्य ऐसा नहीं है जिसका उर्दू से ताल्लुक हो। एजूकेशन मिनिस्टर साहब उसके चेयरमैन हैं, लैंग्वेज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, डाइरेक्टर एजूकेशन और सेक्रेटरी एजूकेशन उसके सदस्य हैं। ये लोग उर्दू वालों के दर्द को क्या जानते हैं। उर्दू वाले क्या चाहते हैं। क्या वह उर्दू को वह जगह दिलाना चाहते हैं जो हिन्दी के लिए मुकर्रर हो चुका है और जिसके ऊपर कांस्टीटयूशन की मुहर लग चुकी है, क्या वह यह चाहते हैं। हरगिज नहीं। उर्दू सिर्फ जिन्दा रहने के लिए इस प्रदेश में अपनी जगह चाहती है। उर्दू वाले यह चाहते हैं कि वह लोग जिनकी जबान उर्दू नहीं है, वह उर्दू पढ़ सकें। वह लोग जो उर्दू बोलते हैं उनके लिए प्राविजन हो कि वह आगे बढ़ सकें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निहायत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि बावजूद इसके कि कांग्रेस की इंडिपेंडेंस के पहले यह पालिसी रही है कि उसने उर्दू के जिस मुकाम को हर मौके पर तसलीम किया है और बावजूद इसके कि कांस्टीट्यूशन में इस बात का प्राविजन रखा गया है कि दूसरी लैंगुएजेज के साथ-साथ उर्दू को डेवलप करने का पूरा-पूरा मौका हो और बावजूद इसके कि कांग्रेस सरकारों की तरफ से जो कमेटियां कायम हुई थीं वह चाहे नरेन्द्रदेव कमेटी हो, चाहे राधाकृष्णन् कमीशन हो, चाहे कोठारी कमीशन हो, सारे के सारे कमीशन ने अपनी रिपोर्ट्स में मादरी जबान में तालीम दिए जाने के उसूल को तसलीम किया है इसके बावजूद इम्प्लीमेंटेशन में कोताही और कमियां रही हैं, इसे हमें तसलीम करना चाहिए, ईमानदारी से उसको कबूल करना चाहिए। शमीम आलम जी ने कांग्रेस को उर्दू का कातिल कहा है लेकिन मैं कहता हूं कि कांग्रेस उर्दू की कातिल नहीं है। उपाध्यक्ष जी, उर्दू की एक दर्दनाक दास्तान है। सन् ४७ से पहले जो मुस्लिम लीग ने मुस्लिम कम्युनलिज्म फैलाया है उसी की जिम्मेदारी है कि उर्दू आजतक इस मुल्क में वह जगह नहीं पा सकी जो उसे मिलनी चाहिए थी और जो यकीनन मिलती। वह जबान जो जवाहरलाल नेहरू की जबान हो, फिराक गोरखपुरी और बिस्मिल इलाहाबादी की जबान हो, अबुल कलाम आजाद का यह बयान, जिसके लिए महात्मा गांधी ने यह कहा कि यह नान कोआपरेशन नानवायलेन्स पर लास्ट वर्ड है, जिस जबान में हो, उपाध्यक्ष महोदय, वह जबान आज अपने जिन्दा रहने का हक मांग रही है। मैं हमेशा उन में से रहा हूं जो बराबर इस बात को कहता रहा हूं कि लिंग्विस्टिक माइनारिटी को चाहे जो तादाद क्यों न हो अपनी मादरी जबान में प्राइमरी तालीम हासिल करने का माना हुआ हक है उसको तसलीम किया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, उर्दू सिर्फ एक चीज चाहती है और वह यह कि आप जो कुछ भी उसको हक देना चाहते हैं उसको कानूनी शकल दे दें। यह नहीं होना चाहिए कि वह सरकुलर में ही रह जाय। हम चाहते हैं कि आप इसमें आगे बढ़ें। इस सिलसिले में न किसी कमीशन के बनाने की जरूरत है और न किसी और इस बात की जरूरत है। सरकार एक फैसला कर लें कि हम उर्दू को यह हक देना चाहते हैं और कांस्टीट्यूशन की दफा ३४५ या ३४६ के मुताबिक यह डिक्लेयर हो कि इन मकसदों के लिए उर्दू सेकिंड लैंग्वेज है।

मैं शमीम आलम साहब से अर्ज करूंगा कि इसी गर्ज को लेकर आपने वोट हासिल किया है और इसी प्रोग्राम को लेकर आप एस० वी० डी० में शामिल हुए हैं। हकूमत में इसी चीज को ले कर आए हैं। हम इस बुनियाद पर इस सदन के अन्दर नहीं आए हैं। आपकी यह जिम्मेदारी है कि उस चीज को पूरा करें। आपने जिस जिम्मेदारी को अपने कन्धों पर लिया है और इस

हकूमत की कुर्सी पर जाकर बैठे हो तो उसको पूरा करें। आप हमसे पूछते हैं। जिस वक्त मैं हकूमत में बैठता था उस वक्त भी इस बात को कहता था और उस हकूमत ने इस बात को तसलीम किया था लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की कमजोरी रही। हम बराबर उसके लिए लड़ते रहे हैं कि हम उसको वह हक कानूनी दिलायेंगे जिसके लिए भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री, नवाब किशोर जी ने ऐलान किया है। मैं इस बात के हक में हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जो इसका हक है वह इसको दिया जाय और उसको कानूनी शक्ल दी जाय। आज मैं पूछता हूं कि आपने कोई नई बात की? मैं उर्दू को इसलिए इम्पार्टेंस नहीं देता कि महज मैं एक जबान का जानने वाला हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निहायत अदब के साथ यह अर्ज करना चाहता हूं कि उर्दू का डेवलपमेंट में इस प्रदेश में तीन दृष्टि कोणों से जरूरी समझता हूं। सब से पहला सवाल तो यह है लिंग्विस्टिक माइनारिटी जिसके दिलों में यह खयाल है कि उर्दू को उसका जायज मुकाम नहीं मिला है वह चाहे जितनी कम तादाद में इस मुल्क के रहने वाले हों, इस मुल्क के बाशिन्दे हैं तो उनके सेंटिमेंट को तसकीन मिलनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि वह जबान जिसको हम लिंक लैंग्वेज के रूप में डेवलप करना चाहते है, वह जबान जिसको हम हिन्दी भाषा के रूप में डेवलप होते हुए देखना चाहते हैं उस जबान के डेवलपमेंट की तरफ, उस जबान को सारे मुल्क में मान्यता दिये जाने का विशेष हल यह है कि उसकी तरफ आप तवज्जह करें। महात्मा गांधी और आचार्य नरेन्द्रदेव ने जो कहा है, उस विषय में रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। उन्होंने वक्तनफवक्तन यह बात कही है कि वे लोग जो अरबिक या फारसी से भरी हुई उर्दू बोलते हैं या वे लोग जो संस्कृत से भरी हुई हिन्दी बोलते हैं, डिसकंटिनू कर रहे हैं इसलिये कि यह इस मुल्क की जबान नहीं है। वह इस मुल्क की जबान फेंका नहीं है। मैं यह अर्ज करना पड़ता हूं कि आज वक्त आ गया है एक राष्ट्रीय जबान ऐसी डेवलप हो, ऐसी जबान तरक्की करे जो सारे मुल्क के लिए काबिले कबूल हो। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपको वह वक्त याद दिलाना चाहता हूं जिस वक्त १५ वर्ष पूरे होने के बाद गवर्नमेंट आफ इंडिया ने यह फैसला किया था कि अंग्रेजी खत्म कर दी जाय। और उस वक्त अंग्रेजी के खात्मे पर साउथ इंडिया में हिन्दी के खिलाफ एक जबरदस्त एजीटेशन उठा था। उस एजीटेशन को मैं गलत समझता हूं। हिन्दी और उर्दू इस मुल्क की करीब की जबानें हैं और कोई दूसरी दो जबानें इतनी करीब नहीं हैं। मैं समझता हूं कि हिन्दी को इस मुल्क की जबान बनने का हक है लेकिन एजीटेशन चलाने वालों ने कहा था कि आप उस जबान को लाइए जो महात्मा गांधी की जबान थी। वह हमारे लिए काबिले कबूल होगी। जो तुम हिन्दी के नाम पर अजीबोगरीब जबान हमारे सिरों पर लादना चाहते हो वह हम तो हम हिन्दी बोलने वालों के पल्ले भी नहीं पड़ती। हम आज किस दिशा में जा रहे हैं? रोजमर्रा की जिन्दगी में जो लफ्ज हमारे काम आते हैं वे आज उड़ते चले जा रहे हैं। हम एक एक कर के अपने अल्फाज के सोतों को बन्द करते चले जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह सोतों को डेवलप करने का सवाल है और अगर हम ने उन सोतों को बन्द होने दिया तो वह बड़ा दरिया, जो चढ़ा हुआ दरिया है वह एक दिन खुश्क हो जायगा और सारे सोते खुश्क हो जायेंगे, इसलिए भी उर्दू पढ़ाना जरूरी है।

तीसरी वजह जिनकी बिना पर मैं उर्दू की पढ़ाई और उसकी तरक्की का हामी हूं, यह है कि उर्दू एक मिली जुली तहजीब की नुमाइन्दगी करती है जिसको मुख्तलिफ तहजीबों, जबानों और मजहबों के मेल-जोल ने जन्म दिया है और जो हमारी सेक्युलर पालिसी के मुताबिक है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक दो बातों की ओर मैं आपका ध्यान और दिलाना चाहता हूं। हमारे अफीम आलम साहब ने बहुत सी बातें कह कर मेरा भार हल्का कर दिया है। मुझे कुछ शुबहा माननीय शिक्षा मन्त्री जी की तकरीर से पैदा हुए हैं। आप की जो पोलिटिकल फिलासफी है, जो सोचने का ढंग है वह शिक्षा में किस किस्म की तब्दीलियां लाएगा? डेढ़ हजार साल पुरानी प्राचीन सभ्यता को वापस लाने का ख्वाब देखने वाले लोगों में क्या इतनी क्षमता होगी कि इस मुल्क में बसने वाले, हर जबान बोलने वाले, हर दृष्टिकोण रखने वाले और मुख्तलिफ तहजीब मानने वालों को उस में समोया लिया जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं

[श्री जियाउर्रहमान]

शमीम आलम साहब की तारीफ करना चाहता हूं इसलिए कि उन्होंने उन बेंचेज पर बैठ कर भी इतनी सफाई से बात की। इसलिए भी कि उनकी जबान से सही बातें निकल जाती हैं। आज खतरा है इस बात का कि कांस्टीट्यूशन में जिस सेकुलरिज्म को लाने की बात कही गयी है उस का ठेका ले रखा है उन लोगों ने जो कम्यूनल हैं। हो अम्मनहाबिक राज कायम करने की बात कहते हैं। कांस्टीट्यूशन में दिया है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है लेकिन उन एडेड इंस्टीट्यूशन्स में यदि कोई उस धार्मिक शिक्षा में हिस्सा न लेना चाहे तो उसे मजबूर नहीं किया जायगा। आज खतरा है कि उस प्राचीन सभ्यता के नारे के साथ हमारे कांस्टीट्यूशन की वह मान्यतायें भी, जिन पर हम पिछले बीस साल से अमल करते चले आ रहे हैं, भले ही उसके अमल में खामियां रही हों, उन पर अमल नहीं हो पाएगा।

दूसरी बात मैं टेक्स्ट बुक्स के मुताल्लिक कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं नैतिक शिक्षा के पक्ष में हूं, उसका उत्थान होना चाहिए। मैं समझता हूं कि कोई भी सोसाइटी इखलाक को उसूलों के बगैर चल नहीं सकती और इखलाकी तालीम बड़े पैमाने पर हो। लेकिन उसका आधार क्या हो? हमारे मुख्तलिफ सम्प्रदायों, मुख्तलिफ फिरकों, मुख्तलिफ मजहबों से मंथन किया हुआ वह अमृत हो। वह अमृत जिसको भी दे दिया जाय वह समझे कि यह हमारा है। मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से निहायत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि वह अपने कोर्सेज की किताबों को देखें और उनमें ऐसी चीजों को न आने दें और अगर हों तो निकाल दें। जिनसे किसी विशेष धर्म या सम्प्रदाय का प्रचार होता है। हिस्ट्री के सब्जेक्ट का खास तौर पर जिक्र आया। मैं विस्तार से उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन सौ डेढ़ सौ साल की हमारी जो गुलामी के उस दौर में, अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों ने एक खास मकसद से चाहे ले पूल हो या स्मिथ जैसे हिस्टोरियन हों, चाहे अंग्रेज के जरिए से सर का खिताब पाया हुआ सर यदुनाथ सरकार जैसे हिन्दुस्तानी हिस्टोरियन हो, उन्होंने हमारी हिस्ट्री का ऐसा रूप पेश किया है जो उनके मकसद को हल करने वाला था और वह इस मुल्क में बसने वाली मुख्तलिफ जमाअतों और फिरकों को उसके जरिए आपस में लड़ाते और हुकूमत करते रहे। हमें सोचना पड़ेगा कि हम अपनी हिस्ट्री की किताबों को किस तरीके से लिखेंगे। हमें हिस्ट्री का वह स्वरूप बनाना चाहिए जिससे दिलों में मुहब्बत बढ़े न कि नफरत पैदा हो। हिस्ट्री पढ़ना हो तो पढ़ो डाक्टर ताराचन्द को, डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद को। उन्होंने हिस्ट्री के वाकयात का वक्तन-फवक्तन सही तस्वीर खींची है। मैं इन सब चीजों को बड़े दर्द के साथ कह रहा हूं, लेकिन मुझे इन सब चीजों का हर्ष मालूम है और मैं जानता हूं कि आखिर में फिर वही शेर दोहराना पड़ेगा। इन सारी उम्मीदों, आशाओं, आकांक्षाओं के बावजूद भी मैं यह जानता हूं कि मैं भी वही गलती कर रहा हूं जिस गलती को करके भाई शमीम आलम उस कुर्सी पर जाकर बैठे हैं कि !

"हमको उनसे वफा की है उम्मीद
जो नहीं जानते वफा क्या है।"

श्री दलसिंह (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा क्षेत्र में फैले हुए भ्रष्टाचार और गिरावट की तरफ सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी तक इतने दिन हो गए हैं, जब से बजट पर यह बहस हो रही है तो जो भी विरोधी पक्ष की ओर से माननीय सदस्य खड़े होते रहे हैं उन्होंने अपने भाषण में सबसे पहले जनसंघ की आलोचना की है और कहा है कि जनसंघ ने कम्युनिस्टों से सांठ-गांठ करके यह मन्त्रिमण्डल बनाया है जबकि जनसंघ कम्युनिस्टों को पंच-मांगीय कहता था, लेकिन मैं मान्यवर, यह कहना चाहता हूं कि इन कांग्रेसियों से तो कम्युनिस्ट बहुत ही अच्छे हैं। ये जितने देश के लिए घातक हैं उतने कम्युनिस्ट घातक नहीं हो सकते। वास्तव में जबसे स्वतन्त्रता प्राप्त हुई उसके बाद से केवल इतना ही परिवर्तन आया है कि गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज आ गए। स्वतन्त्र भारत में राम और श्याम पराए बना दिए

गए। हमारी संस्कृति और उसकी प्रक्रियां उपेक्षित हो गयीं। राष्ट्रभाषा को विदेशी भाषा की चेरी बनाकर रखने की कोशिश की गयी। देश का सम्मान, मर्यादा सब नीलाम होती रही। हमारे सांस्कृतिक, आर्थिक रचना तथा उसकी प्रतीक स्वतन्त्रता मास्को, लन्दन और वाशिंगटन की गलियों में भिखारिणी बनाकर भटकती रही। कांग्रेस की गलत नीतियों और गलत योजना से देश में भ्रष्टाचार फैल गया और जितने भी इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड इत्यादि थे वह सारे मन्त्रियों के फार्म पर ही प्रयोग होते रहे हैं। कृषकों को वह देखने को ही नहीं मिला कि वह क्या चीज है और उसकी क्या उपयोगिता है।

मान्यवर, १९६१ से १९६५ तक कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर का छात्र रहा हूं। दक्षिण भारत में भी घूमा हूं। वहां पर पूना में मैंने देखा कि छोटे-छोटे तालाबों को बराबर करके सिंचाई के लिए एक बहुत बड़ा बांध बनाया गया।

(व्यवधान)

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

माननीय सदस्य शिक्षा अनुदान पर बोल रहे हैं या सिंचाई अनुदान पर, यह मैं व्यवस्था चाहता हूं।

श्री दलसिंह—

तो मैं यह कह रहा था कि वहां पर एक बहुत बड़ा बांध बनाया गया। वह बांध टूट गया और उसका नतीजा यह हुआ कि सैकड़ों गांव बह गए। हमारी कांग्रेसी सरकार ने भी इसी प्रकार की बड़ी बड़ी योजनाओं की ओर ध्यान दिया। जब पानी दिया तो छप्पर फाड़ कर दिया, नहीं दिया तो बिल्कुल नहीं। विकास मन्त्री जी ने बड़ी-बड़ी योजनाओं की ओर ही ध्यान दिया और इसलिए दिया कि विकास मन्त्री का विकास हो। बड़ी-बड़ी योजनाओं से ही उनका भी विकास हो सकता था। बड़ी योजनायें बनीं और उनका विकास होता रहा।

मैं मान्यवर, शिक्षा अनुदान पर आता हूं। शिक्षा की तरफ जो ध्यान जाना चाहिए था वह नहीं दिया गया। आप किसी भी जिले में गांव में जाकर देखें चाहे प्राइमरी स्कूल को देखें, चाहे जूनियर हाई स्कूल को देखें, वहां स्कूलों की दशा इतनी गिरी हुई है कि जब पानी बरसता है तो छात्रों को भाग जाना पड़ता है। कहीं झोंपड़ी में स्कूल है, तो कहीं मैदान में ही लगा है। जो शिक्षा में आज कमी दिखाई दे रही है, अगर यह न होती तो आप कांग्रेस को इधर से उधर जाकर न बैठना पड़ता।

मान्यवर, कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर आज किस पैटर्न पर चल रहा है वह मैं बता रहा हूं। उसका उद्देश्य यह था कि वहां से ऐसे छात्र निकलें जो कृषि के बारे में विशेष योग्यता रखते हों, कृषि के विषय में उनको भरपूर ज्ञान हो। हमारी सरकार ने यह घोषणा भी की है कि राष्ट्र भाषा हिन्दी है। मैं पूछता हूं कि जब वह यूनिवर्सिटी स्थापित हुई थी तो उस वक्त किस की मिनिस्ट्री थी जिनके समय में वहां कृषि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। वह चीजें जो अंग्रेजी में लड़कों के समझ में नहीं आती थीं अंग्रेजी में ही पढ़ाई जाती थीं। इसी कारण से एशिया भर में से जब कि ५२ हजार एप्लीकेशन्स आयीं थीं २५० लड़के लिए गए थे और उनमें से केवल ८० छात्रों ने ही डिग्रियां प्राप्त कीं। यह केवल अंग्रेजी के ही कारण इतने कम लड़के उत्तीर्ण हुए। क्या यह आवश्यक नहीं था कि यह शिक्षा हिन्दी में दी जाती है। श्रीमन्, एक प्रश्न १९५६ में यह पूछा गया कि "यदि ग्रोथ आफ पापुलेशन इन ए मींस टू इंडियन प्रापर्टी" इसमें शब्द "मींस" को छात्र अंग्रेजी का ज्ञान कम होने के कारण शब्द "मीन्स" पढ़ गया और उसके कारण उसका सारा उत्तर ही गलत हो गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार की जो नीति शिक्षा की रही है वह गलत रही है। जिला परिषदों के जो विद्यार्थी होते हैं तो

[श्री दलसिंह]

आप एक भी ऐसा उदाहरण नहीं दे सकते हैं कि कोई भी विद्यार्थी ४९ नम्बर का छोड़ दिया गया हो और ४ नम्बर का ले लिया गया हो। मैं दावा करता हूं कि ऐसा कोई उदाहरण नहीं है।

यहां पर किसी भी प्रकार की शिक्षा के सम्बन्ध में ऐसी बात नहीं है। विश्वविद्यालय और विशेषकर राजधानी लखनऊ की लखनऊ यूनिवर्सिटी की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यहां पर बड़े-बड़े योग्य प्राध्यापकों को ठुकराया गया है और अयोग्य प्राध्यापकों को नियुक्त किया गया है और प्रोमोशन्स दिए गए हैं। माननीय गुप्ता जी ने टेलीफोन पर ऐसे प्राध्यापकों की नियुक्ति कराई है जो इंफीरियर या जूनियर थे। कुछ अध्यापक ऐसे हैं जिनको सुपरसीड कराया गया है। उनको निराश बना दिया है जैसे डा० भोलानाथ चतुर्वेदी--अंग्रेजी विभाग, सुशील चन्द्र, समाज शास्त्र विभाग, सेवा राम शर्मा, समाज सेवा विभाग, डा० कासील, उर्दू विभाग, शम्भूनाथ झा, शिक्षा विभाग, डा० कृपाशंकर शुक्ल गणित विभाग, डा० शिवशंकर मिश्र संस्कृत विभाग, डा० जी० एस० वर्मा, बोटैनी विभाग, डा० रामदुलारे, रसायन विभाग, पं० हरिकृष्ण अवस्थी, डा० हीरालाल त्रिलोकी नारायण दीक्षित। डा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित ने हिन्दी में एम० ए०, एल० एल० बी०, पी० एच० डी०, डी० लिट्० किया है और शास्त्री हैं। इतनी उपाधियां उन्होंने प्राप्त की हैं, कई डिप्लोमा लिए हैं, १६ पुस्तकें लिखी हैं। वे भास्को यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं। जो भास्को यूनिवर्सिटी में ढाई हजार रुपया पा सकता है क्या वे लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी नहीं हो सकते हैं। डी० डी० गुप्ता जी से प्रार्थना की गई कि मेरा भी प्रोमोशन होना चाहिए, मुझे रीडर बनना चाहिए। इस पर डी० डी० गुप्त ने कहा कि आप से चन्द्र भानु गुप्त नाराज हैं, इसलिए आपको रीडर नहीं बनाया जा सकता है। तो मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसकी जांच की जाय। अगर मुख्य मन्त्री के बल पर ही डी० लिट्० या डी० एस०, सी० करने वाला व्यक्ति बेकार हो जायगा, टेलीफोन पर ही प्राध्यापकों की नियुक्ति कर दी जायेंगी। तो शिक्षा का स्तर काफी गिर जायगा और भारत पतन के गड्ढे में गिर जायगा। समय बहुत कम है वरना मेरे पास सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं प्वाइन्ट हैं जिनको मैंने टाइप करवा लिया है। मैं आपको दे दूंगा आप जांच करा लें। कोई गलती हो तो जो वैधानिक दण्ड हो उसको मैं भुगतने के लिए हमेशा तैयार हूं।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, पांच मिनट का समय दे दें तो सारी फिगर्स आपके सामने रख दूं।

श्री उपाध्यक्ष--

बहुत से लोगों को बोलना है, इसलिये आप शीघ्र समाप्त करें।

श्री दलसिंह--

जो गुप्ता अभिनन्दन ग्रंथ लिखा गया है उसमें सहायक प्रबन्धक और प्रबन्धक पद पर भी एक व्यक्ति को जूनियर होते हुए भी स्थायी पद पर रक्खा गया। स्थायी इसलिए कर दिया कि स्वयं अनुभव का सर्टिफिकेट दे दिया और कह दिया कि स्थायी पद पर इनकी नियुक्ति कर दी जाय जो सुशील और प्रभावशाली हैं, उनकी नियुक्ति नहीं की गई। थीसिस की जो चोरियां हो रही हैं, उनको मैं लिखित रूप में दे सकता हूं। २७ जून १९६६ में यह समाचार स्वतन्त्र भारत में प्रकाशित हुआ था जिसका केस कुलपति और उपकुलपति के विचाराधीन है और उसका निर्णय नहीं किया गया है। मैं यह भी कह सकता हूं कि इसमें भूतपूर्व मुख्य मन्त्री का हाथ है। वे इस समय यहां मौजूदा नहीं, वनीमें पूछता। अगर मेरी बात गलत निकल जाय तो मैं सदन से पांचों सालों के लिए त्यागपत्र दे दूंगा। मैं आपको लिखित दे सकता हूं। इसका साईक्लोस्टाइल मेरे पास है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इतने भारी फैक्ट्स को आपके सामने रख सकूं। मैं इतना कहकर अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे भूतपूर्व वक्ता बड़े जोरों के साथ कह रहे थे कि अगर कांग्रेस अपने आदर्श पर चली होती तो वहां से यहां ये न बैठे होते जनता उनको शासन सत्ता देती। लेकिन वे भूल कर रहे हैं। जनता ने उन्हें यहां नहीं बिठाला। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि वे माननीय मुख्य मन्त्री और उप मुख्य मन्त्री को इस बात की सलाह द कि गवर्नर को कहें कि असेम्बली भंग कर दो और आइये उत्तर प्रदेश की ८ करोड़ जनता के बीच में १९-सूत्री प्रोग्राम लेकर, तब मालूम हो जायगा कि जनता किसको कहां बैठाती है। (शोर)।

मैंने माननीय उप मुख्य मन्त्री के भाषण को सुना। एक माननीय सदस्य ने अभी कहा कि कांग्रेसी अपोजीशन में जनता द्वारा भेज दिये गये। माननीय शिक्षा मन्त्री को भाषण शिक्षा बजट पर नहीं जनसंघ के प्रचार का भाषण था एक मायने में। मैं जानता हूं कि वह पढ़े-लिखे, नवयुवक हैं, सुशील हैं, व्यवहार अच्छा है। मैं उन के भाषण को आपके सामने पढ़कर सुनाता यदि समय काफी होता, लेकिन कोई भी विद्यार्थी जो शिक्षा में रुचि रखेगा वह यह बतला देगा कि उनका भाषण राजनीतिक था चुनाव भाषण था, शिक्षा के ऊपर नहीं था। मैं अपने जनसंघी भाइयों से नहीं कहता, मैं उन समाजवादी भाइयों और साम्यवादियों से कहना चाहता हूं जो देश में समाजवाद की, वर्गविहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं, मैं उन सफेद टोपी-वालों से कहना चाहता हूं जो कांग्रेस छोड़ कर जन-कांग्रेस में गये हैं, कि सावधान हो जाइये, वह घुन तुम्हारे अन्दर भी लग गया है, कहीं ऐसा न हो कि भारत की अखन्डता का प्रचार करने वाले, भारतीय संस्कृति के आधार पर सामन्तशाही का प्रचार करें और उन के हाथ में आकर भारत की गणतांत्रिक परम्परा को नष्ट करने में आप भी सहायक उन के साथ हो जावें। माननीय शिक्षा मन्त्री कहते हैं कि हम एक नये समाज की स्थापना करना चाहते हैं। कैसा समाज होगा, किस दिशा में वह समाज जायगा, इस का कोई संकेत उन की ओर से नहीं किया गया। जिनका समाजवाद पर विश्वास नहीं है, योजना पर विश्वास नहीं है और प्रजातंत्र पर कोई यकीन नहीं है, वे १९-सूत्री प्रोग्राम तो दूर रहा, आप भी प्रदेश के विद्यार्थियों और शिक्षकों को गुमराह करके एक ऐसे रास्ते पर ले जाना चाहते हैं जिसका न कोई दरवाजा है और न कोई मंजिल है। वे उन को उधर ले जाना चाहते हैं। जिधर जाने से कोई लाभ नहीं होगा और वे हमेशा के लिए गडढे में गिर जावेंगे। जनतन्त्र की बुनियाद पर सब से बड़ा कुठाराघात कर रहे हैं माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब। इन की नजर जिला परिषदों के स्कूलों की तरफ गई। मैं नहीं जानता कि जनसंघ की वहां कोई शाखा या अस्तित्व है। सन ५२ से आज तक देश की भोली-भाली जनता को ये गुमराह करते रहे हैं। गो-हत्या के नाम पर वोट मांग कर आते रहे हैं। यह कह कर कि कांग्रेस गो-हत्या करा रही है, हम गो-रक्षा करेंगे, इस पर वे वोट मांग कर यहां आये हैं। यह बात बहुत दिन चलने वाली नहीं है। कौन सा प्रस्ताव आप यहां लाये कि गो-हत्या बन्द हो? कभी आप ने यहां कहा कि हम गो-हत्या के नाम पर चुन कर आये हैं और अब उसे बन्द करते हैं। किसी प्रकार की कोई चर्चा तक जनसंघ के लोगों ने यहां गो रक्षा पर नहीं। इसलिए वह जानते हैं कि सन ५४ से कांग्रेस ने गो-हत्या समाप्त कर दी।

एक सदस्य—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जन संघ के लोग न तो गो-बध बन्द कराने के नाम पर वोट मांग कर आये हैं और कांग्रेस ने गो-बध बन्द कराने के नाम पर....

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपा कर आप बैठें।

श्री धर्मवीर—

स्वामी ब्रह्मानन्द जी, जिन्होंने वास्तव में गो रक्षा अभियान का नेतृत्व किया, जेल गये, और एक रचनात्मक कार्यकर्त्ता हैं तथा जो हमीरपुर से लोक सभा के सदस्य हैं, उन से मेरी बातें हुयीं। उनका हृदय दुख से भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि तीन आदमी केन्द्रीय सरकार द्वारा गोहत्या के प्रश्न पर बनने वाली कमेटी में गो रक्षा अभियान समिति से भेजना था। तो तीन सदस्य भेजने में उनमें आपस में खींचा तानी थी। जनसंघ-घबरा गया कि अब गय होगा। अरे यह तो केन्द्रीय सरकार कांग्रेस की है वह गोहत्या समाप्त करने जा रही है अगर कहीं मिड-टर्म इलेक्शन हो गया या ७२ के इलेक्शन में, हम किस के नाम पर जाकर वोट मांगेंगे? ऐसा करो कि यह कमेटी भंग हो जाय। यह भावना है इन में — स्वामी जी ने कहा कि अगर इस कमेटी को भंग करने की कोशिश की तो मैं खुद जनता में जाकर इस बात का एलान करूंगा कि गो-हत्या के नाम पर वोट मांगने वाले खुद गो-हत्या कराते हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि कांग्रेस के शासन में जिला परिषद् के स्कूलों में शिक्षा का कोई विकास नहीं हुआ। शिक्षा मन्त्री का आक्षेप कि परिषदों के स्कूलों के भवन निर्माण नहीं हुए। लेकिन जिस प्रदेश में ६०,००० विद्यालयों में ९४ लाख विद्यार्थी पढ़ते हों, यह कांग्रेस की ही देन है जिस ने सब से पहले निश्चय किया कि हम देश में साक्षरता फैलावेंगे और लोगों को शिक्षित कर देंगे। हो सकता है धनाभाव से हम भवन निर्माण न कर सकें, लेकिन भवन नहीं है तो प्राचीन काल में जैसे ऋषि-मुनि गुरुकुलों में शिक्षा पढ़ाते थे, हम पेड़ों के नीचे बच्चों को शिक्षा देंगे,। लेकिन हम शिक्षा का प्रसार रोकेंगे नहीं, जब तक सभी शिक्षित न हो जायं, यह कांग्रेस का दृढ़ निश्चय है। लेकिन यहां आज आर० एस० एस० की शाखा जमाने के लिए हेडमास्टरों का ट्रान्सफर किया जायगा। अगर वे आर० एस० के सिद्धान्तों में यकीन करेंगे तो बरकरार कर दीजिये, अगर नहीं तो उन्हें बलि का बकरा बनाया जायगा। यह शुरूआत है जनसंघ का प्रभाव बढ़ाने का। मैं अपने समाजवादी और साम्यवादी भाइयों से कहना चाहता हूं, सावधान करता हूं कि तुम इस काबिल नहीं रहोगे कि गांव में जाकर समाजवादी व्यवस्था के नाम पर वोट मांग सको। जिस प्रकार की भूमिका बनायी जा रही है उसका एक ही उद्देश्य है कि गांव-गांव में आर० एस० एस० और जनसंघ का प्रचार करो ताकि आगे हम अपनी कुर्सियां बनाये रखें।

भाषा के नाम पर हिन्दुस्तान में कुछ दिनों से एक ऐसा नासूर पैदा हो गया है कि लगता है हिन्दुस्तान चैन की सांस न ले पायेगा। भाषा के नाम पर कुछ अच्छी चीज नहीं। महात्मा गांधी ने, कांग्रेस ने, हिन्दुस्तान के हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हरिजन, बैकवर्ड ,सब को मिलाकर एक साथ भारतीय रूप देकर चलना चाहा था और यही सबक हमको सिखाया था गांधी ने, कांग्रेस ने, हिन्दुस्तान के हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हरिजन, बैकवर्ड, सबको मिलाकर एक साथ भारतीय रूप देकर चलना चाहा था और यही सबक हमको सिखाया था और उस पर अमल भी किया। कांग्रेस वह संस्था है। लेकिन जनसंघ यह संस्था है जिस का उसूल है कि अगर हरिजनों और पद दलितों को उठाने के लिए कोई हाथ उठावेगा, तो उसका हाथ तोड़ दिया जायगा तथा इनको छाती से लगाने के लिए जो आगे बढ़ेगा उसका सीना बापू की तरह गोलियों से छलनी कर दिया जायेगा। मैं साम्यवादी तथा समाजवादी भाइयों से कहना चाहता हूं, कि मत आप हमारे साथ आकर बैठिये, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उनकी नीतियों का आधार देखें, और चेतें।

यहां पर माननीय उग्रसेन ऐसे भीष्म पितामह बैठे हुये हैं, जानते हैं कि कौरव अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन उन में हिम्मत नहीं है कि उनके सामने कुछ कह सकें। माननीय उग्रसेन जी अब पीछे बैठने लगे हैं। मैं उनसे कहता हूं कि महाराज, आगे आकर बैठिये। लेकिन आप लगातार ही पीछे जा रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस है, मैं आपके लिए हमदर्दी रखता हूं।

माननीय उपाध्याय जी, वोट के समय हरिजनों को भी इन लोगों ने गले लगाया था और उन से भी कहा था कि हरिजनों तुम गो-हत्या के नाम पर हमें वोट दो, समाजवादियों ने भी

और साम्यवादियों ने भी उन से वोट मांगा था और उनको अपना भाई माना था। लेकिन महात्मा गांधी और जवाहर लाल जी के जमाने में जो उनको आर्थिक-सामाजिक, शैक्षिक सुरक्षायें प्रदान की गयी थीं, आज दिखायी दे रहा है कि इन दलों द्वारा उस पर कुठाराघात किया जा रहा है। समाजवादी नेता, डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने कई बार कहा था कि हम हरिजनों को ६० प्रतिशत की नुमाइन्दगी देंगे। लेकिन आज उनका भी अंकुस इस शासन पर नहीं रहा है। यह उस से स्पष्ट हो जाता है जो राम प्रकाश जी ने हरिजन कल्याण विभाग के लिए किया है और शिक्षा के अनुदान के समय जो खुद उन्होंने कहा है। उस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। १९ सूत्री प्रोग्राम में कहा गया है कि १० वीं कक्षा तक सभी लोगों को फ्री एजुकेशन होगी। लेकिन हरिजन के साथ इस सरकार ने क्या शुरुआत की? हरिजन विद्यार्थियों के लिए जो फीस की ग्रान्ट दी जाती थी, उसको इतना कम कर दिया गया है कि १० वीं कक्षा के हरिजन विद्यार्थियों को अब कुछ फीस देना पड़ जायगी, ऐसा मुझे शिक्षा के एक अधिकारी ने बताया। यह किया इस नयी सरकार ने हरिजनों के साथ और बताऊं कि जो वजीफे हाई स्कूल से ऊपर की कक्षाओं के लिए दिये जाते हैं वे तो केन्द्रीय सरकार की ओर से दिये जाते हैं उनके बारे में इस सरकार का कोई अहसान नहीं है, लेकिन माननीय शिक्षा मन्त्री ने हरिजनों को दिये जाने वाले वजीफों में भी कटौती कर दी है और अब अगर पहले १०० विद्यार्थियों को वजीफा दिया जाता था तो अब ५० को देना मुश्किल हो जायगा। उसके पीछे एक यह भी भावना है कि वे सोचते हैं कि हरिजन आगे न बढ़ने पावें। यह अछूत हरिजन हैं नीच हैं नीचे रहें। मैं चेतावनी देता हूं—कहीं इन हरिजनों के ऊपर किये गये अत्याचारों को देखकर कोई अम्बेदकर न पैदा हो जाय, जो हरिजनों के उद्धार का नारा लगाये और अलग से अपने लिये मांग पैदा करे कि हमें अछूतिस्तान चाहिये। अगर देश का और कोई टुकड़ा हुआ तो इस के जिम्मेवार जनसंघी होंगे और समाजवादी तथा साम्यवादी जनकांग्रेसी भी इस दाग से बच नहीं सकेंगे अन्त में मैं समाजवादी भाइयों को फिर से चेतावनी देता हूं और हरिजन कल्याण विभाग का जब बजट आये तो उसको सावधानी से देखें और हमें पूरी सुविधा देने के लिए इस ग्रान्ट को नामंजूर करें इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(श्री चन्द्रशेखर का नाम पुकारे जाने पर)

एक सदस्य—

उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि हम लोग नये सदस्य यहां चुन कर आये हैं। जिनको आप नहीं पहचानते या जिनका नाम नहीं जानते, उन को बोलने का समय नहीं मिल पाता है। जिन सदस्यों को आप जानते हैं उनका नाम बार-बार आ जाता है, लेकिन हमको कभी मौका नहीं मिल पाता। हम लोग यहां बराबर खड़े होते हैं। हमको भी मौका दिया जाया करे।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि सदन में यह कहना कि मैं जिसका नाम जानता हूं अथवा मेरे पास लिस्ट होती है, उसी हिसाब से मैं नाम पुकारता हूं, यह सर्वथा अनुचित है। मैं अपने स्वविवेक से बुलाता हूं, और माननीय सदस्य ने यह भी देखा होगा कि मैंने ऐसे सदस्यों को बुलाया है, जिनको मैं नहीं पहचानता था, उनका नाम पूछ कर मैंने उनको अवसर दिया है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे भविष्य में इस प्रकार की बात न कहने की कृपा करें।

श्री देवी दयाल सैन (जिला मेरठ)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सदन के अन्दर जितनी भी राजनैतिक पार्टियां हैं, उन सब के सदस्यों को बोलने का अवसर मिल जाता है। लेकिन जिस रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य बहुत कम हैं, उन को अवसर नहीं मिल पाता है। अतः उन को भी समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि जो भी माननीय सदस्य खड़े होंगे और जिसकी ओर मेरा ध्यान आकर्षित हो जायगा, मैं उसको बोलने का समय दूंगा। माननीय सदस्य आश्वस्त रहें। अभी तक सदन में प्रत्येक सदस्य को १० मिनट का समय दिया जाता है, जो इस सदन द्वारा निर्धारित किया गया है। अगर माननीय सदन की इच्छा हो तो सदस्यों के बोलने का समय कम किया जा सकता है ताकि दूसरे लोगों को भी बोलने का अवसर मिल जाय और अगर ऐसी अनुमति सदन की नहीं है तो दस मिनट का समय हर माननीय सदस्य को दिया जायगा, उसमें जितने माननीय सदस्य बोल सकेंगे, उन को अवसर दिया जायगा।

श्री रामश्री राजपूत (जिला हमीरपुर)—

उपाध्यक्ष जी, हमारा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि....

उपाध्यक्ष—

आप को मैं बोलने का समय दिये देता हूं, आप क्या कहना चाहते हैं लेकिन एक व्यवस्था के प्रश्न के बाद दूसरा व्यवस्था का प्रश्न इस तरह से नहीं उठ सकता।

श्री रामश्री राजपूत—

श्रीमन्, शिक्षा के बजट पर कल से बहस हो रही है और उस में शिक्षक वर्ग के सदस्यों को बोलने का अवसर अवश्य मिलना चाहिये, हम १६ जून से बराबर यहां परेड कर रहे हैं, लेकिन बहुत दुख है कि हमें अवसर नहीं दिया गया, दल की ओर से भी नाम भेजा गया है, लेकिन हमारा अवसर ही नहीं आता। शिक्षा के बजट पर शिक्षकों को तो मौका मिलना ही चाहिये या एक दिन बहस का समय और बढ़ाया जाय और जब तक शिक्षकों के विचार भी सदन में न आ जायं, तब तक बहस चलाई जाय और समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। जहां तक सदन का समय बढ़ाने का प्रश्न है, माननीय नेता विरोधी दल तथा नेता सदन मिलकर जितना चाहें सदन का समय बढ़वा सकते हैं लेकिन जहां तक यह प्रश्न है कि क्यों किसी को समय नहीं दिया गया, यह मैं कह चुका। इस सम्बन्ध में मैंने सदन के समक्ष अपने विचार अभी रख दिये।

श्री चन्द्रशेखर (जिला वाराणसी)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सदन म इस समय शिक्षा के अनुदान पर बहस चल रही है। इस सरकार के बनने के बाद जनता के अन्दर एक ऐसी आशा और विश्वास का उदय हुआ था कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्ति कारी परिर्तवन होगा। मुझे भी इस पर बोलने में आज थोड़ी सी खुशी हो रही है क्योंकि मैं वर्तमान शिक्षा मन्त्री जी तथा भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री जी दोनों की बातों को इस सदन से सुन चुका हूं। पहले मैं भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री जी के कथन पर जो उन्होंने २० साल में शिक्षा की उन्नति और उस को बढ़ाने के लिए किया उस के विषय में केवल २ वाक्य कहना चाहता हूं।

आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी, कुठारी कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन की सिफारिशें जो भूतपूर्व मन्त्री जी के काल में हुईं, उनको लागू उन्होंने क्यों नहीं किया और जिस समय माननीय चन्द्रभानु गुप्त यहां के मुख्य मन्त्री थे उस समय में जो विश्वविद्यालयों के वाइसचांसलर बनाये गये वह करीब-करीब सभी उन के आदमी थे, एक दो को छोड़कर वे सभी 'गुप्ता' थे। २० साल की शिक्षा की तारीफ में अगर भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री जी ने यह बात भी जोड़ दी होती तो वह सही बात कहने के अधिकारी हो जाते। जैसा कि मैंने कहा कि नयी सरकार के बनने के बाद जनता में यह आशा और विश्वास जगा था कि अब शिक्षा के क्षत्र में भी क्रान्तिकारी

परिवर्तन होगा। हमने देखा कि २० साल की आजादी के बाद भी अंग्रेजी एक गुलामी की जबान के रूप में हमारे देश में रह गयी है, उस के सार्वजनिक प्रयोग के खात्मे के लिए कदम नहीं उठाये गये। हम क्यों चाहते हैं कि अंग्रेजी खत्म हो? अगर पिछले डेढ़ हजार वर्ष का भारत का इतिहास भाषा का, हम देखें तो मालूम होगा कि पिछले १५०० वर्ष में भाषा के इतिहास में एक जबरदस्त टकराव रहा है। एक ओर तो कुछ लोगों की सामन्ती भाषा रही है और दूसरी ओर दूसरी ओर करोड़ों लोगों की जनभाषा रही है, लोकभाषा रही है और हर समय में इन दोनों का जबरदस्त टकराव रहा है। संस्कृत सामन्ती भाषा एक जमाने में रही और उसी जमाने में प्राकृत और अपभ्रंश लोकभाषा रहीं, मुसलमानी काल में भी फारसी सामन्ती भाषा रही और उर्दू व हिन्दी लोकभाषा रहीं। उस के बाद जब हमारे देश के अन्दर अंग्रेज हमलावर के रूप में आये तब सामन्ती भाषा तो अंग्रेजी हो गयी, और हिन्दी, उर्दू, तामिल, कन्नड, और तेलगू भाषाएं लो : भाषा हो गयीं। आज जो सामन्ती भाषा के माध्यम से सब राज काज चलाया जाता है तो उस से करोड़ों लोगों के मन में हीन भाव उत्पन्न होते हैं। राज्य चलाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक गोली की और दूसरी बोली की। मैं अपने लायक दोस्त माननीय बहुगुणा जी से पूछना चाहता हूं जिन्होंने इस २० वर्ष की अवधि में और तो पाप किये ही हैं, एक यह महान पाप किया है कि करोड़ों लोगों के दिल में यह भावना बढ़ायी है कि चूंकि तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो, इस लिए तुम शासन चलाने योग्य नहीं हो। मैं तो यह कहूंगा कि जब तक हमारे देश में ५० करोड़ की जनता के जानने वाली भाषा का प्रयोग नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज यहां पर लोक तन्त्र की बात कही जा रही है, लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिना भाषा के लोकतन्त्र भी नहीं चल सकता है। गांधी जी ने कहा था कि अगर लोकतन्त्र को चलाना चाहते हो तो लोकभाषा का प्रचलन अनिवार्य है। अंग्रेजी के खात्मे की ओर संकेत माननीय शिक्षा मन्त्री के बयान में आ जाना चाहिये था। जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि हम हिन्दी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उस की पहली शर्त यह होनी चाहिये थी कि सचिवालय के अंग्रेजी टाइपराइटर समाप्त किये जायं, और जो अंग्रेजी का प्रचलन है, उसको खत्म कर दिया जाय। आज यहां पर कुछ लोग हिन्दी और उर्दू के मसले को लेकर झगड़ा खड़ा करते हैं। जो लोग आज ऐसा करते हैं वे अवश्य ही अंग्रेजी के किसी न किसी रूप में गुलाम हैं। उर्दू और हिन्दी तो छोटी और बड़ी बहिनें हैं और मैं चाहूंगा कि उर्दू का प्रदेश में दूसरा स्थान अर्थात् दूसरे दर्जे की मान्यता दी जानी चाहिये।

अंग्रेजी भाषा को बनाये रखने के सम्बन्ध में कुछ तर्क भी किये गये कि सम्पर्क भाषा का क्या होगा। यह भी कहा गया कि यह अन्तरराष्ट्रीय भाषा है। आज के जीवन में कोई भी भाषा अन्तर्राष्ट्रीय भाषा नहीं बन सकी है। रूस जैसे देश में जो अपनी ही भाषा के माध्यम से चांद तक में पहुंच गये हैं, अंग्रेजी को अपनी भाषा बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए यह कहना कि यह अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है बिलकुल बेबुनियाद है।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

रूस में भी अंग्रेजी सीख रहे हैं।

श्री चन्द्रशेखर—

श्रीमन्, आप देखेंगे कि २० वर्ष के काल में जो हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट की परीक्षाएं हुईं उन में ५०–६० और ६५ प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुये। किसी भी सभ्य देश में मुश्किल से १० या १५ प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षाओं में फेल हुआ करते हैं, लेकिन यह इसी देश में है कि ५० या ६० प्रतिशत लड़के फेल हो जाया करते हैं। अपने प्रदेश में ये परीक्षाएं हो रही हैं या कत्ले आम हो रहा है। और २० वर्ष से यह कत्ले आम आप लोगों ने कर रखा है। जो २० वर्ष के आंकड़े हैं, वे इस प्रकार हैं

[श्री चन्द्र शेखर]

१९४६ में हाई स्कूल में ६२.८९ प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, १९५१ में ५६.१ प्रतिशत, १९५६ में ४५.४ प्रतिशत पास हुए, १९६२ में ४५.४ प्रतिशत पास हुए और १९६७ में ४२ प्रतिशत विद्यार्थी हाई स्कूल में पास हुए। इन की शिक्षा नीति ऐसी रही है कि शिक्षा के जगत में हाई स्कूल के इम्तहान में निरन्तर गिरावट होती जा रही है। अगर फेल होना ही हमारे उधर के सदस्य शिक्षा की प्रगति समझते हों, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन जिस देश में ५० से लेकर ६५ प्रतिशत तक विद्यार्थी फेल हों, उस प्रदेश की जनता में न गरमी पैदा होती है और न गुस्सा पैदा होता है, यह आश्चर्य की बात है। आखिर देश के धन का, नौजवानों के समय का जो दुरुपयोग हो रहा है यह क्यों हो रहा है? हो सकता है कि इस में शिक्षा की नीति का दोष हो, हो सकता है कि अध्यापकों के पढ़ाने का दोष हो, हो सकता है कि विद्यार्थियों का दोष हो। इतनी लज्जास्पद घटनाओं के बाद श्रीमन्, सचिवालय और शिक्षा केन्द्र घिर जाने चाहिये थे। मैं मांग करता हूं कि एक राउन्ड टेबिल कान्फ्रेंस बुलायी जाय, जिस में शिक्षाविद रहें, अभिभावक रहें और विद्यार्थियों के प्रतिनिधि भी रहें और ये सब बैठ कर तय करें कि क्या कारण है जिस की वजह से निरन्तर फेल होने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। तरक्की के दो मतलब हुआ करते हैं शिक्षा में। एक सापेक्ष और दूसरा निरपेक्ष। सापेक्ष का मतलब यह है कि अपने पड़ोसी के मुकाबिले में तरक्की करना और निरपेक्ष का मतलब है अपने भूतकाल के मुकाबिले में तरक्की करना। अगर सापेक्ष तरक्की के आधार को आप देखेंगे तो पायेंगे कि उत्तर प्रदेश शायद उस में भी बदकिस्मत है। इस की जो तरक्की की रफ्तार रही है वह खरगोश और कछुए जैसी रही है। आन्ध्र प्रदेश में २४ प्रतिशत शिक्षा है, गुजरात में ३० प्रतिशत, मद्रास में ३१ प्रतिशत, केरल में ४६ प्रतिशत बिहार में साढ़े १८ प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में श्रीमन्, केवल १७ प्रतिशत। आखिर शिक्षा नीति के मतलब क्या हैं अगर यह कहा जाय कि हम शिक्षा में तरक्की कर रहे हैं और तरक्की का मतलब यह है कि अपने पुराने जमाने के मुकाबले में फेल होने वालों की संख्या बढ़े और पास के प्रदेशों के मुकाबले में हम शिक्षा में पीछे रहें? तो मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा की नीति में बहुत बड़ा दोष है इस, पर विचार होना चाहिये।

अभी तक अपने प्रदेश के अन्दर प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क नहीं है। जब मैं यह कह रहा हूं तो सारे प्रदेश में रट लगी हुई है कि प्राइमरी शिक्षा नि शुल्क है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वह शिक्षा उस समय निःशुल्क होगी, जब कम्पल्सरी कर दी जाय कि इस उम्र से लेकर इस उम्र तक के बच्चों के लिए प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क कर दी जायगी और इन को पढ़ना पड़ेगा।

एक सदस्य—

प्राइमरी शिक्षा नि शुल्क है।

श्री चन्द्रशेखर—

नहीं है। वह सीमित है। अगर सारे लड़के स्कूलों में जायं तो सब नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि वह सीमित है। शिक्षा की २० साल पुरानी यह नीति रही है। लेकिन अफसोस है कि नई सरकार के बनने के बाद शिक्षा की नीति में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन होना चाहिये था। क्योंकि जहां हम कांग्रेसियों को दोष देते हैं वहां हम को आत्म चिन्तन भी करना चाहिये। हम को जनता ने इसलिये बैठाया है कि हम कांग्रेस के कुशासन के जो कुकर्म रहे हैं, उन को समाप्त कर हर दिशा में तरक्की की तरफ बढ़े।

श्रीमन्, यदि त्रिभाषी फार्मूले को देखा जाय तो आप देखेंगे कि ६, ७, ८ कक्षा में एक भाषा हिन्दी पढ़नी पड़ती है, एक अंग्रेजी अथवा यूरोपीय भाषा में से कोई एक अथवा संस्कृत या संविधान के ८वें शेड्यूल में दी गयी कोई एक भाषा और फिर जब माध्यमिक स्तर की शिक्षा दी जाती है ९, १०, ११, १२ तक, तो उसमें एक हिन्दी अनिवार्य है, उसके बाद अंग्रेजी, यूरोपीय भाषा एक, संस्कृत या संविधान के ८वें शेड्यूल

में दी गयी कोई एक भाषा और जब विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा आती है तो उस समय अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया जाता है। आखिरकार यह शिक्षा नीति में विरोधाभास नहीं है तो क्या है ? इसलिये मैं जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस विरोधाभास को खतम करने के लिये विश्वविद्यालय स्तर पर अंग्रेजी की अनिवार्य पढ़ाई बन्द होनी चाहिये। आशा है वर्तमान सरकार इन सारे विरोधाभास को दूर करने का प्रयत्न करेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य दो मिनट में अपना भाषण समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री चन्द्रशेखर—

जहां तक प्राइमरी शिक्षा की बात है, आज भी कानवेंट में जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है वह खतम होनी चाहिये। चाहे हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री का बच्चा हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री या उप मुख्य मंत्री का बच्चा हो, या हम लोगों का या आप लोगों का बच्चा हो, प्राइमरी शिक्षा के स्तर पर बच्चे बच्चे में भेदभाव नहीं होना चाहिये। और जब तक ऐसा नहीं होगा, आजादी के बाद २० वर्ष की शिक्षा नीति की वजह से हमारे ऊपर जो बोझ पड़े हैं आगे चल कर उनको ढोने में हम समर्थ नहीं हो सकेंगे।

श्रीमन्, माननीय सदन के सदस्यों को और सरकार को भी इससे इन्कार नहीं हो सकता कि हमारी प्राइमरी शिक्षा का जो तरीका रहा है उसने हमारी शिक्षा नीति के आधार को ही गिरा दिया है और आज ग्रेजुएट लोग, अंग्रेजी शब्दों को तो छोड़ दीजिये, अंग्रेजी वाक्य को छोड़ दीजिये, हिन्दी का भी सही इमला ठीक ढंग से नहीं लिख सकते। इसका मुख्य कारण यह है कि प्राइमरी शिक्षा की जो नींव है, वह एकदम खराब है। इसलिये मैं चाहता हूं कि स्थानीय निकायों और राज्य सरकार द्वारा जो अध्यापकों की भर्ती हुआ करती है, उसको खतम किया जाय और उसमें जो दलबन्दी और जातीयता का नंगा नाच हुआ करता है वह भी खतम किया जाय।

एक बात मैं विश्वविद्यालय शिक्षा के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तीन विश्वविद्यालय हैं—अलीगढ़, मेरठ और आगरा। वहां के डिग्री कालेजों में विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर शिक्षा दी जाती है लेकिन पूर्वांचल में एक गोरखपुर विश्वविद्यालय है जहां के डिग्री कालेजों में स्नातकोत्तर शिक्षा मिलने का कोई प्राविधान नहीं है जिसके कारण बी० ए० पास करने के बाद वहां के विद्यार्थी हर जगह ठुकराये जाते हैं। श्रीमन्, पूर्वांचल हमेशा से उपेक्षित रहा है, पूर्वांचल की तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं जाता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल के गोरखपुर विश्वविद्यालय के डिग्री कालेजों को स्नातकोत्तर कक्षा खोलने की अनुमति प्रदान की जाय। जो बातें मैंने बताईं उससे यह होगा कि भारत की राजनीति जो शिक्षा के दलदल में घुसी हुई है वह खतम होगी और मुझे ऐसी आशा, ऐसी प्रेरणा है कि नये जीवन के साथ नयी सरकार का स्वागत होगा और यह सरकार जो आज यहां बैठी हुई है सन् १९७२ में भी बैठेगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि सारी बातों पर बहुत शान्ति पूर्वक और गम्भीरतापूर्वक सोच विचार किया जाय। आखिर में आपने जो मुझे समय दिया, उसके लिये मैं आपका अनुग्रहीत हूं। इन शब्दों के साथ जो शिक्षा मंत्री जी ने अपना अनुदान पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री राजनाथ (जिला गाजीपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। जो शिक्षा का अनुदान सदन के सामने प्रस्तुत है, इसमें विभिन्न भाषाओं पर चर्चा हुई है लेकिन जो सबसे विशेष भाषा है वह हमारे संयुक्त विधायक दल की भाषा है। एक भी ऐसा सदस्य खड़ा नहीं हुआ जिसने २० वर्ष पहले की चर्चा न की हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनाथ]

मैं माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान उनके भाषण की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें यह कहा गया कि प्रदेश में शिक्षा की आयोजना ठीक ढंग से नहीं हुई। शिक्षा मंत्री का भार लेने पर उन्होंने यह कष्ट नहीं किया कि अपने कार्यालय से वह उन कार्यक्रमों को मंगा लेते जिन पर हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना अवलम्बित थी और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हमको क्या कार्य करना था, इसका भी कार्यक्रम आपके कार्यालय में पहले से प्रस्तुत है। मैं आपका ध्यान उस कार्यक्रम की ओर दिलाना चाहता हूं। पहला कार्य था उन स्थानों पर नये स्कूलों को खोलना जहां स्कूल नहीं थे। इसके अन्पतर्गत तीसरी पंचवर्षीय योजनाकाल में शिक्षा विभाग ने १८,७३० नये स्कूल खोले। दूसरा कार्य था मौजूदा स्कूलों में अतिरिक्त अ यापकों की नियुक्ति, इसके अनुसार २९,७०० नये अध्यापकों की नियुक्ति हुई जो कि अप्रशिक्षित थे। यह कहा गया कि कांग्रेस सरकार के जमाने में जिला परिषदों में शिक्षकों के चयन में बड़ी धांधली बरती गयी क्योंकि कोई प्रणाली नहीं थी। पहले हाई स्कूल वाले उपलब्ध नहीं थे तो प्राइमरी स्कूलों में कार्य करने वाले अध्यापकों की न्यूनतम योग्यता जूनियर हाई स्कूल थी। जब जूनियर हाई स्कूल से उच्चतर योग्यता वाले अध्यापक मिलने लगे तो उस करीकुलम में हमन हाई स्कूल कर दिया और फिर इस न्यूनतम योग्यता के आधार पर अध्यापकों का चयन हुआ। आपने यह कर दिया है कि इंटरमीडियेट वालों को हाई स्कूल वालों पर वरीयता दी जाय। आप को करीकुलम में यह भी अभिलेख कर देना चाहिये था कि न्यूनतम योग्यता अब इंटरमीडियेट होगी लेकिन जब तक आपका करीकुलम, पुराने ढंग पर चलता रहेगा तब तक अध्यापकों के चयन का कार्य पूर्ववत चलता रहेगा। इसलिये पहले आप पहले के करीकुलम तथा कागजात को दुरुस्त करें तब दोष दें कि चयन का कार्य ठीक नहीं हुआ अथवा फलां काम ठीक नहीं हुआ। और अगर संयुक्त विधायक दल वाली भाषा ही बोलते रहियेगा तो कार्य ठीक चलने वाला नहीं है।

तीसरा कार्यक्रम था लड़कियों के स्कूलों का प्रसार। तीसरी योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में लड़कियों की शिक्षा में प्रसार की योजना के अनुसार यह कार्यक्रम था कि ३ पर से ल ियो क शिक्षित किया जायगा लेकिन ४३ परसेंट के स्थान पर आपको ज्ञात होगा चाहिये कि ६२ प्रतिशत लड़कियों को शिक्षा दी गयी। और जहां लड़कों का ८२ प्रतिशत था तृतीय पंचवर्षीय योजना में वहां वह १०० प्रतिशत रहा। ९४ लाख ड़कों को तृतीय पंचवर्षीय योजना में शिक्षा दी गयी।

इसके बाद आपका था--प्रोमोशन आफ एजुकेशन एमंग दि शेड्यूल्ड ऐंड अदर बैकर्ड क्लास आफ सोसायटी। शिक्षा का प्रसार उन क्षेत्रों में करना जो लोग पिछड़ी जाति के हैं और ऐसी सोसायटी में भी शिक्षा का प्रवेश कराना जहां के लोग एक प्रकार से शिक्षा से वंचित हैं, तृतीय पंचवर्षीय योजना में यह प्राविधान किया गया कि ऐसा कोई क्षेत्र न छूटने पाये जहां स्कूल न खोला जाय। इसके अतिरिक्त यदि सरकार के बजट के अनुसार इतनी संख्या में स्कूल न खोले जा सके तो फिर स्वावलम्बी पाठशालाओं का आयोजन किया गया और सरकार की ओर से यह प्रावेश हुये कि ऐसे क्षेत्रों में जहां स्कूल न खुल सकें स्वावलम्बी पाठशालायें खोली जायं और उन्हें २५ रुपये प्रतिमास की सहायता दी जाय। इनमें अर्द्ध शिक्षित अध्यापकों को जिनकी योग्यता शिक्षा देने की है रखा जाय और यह भी निश्चय हुआ कि जब जे० टी० सी० के लिये चुनाव होगा तो उन्हें वरीयता दी जायगी और गत वर्ष जो मनोनयन हुआ, जिसकी आप बड़ी चर्चा करते हैं, उसमें आप देखें कि अधिकांश संख्या स्वावलम्बी स्कूलों में कार्य करने वाले अध्यापकों की है। उन्हें वरीयता इसलिये दी गयी कि अब तक जो अवैतनिक रूप से स्कूलों में कार्य करते रहे, उन्हें कुछ प्रोत्साहन दिया जाय।

जहां तक पाठ्यक्रम का सम्बन्ध है, यदि आप चाहते हैं कि प्राथमिक पाठशालाओं का स्तर ऊंचा हो, जो कि हमारी शिक्षा की आधारशिला है, तो उसके लिये आपको पाठ्यक्रम में सुधार करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि प्राथमिक पाठशाला में जब बच्चे शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं तो उनकी पुस्तकों के ढेर का वजन उतना ही होता है जितना कि उस बच्चे का वजन होता है।

तो आवश्यकता इस बात की है कि आप पाठ्यक्रम में परिवर्तन करें और उन्हीं विषयों को रखें जो आज के वातावरण के अनुकूल हों जिनकी शिक्षा प्राप्त करके आगे चल कर लड़का समाज के लिये उपयोगी सिद्ध हो।

जहां तक लड़कियों की शिक्षा का सम्बन्ध है, उनके लिये स्कूल खोले गये। इस अवसर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि लड़कियों के स्कूल बहुत अधिक खोले गये, लेकिन जिस योग्यता की अध्यापिकायें चाहिये थीं वह न मिल सकीं क्योंकि लड़कियों की शिक्षा का अभाव था। लेकिन इस कमी को दूर करने के लिये सरकार ने बहुत सी लड़कियों के बी० टी० सी० ट्रेनिंग कालेजेज खोले और अब प्रशिक्षित अध्यापिकायें मिलने लगी हैं। कुछ स्कूल मदर्स की नियुक्ति हुई है। इन मदर्स की नियुक्ति उन स्कूलों में की गयी जिनमें लड़के लड़कियों की मिश्रित शिक्षा है। इसके सम्बन्ध में यह कहना है कि जहां सह शिक्षा है वहां स्कूल मदर की आवश्यकता नहीं है बल्कि स्कूल मदर्स की नियुक्ति उनमें की जाय जहां केवल लड़कियों की शिक्षा होती है। उन लड़कियों और अध्यापिकाओं की सहायता के लिये यह स्कीम विशेष रूप से सहायक हो सकती है।

अब हमें आपका ध्यान इस ओर दिलाना है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हमारा कार्यक्रम क्या है। एम्प्रूविंग दि रेम्युनरेशन आफ दि टीचर्स। तो क्वान्टिटेटिव एक्सपेन्शन तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में हो गया। अब क्वालिटेटिव एक्सपेन्शन की बात है। तो उसको पूरा करने के लिये सबसे बड़ा साधन यह होगा कि पहले आप अध्यापकों को अच्छा वेतन दीजिये जैसे कि असम, उड़ीसा, बंगाल आदि दूसरे प्रदेशों में अध्यापकों को अच्छा वेतन मिल रहा है। हमारे प्रदेश में इतना अच्छा वेतन नहीं मिलता। प्राथमिक पाठशालाओं में अच्छे अध्यापक तभी आकर्षित होंगे जब कि उनका वेतन अच्छा होगा।

दूसरा है—इम्प्रूविंग दि ट्रेनिंग आफ टीचर्स क्वालिटेटिवली ऐंड क्वान्टिटेटिवली। जहां तक टीचर्स की ट्रेनिंग का प्रश्न है, यह समस्या अधिक संख्या में ट्रेनिंग स्कूल खोल कर उसमें सुयोग्य लोगों को ट्रेनिंग दे कर हल की जा सकती है।

तीसरा है—इम्प्रूविंग दि जनरल सर्विस कंडीशन्स आफ टीचर्स। प्राविजन आफ बेटर बिल्डिंग ऐंड इक्विपमेंट। आप देखेंगे कि आपकी पाठशालाओं में इक्विपमेंट की कमी है। जब तक इक्विपमेंट ठीक नहीं होगा आप अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते।

चौथा है—फ्री सप्लाई आफ टेक्स्ट बुक्स जिसका आप बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं कि हम शिक्षा में बड़ी सुविधा देना चाहते हैं। तो आप गरीब बच्चों को पुस्तकों का प्रबन्ध कीजिये।

फिर है—प्राविजन आफ मिड डे मील। इम्प्रूविंग आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन ऐंड सुपरविजन थ्रू एजूकेशन।

ये हमारी चतुर्थ योजना के कार्यक्रम थे जो इस सरकार को पूरे करने थे। आप इस कार्यक्रम को देखिये। इनके अनुसार आप चलेंगे तो शिक्षा का स्तर ऊंचा हो जायगा। केवल भाषण देने से शिक्षा की दशा अच्छी नहीं होगी।

जहां तक फ्री एजूकेशन का प्रश्न है, हमारे देश के ९ प्रदेशों में निःशुल्क शिक्षा हो रही है। आपने तो अपने १९ सूत्री कार्यक्रम में लिख दिया कि हम कक्षा १० तक निःशुल्क शिक्षा देंगे लेकिन आपने बजट में कहीं भी यह घोषणा नहीं की। तो जैसे कि आपने लोगों को भुलावे में डालने के लिये यह घोषणा कर दी कि हम पांच वर्ष में शनैः शनैः लैंड रेवेन्यू से मुक्त कर देंगे उसी तरह से आप यह भी कहते हैं कि पांच वर्ष में हम शिक्षा निःशुल्क कर देंगे। तो कुछ तो संतोष हो जाय। अगर आप १० कक्षा तक न कर सकें तो कम से कम ८वीं तक तो निःशुल्क शिक्षा कर ही दें ताकि जनता को ज्ञात हो कि सरकार कुछ करने जा रही है। आप छात्रों को

[श्री राज नाथ]

प्रोत्साहित करने के लिये घोषणा करते हैं कि हम अंग्रेजी को हटा रहे हैं। यह कोई नयी बात नहीं है। यह तो डाक्टर सम्पूर्णानन्द के समय में ही अंग्रेजी शिक्षा वैकल्पिक हो गयी थी। मैं अध्यापक हूं। मैं जानता हूं कि आज भी बिना अंग्रेजी लिये हुये हाई स्कूल और इंटरमीडियेट में लड़के उत्तीर्ण होते हैं।

एक बात हमें और कहनी है। जहां तक अंग्रेजी की शिक्षा हटाने का सवाल है, यह तो मध्य प्रदेश की सरकार जहां कि कांग्रेस की सरकार है, उसने घोषणा कर दी है कि अंग्रेजी में फेल विद्यार्थी उत्तीर्ण माने जायेंगे। लेकिन आपकी सरकार केवल विद्यार्थियों को भुलावे में डालने के लिये रोज घोषणा करती है कि अब अंग्रेजी को हटाने जा रहे हैं। तो जो आप सोचते हैं उसको कांग्रेसी सरकार कर रही है।

जहां तक प्राथमिक पाठशालाओं के प्रधानाध्यापकों के प्रान्तीयकरण की बात है, इन स्कूलों में ६०,७०३ प्रधानाध्यापक हैं। तो अच्छा तो यह होता कि इन प्रधानाध्यापकों का प्रान्तीयकरण करने के पूर्व आप प्राथमिक स्कूलों का ही राष्ट्रीयकरण कर लेते तो कोई गड़बड़ी भी न होती।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त।

श्री राजनाथ—

इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री इन्द्रमणी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो लोग कटौती का प्रस्ताव देते हैं, उनके लिये यह हो जाता है कि उनको बहुत मौका दिया जायेगा। लेकिन हम लोग कल से बार-बार उठ रहे हैं और कटौती का प्रस्ताव भी दिया है लेकिन हमें समय नहीं मिला है। अब समय पूरा होने वाला है इसलिये हम यह जानना चाहते हैं कि हमें मौका दिया जायेगा या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

समय रहेगा तो अवश्य दिया जायेगा।

श्री बैजनाथ (बाराणसी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने सर्वप्रथम मुझे इस सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया है। इसके साथ ही साथ मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों की ओर दिलाना चाहता हूं। इन विद्यालयों के अध्यापक ठीकतरह से काम नहीं कर सकते हैं और इसलिये नहीं कर सकते हैं कि उनकी नौकरी डांवाडोल रहती है और वे कब निकाल दिये जायंगे यह ठीक नहीं रहता है। दूसरी तरफ यह चीज भी होती है कि उनको वेतन कम दिया जाता है। इसके अतिरिक्त कभी कभी प्रधानाचार्य प्रबन्धकों के आदेशानुसार स्कूल कार्य के लिये जैसे भवन-निर्माण के लिये अध्यापकों के वेतन में से कुछ रकम काट लेते हैं जिससे उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिये यदि मंत्री जी चाहते हैं कि अध्यापक ईमानदारी से काम करें और शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाय तो यह परम आवश्यक है कि अध्यापकों की नौकरी को स्थिर किया जाय और उनके वेतन में सुधार किया जाय।

इसके साथ ही साथ आप यह भी देखें कि गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय जो मान्यता प्राप्त हैं, उनके अध्यापकों को वेतन कुछ दिया जाता है और हस्ताक्षर कुछ पर कराये जाते हैं। जैसे १२० रुपये पर हस्ताक्षर कराये जाते हैं और वेतन केवल ८० रुपया ही दिया जाता है। इतना

ही नहीं उनका जो प्रोवीडट फंड कटता है उसको ठीक से जमा नहीं किया जाता है, जिससे अध्यापकों में बड़ा असन्तोष छाया हुआ है।

तीसरी चीज यह है कि १९६४ में अध्यापकों ने परीक्षाओं के समय आन्दोलन किया था, उसके फलस्वरूप ३० रुपये अन्तरिम सहायता महंगाई के रूप में दी गई थी और घोषणा की गई थी प्राइमरी स्कूल से लेकर डिग्री कालेज के अध्यापकों को ३० रु० महंगाई भत्ता दिया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूल के अध्यापक जो हायर सेकेंडरी स्कूल से सम्बन्धित हैं उनको ३० रु० महंगाई भत्ता नहीं दिया गया। तो क्या शिक्षा मंत्री इस बात पर विचार करेंगे कि उन प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को भी जो हायर सेकंडरी स्कूल से सम्बन्धित हों, उनको भी २० रुपया अन्तरिम सहायता के रूप में दिया जायगा? उसके बाद एक निवेदन यह करना है कि अध्यापक दिवस के अवसर पर जो राधाकृष्णन् के जन्मदिवस पर मनाया जाता है उस दिन अध्यापक चन्दा इकट्ठा करते हैं। सरकार ने घोषणा की है कि उस पैसे का वितरण अध्यापकों के ऊपर जब कष्ट आयेगा, उनको मदद की जायगी। आज तक किसी भी अध्यापक को उससे सहायता नहीं दी गयी। माननीय शिक्षा मंत्री इस ओर भी ध्यान दें।

इसके अलावा हरिजन छात्रों की भी समस्या सरकार के सामने है। हरिजन छात्र जब तक देहात में पढ़ता है तब तक घर रह कर पढ़ लेता है, लेकिन जिस समय शहर में उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाता है उस समय उसके रहने की बहुत बड़ी समस्या रहती है। ब्राह्मण और ठाकुर किसी हरिजन को अपने मकान में स्थान देने को तैयार नहीं होता। इसलिए शिक्षा मंत्री से मेरा नम्र निवेदन है कि हरिजन छात्रावास की ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा एक बात और कहनी है। हरिजन और पिछड़े वर्ग के छात्रों को पिछली सरकार कुछ स्कालर शिप के रूप में मदद दे रही थी। उसमें कुछ कटौती कर दी है, इसका मैं घोर विरोध करता हूं। माननीय शिक्षा मंत्री इस पर विचार करें और गरीब विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का अवसर दें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं और उपाध्यक्ष महोदय के प्रति अपना आभार प्रदर्शित करता हूं जिन्होंने मुझे बोलने का थोड़ा अवसर दिया।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि आपकी विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली में प्रतीक कटौतियों का महत्व है जो किसी खास विषयों पर भी दी जाती है। जहां तक सिद्धान्तों का सवाल है, उन पर तो बहस दो दिन से होती रही है, लेकिन जिन खास शिकायतों के लिए प्रतीक कटौतियां हुईं उन पर बोलने की इजाजत देने का कष्ट मान्यवर ने नहीं किया। लगता है न आपने पूरे कार्यक्रम को देखा ही है। इसलिए इस अव्यवस्था के विरोध में मैं पांच मिनट के लिए सदन का त्याग करता हूं।

(श्री चन्द्रबली सदन त्याग कर चले गये।)

श्री उपाध्यक्ष—

किस माननीय सदस्य को समय दिया गया, किसको नहीं, इसके विरोध में कोई अव्यवस्था नहीं है लेकिन सदस्य जाना चाहते हैं तो उनकी इच्छा।

श्री इन्द्रमणी—

व्यवस्था का प्रश्न है। हमने बार-बार आपको लिख कर भी दिया, कटौती का प्रस्ताव भी हमारा था, लेकिन कभी भी समय नहीं दिया गया। इसलिए हम भी पांच मिनट के लिए सदन का त्याग करते हैं।

(श्री इन्द्रमणी सदन त्याग कर चले गये।)

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल से बराबर उठक बैठक लगा रहा हूं। बुन्देलखंड एक पिछड़ा क्षेत्र है। वहां के इधर के किसी माननीय सदस्य को बोलने का अवसर नहीं दिया गया। मैंने विहप की तरफ से नाम भी अपना भेज दिया लेकिन फिर समय नहीं दिया गया। मेरे कालेज पर सी० आई० डी० छापा मार रही है। इस तरह से पुलिस के द्वारा हम लोगों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और हम अपनी बात भी नहीं रख सकते। इसलिये मैं पांच मिनट के लिये सदन का त्याग करता हूं।

(श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी सदन त्याग कर चले गये।)

श्री उपाध्यक्ष—

सुदामा प्रसाद जी गोस्वामी बहुत जागरूक सदस्य हैं, किन्तु व शिक्षा बजट में पुलिस के बारे में बात करना चाहते थे, उनको समय नहीं मिला तो कोई वैसी बात नहीं है।

श्री त्रिवेणी—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवस्था के प्रश्न के बाद व्यवस्था की बात नहीं उठाई जा सकती। इसलिये आप बैठ जायें और अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री त्रिवेणी—

मैं श्रीमन्, एक सूचना लेना चाहता हूं कि सरकारी पक्ष से....

श्री उपाध्यक्ष—

आप बोलना चाहते हैं और किस नियम के अन्तर्गत बोलना चाहते हैं, पहले आप यह तो बतायें।

श्री त्रिवेणी—

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिये इस पर एक दिन का और टाइम दिया जाये और जब कि उधर से प्रस्ताव भी इस विषय पर आ चुका है, तो आप कटौती का प्रस्ताव बन्द कर दें और आप हाउस की ओपीनियन ले लीजिये कि वह टाइम चाहती है या नहीं। दोनों पक्षों की एक राय है इसलिये आपको सदन की राय के अनुसार काम करना होगा और समय देना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। त्रिवेणी राय जी आपकी भाषा कि समय देना पड़ेगा, यह शोभा नहीं देती। यह जो सदन के समय का निश्चय है यह नेता सदन और नेता विरोधी दल के परामर्श से हुआ है और इसलिये अब इसमें कोई परिवर्तन करना बहुत उचित नहीं होगा और मैं आप से अनुरोध करूंगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें।

*श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

इस अनुदान के संबंध में मेरी ओर से जो कटौती का प्रस्ताव सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था, उस पर मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि केवल मेरे दल के लोगों ने ही नहीं, बल्कि उधर बैठने वाले लोगों ने भी इस बात को कहा कि आज समूचे प्रदेश के वे सारे लोग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिनका संबंध शिक्षा संस्थाओं से है, वे विद्यार्थी जो हमारे प्रदेश के भावी नागरिक होने वाले हैं जो एक लम्बी और ऊंची आशा लगाये बैठे थे आधुनिक शिक्षा मंत्री जी से, उनकी आशाओं पर एक गम्भीर कुठाराघात हुआ है। मान्यवर, मैं उन माननीय सदस्यों और विशेष कर शमीम आलम साहब को जो कि आज इस मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं और मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि इस विवाद को समाप्त होने के उपरान्त हमारे दल की बात को यद्यपि वह छोड़ दें, किन्तु तो भी उनके दल के विधायकों ने, उनके पक्ष में बैठने वाले लोगों ने उनकी नीति के ऊपर जो आशंकायें प्रकट की हैं उनका वह कैसे निराकरण करेंगे, इस संबंध में मैं वह तनिक रुक कर विचार करने की कृपा करेंगे। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो जैसा मैंने सन्देह प्रकट किया था, जब मैंने अपनी कटौती का प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया था कि हमेशा के लिये सरस्वती के मंदिरों में एक ऐसा अन्धकार छा जायेगा, जिसमें हमारी सारी मान्यतायें शिक्षा जगत की सारी नैतिकतायें व आशायें सदा सदा के लिये तिरोहित हो जायेंगी, वह सत्य हो कर रहेगा। और तो जाने दीजिये कल मैंने संकेत रूप से कहा था आज इस देश का कौनसा आदमी है जो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि यदि हमें नये देश को बनाना है तो हमें जनरल एजूकेशन से अधिक महत्व टैक्निकल एजूकेशन को देना चाहिये। श्रीमन्, आप उस समय इस आसन पर विराजमान नहीं थे, मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वे जब प्रश्नों का उत्तर देने के लिये खड़े हों तो टैक्निकल एजूकेशन की ग्रांट में जो कटौती हुयी वह क्यों की गयी है इसको बताने का कष्ट करें। टैक्निकल एजूकेशन में पिछले साल २ करोड़ ६१ लाख दो हजार १ सौ रुपये थे। लेकिन इस साल २ करोड़ ४५ लाख २३ हजार ९ सौ रुपये आपने कर दिये। इस १५ लाख की कटौती का क्या कारण है? कुछ गरीब छात्र टैक्निकल एजूकेशन लोन लिया करते थे और अपनी प्रतिभा को विकसित करते थे। मैं जानना चाहता हूं कि अगर ऐसे अनुदान में कमी हो गयी तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जो धनराशि इस मद में पिछले वर्ष थी उसमें ६ लाख रुपये की इस वर्ष कटौती कर दी गयी है। आपको स्मरण होगा कि समूचे देश के लिये इंजीनियरिंग स्नातकों को कुछ सीटें दी गयी हैं। जहां तक मुझे स्मरण है ६ सौ सीटें निर्धारित हुईं और हमारे प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री और अन्य लोगों के प्रयास से लगभग ३ सौ सीटें इस प्रदेश को प्राप्त हुई थीं। लखनऊ शहर में एक इंजीनियरिंग कालेज खोलने का अनुमति प्राप्त हुई। लेकिन वर्तमान शिक्षा मंत्री जी ने जो लखनऊ नगर के उप पिता भी रह चुके हैं उन्होंने क्या पहला तोहफा लखनऊ को यह दिया है कि लखनऊ के लिये जो यह अनुमति प्राप्त हुई थी, उसे समाप्त कर दिया?

परीक्षा पद्धति के संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जिज्ञासा प्रकट की है और वे उसमें कुछ नया परिवर्तन करना चाहते हैं। मैं उनकी सेवा में कोठारी कमीशन जिसने इस दिशा में रिसर्चें न कराई हैं बहुत सारे ट्रेनिंग कालेज में सेमिनार्स कराये हैं और उन्होंने जो परिणाम निकाले हैं उनकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और जोर देना चाहता हूं कि जिस तरह से वह शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था करना चाहते हैं उसमें उस तरह की परीक्षा पद्धति का कोई स्थान नहीं होगा।

(इस समय ३ बजकर ५१ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

कोठारी कमीशन से मैं आपकी आज्ञा से दो तीन लाइन कोट करना चाहता हूं—

"It is now agreed that evaluation is a continuous process, forms an integral part of the total system of education, and is intimately related to educational objectives."

तो यह जो मूल्यांकन है, इसका जो उद्देश्य है, उसके अन्तर्गत व्यवस्था, पाठ्यक्रम सभी चीजों पर प्रभाव पड़ता है। कोठारी कमीशन ने इसलिये कहा है कि मूल्यांकन का ग्राह्य तरीका है उसमें उत्तर प्रदेश से अधिक आगे कोई राज्य नहीं है और वह पूर्ण है। और इसलिये मैं माननीय मंत्रीजी

[श्री रामायण राय]

से कहता हूं कि आपको उसमें कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आन्तरिक मूल्यांकन में कमीशन का कहना है कि जो परीक्षक नियुक्त किये गये हैं उनको शैक्षिक योग्यता और अनुभव के आधार पर किया जाता है। उसका कहना है कि उनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिये कि वह गाइडेंस और काउंसेलिंग की ओर अधिक ध्यान दें। यदि मंत्री जी सचमुच सिंसियारिटी के साथ, उनकी सिंसियारिटी में मुझे संदेह नहीं है, अगर वह सिंसियारिटी के साथ इवेलुएशन के तरीके में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो जिनकी कृपा से आधुनिक डाइरेक्टर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं उनसे कहिये कि मनोविज्ञान के केन्द्र में जो इवेलुएशन का काम कर रहे थे, गाइडिंग और काउंसेलिंग का काम कर रहे थे, उनको फिर से सेवा रत करें और जो हमारे गाइडिंग और काउंसेलिंग के लिये नियुक्त कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को और अध्यापकों को इस दिशा में प्रवृत करें और नये इग्जामिनेशन के बारे में अध्यापकों की जानकारी करायें।

प्रि-प्राइमरी ऐजूकेशन के बारे में मुझे आश्चर्य है कि इस पूरे बजट में कोई चर्चा नहीं की गई है। माननीय शिक्षा मंत्री ने उधर बिलकुल अपना दृष्टिपात नहीं किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वह शिक्षा के क्षेत्र में कोई उत्थान देना चाहते हैं तो मद्रास सरकार की नई योजना की तरफ दृष्टिपात करना चाहिये। उस पर हमारी पहली सरकार विचार कर रही थी। वहां पर कुछ महिलायें जो प्रशिक्षित थीं उनको प्राइमरी स्कूल के कम्पाउन्ड में २ घंटे का समय दे कर प्रि-प्राइमरी ऐजूकेशन के लिये एक अलाउन्स देना शुरू किया है। कुछ राज्यों में यह प्रयोग चल रहा है। प्राइमरी स्कूल की शिक्षा को नई दिशा देने के लिये अन्य स्थानों पर विकास किया जा रहा है लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो सका है। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने फरमाया कि हम प्राइमरी स्कूल के हैडमास्टर का राष्ट्रीय करण करने जा रहे हैं, मेरी समझ में बात कुछ आई नहीं। हमारी पिछली सरकार की यह मान्यता रही है कि छोटे कर्मचारियों को जितना अधिक संभव हो, उनको उनके गांव के नजदीक रखा जाय। शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक और विद्यार्थी का तादात्म्य संबंध रहना चाहिये, उनका पर्सनल कंटेक्ट रहना जरूरी है। अब प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर को बदल कर देवरिया से देहरादून और टेहरी से झांसी भेजा जायगा। यह बात समझ में नहीं आती है। यह अन्धेरे में कुछ तीरन्दाजी की बात हो जाती है। आचार्य नरेन्द्र देव कमीशन की रिपोर्ट और राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। इनमें भी इस बात को बतलाया गया है कि उनके लिये कुछ सुविधा होनी चाहिये। शिक्षा विशारदों ने समय समय पर शिक्षा के क्षेत्र में इन्क्लाब लाने के लिये जो सुझाव दिये हैं उनकी तरफ अगर दृष्टिपात किया गया होता तो शिक्षा जगत में इस तरह से अन्धकार फैलाने का प्रयास नहीं करते। उनको आज भ्रष्टाचार ही दिखाई देता है। मैं नवल किशोर जी की बात को दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन जब तक प्रदेश की जनता के सामने सही रिपोर्ट नहीं रखी जायगी तब तक भ्रष्टाचार के आरोप से आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। कम से कम भ्रष्टाचार की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती। पी० डब्लू० डी० और पुलिस में भ्रष्टाचार की बात हो जाय तो बात दूसरी है, लेकिन शिक्षा संस्थाओं में आपको भ्रष्टाचार दिखाई देता है। मानते हैं प्रसार के वक्त में कुछ शिकायतें थीं जिनको हम आज तक पूरा नहीं कर सके हैं।

जहां तक अनुशासन का प्रश्न है, मैं इस बात को मानता हूं कि अनुशासन की दिशा में अभी बहुत कुछ हमें करना है। आज भी माननीय मंत्रियों के घेराव किये जाते हैं। आज बड़ी संख्या में छात्र टि टलेस ट्रैवलिंग करते हैं। कक्षाओं से वाकआउट करते हैं। कापिंग करते हैं और अध्यापकों पर आक्रमण आये दिन करते हैं। इस प्रकार की घटनायें आये दिन होती हैं। इस तथ्य से कोई इंकार नहीं कर सकता है लेकिन इन घटनाओं के पीछे मेरी अपनी राय में सबसे बड़ा कारण आप जैसे लोगों का नन्हे नन्हे बच्चों के जीवन में किसी तरह राजनीतिक उद्देश्य से प्रवेश करना है। यह मेरा चार्ज है और मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं कि शिक्षा के वातावरण को कम से कम आप अपनी मंडली से दूर रखिये। शिशु मंदिरों को बन्द करने की

घोषणा करिये। अन्त में मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं और दोहराना चाहता हूं कि जैसे आपने नेशनल हेरल्ड के रिपोर्टर से यह कहा था कि मैं इस बात को कतई स्वीकार नहीं कर सकता कि उर्दू भाषा की शिक्षा दिलाने की व्यवस्था की जाय, हो सकता है कि मैंने समझने में गलती की हो, लेकिन जिस भाषा में हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जैसे शहीदों ने अपने खयालात का इजहार किया हो, उसके साथ कम से कम अन्याय न कीजिये। यह उर्दू अफगानिस्तान से नहीं आयी है। यह यहां की भाषा ही है और इसी प्रदेश में इसका जन्म हुआ है। कोई भी देश जो जनतांत्रिक शिक्षा पद्धति में विश्वास करता है, किसी भाषा का गला घोंटकर आगे नहीं बढ़ सकता है। इन शब्दों के साथ मैं फिर माननीय सदन के सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि जिस स्वतंत्रता के साथ उन्होंने अपने विचारों को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, उसी स्वतंत्रा के साथ वे मेरे कटमोशन पर अपने अधिकार का उपयोग भी करें।

*श्री राम प्रकाश--

मान्यवर, दो दिन के विवाद में जिन बातों पर विशेष जोर दिया गया, उससे मुझे ऐसा लगा कि माननीय विरोधी दल के सदस्य केवल एक दृष्टिकोण से अपने विचार प्रकट करना चाहते थे कि संयुक्त विधायक दल में किस प्रकार से फूट डाली जाय। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन किये जायं और शिक्षा की प्रगति के लिये जो उनके मौलिक विचार हैं, उनको रखने के स्थान पर इस शिक्षा विवाद को एक राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिये उपयोग किया। इस प्रकार का अनुभव मुझे हुआ। माननीय रामायण राय जी कहते हैं कि यह समाजवादी और साम्यवादी दल के लिये बड़ा खतरा है कि भारतीय जनसंघ अपने शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में शिक्षा में आमूल परिवर्तन करने जा रहा है और उसके स्थान पर माननीय नवल किशोर जी कहते हैं कि भारतीय जनसंघ के लोग कहा करते थे कि हम कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कभी काम नहीं करेंगे इसलिये कि वह पंचमांगी है और आज वह उन्हींके साथ बैठकर अपने नैतिक अधःपतन का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। ये दो बातें एक ही पार्टी के द्वारा कही गयीं और इससे स्पष्ट है कि आज यहां पर वही कहानी चरितार्थ हो रही है कि जिसमें बंदर ने बिल्लियों से रोटी छीनने के लिये उनमें लड़ाई पैदा करने की कोशिश की। लेकिन श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि यह संयुक्त विधायक दल की सरकार अपने अनेक पार्टियों के आधार पर संगठित हुई है, इसमें अनेक पार्टियां मिलकर एक हुई हैं। यह ठीक है और यह भी ठीक है कि हम में विभेद है। इसे मैं स्वीकार करता हूं लेकिन उसके बाद भी जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये, प्रशासन में स्वच्छता लाने के लिये, गरीबों की दशा सुधारने के लिये, शिक्षा के अन्दर नैतिकता का वातावरण उत्पन्न करने के लिये, आदि बातों में किसी दल में, किसी पार्टी में कोई भेद नहीं है और इसलिये ये आशायें निराशा में बदल जायेंगी कि संयुक्त विधायक दल को कोई तोड़ सकता है। आलोचना हम करते हैं, अपने विचार रखते हैं, हमारे ही विचारों में कुछ भिन्नता हो सकती है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विभिन्नता में और अनेकता में एकता का स्वरूप यह संयुक्त विधान दल के जरिये किया जा रहा है और जो शिक्षा का बजट हमने प्रस्तुत किया है वह जनसंघ का बजट नहीं है, संयुक्त विधायक दल का बजट नहीं है। मुझे आश्चर्य होता है, अभी तो केवल संयुक्त विधायक दल का बजट मैंने प्रस्तुत किया है और माननीय सदस्य इतने परेशान हो गये, उन्हें इतना खतरा दिखाई पड़ने लगा, यदि कहीं भारतीय जनसंघ का बजट प्रस्तुत करता तो यहां बैठना मुश्किल हो जाता।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यहां पर पोलिटिकल और पार्टी की बातें बिलकुल संसदीय हैं। आपको शान्ति पूर्वक माननीय मंत्री को सुनना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम प्रकाश—

शिक्षा की नीतियों पर अपना विचार प्रकट करते हुये "आध्यात्मिकता" शब्द का प्रयोग कर दिया तो हमारे माननीय रामायण राय जी इतने परेशान हो गये, मानो जो कुछ आज तक किया गया है वह सब समाप्त कर दिया जायगा। मुझे याद दिलानी है श्रीमन्, उस २० साल के इतिहास की जिसमें दुहाई दी जाती है महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी के जितने विचार थे, उनकी जो प्रेरणा थी, उन्होंने जिन संस्कारों का सृजन किया था देश के अन्दर, उन सारे संस्कारों की २० साल के अन्दर हत्या कर दी गयी। सारे विचारों को समाप्त कर दिया गया। और आज हम कहां पहुंचे? जो महात्मा गांधी अपनी प्रार्थना सभा में रोज अध्यात्मिकता की दुहाई देते थे आज उनके अनुयायी २० साल बाद, माननीय रामायण राय जी, आध्यात्मिकता शब्द सुन करके अपनी कुर्सी से उछल जाते हैं। यह स्थिति पहुंची है २० साल के अन्दर। हम कहां जा रहे हैं? किस ओर बढ़ रहे हैं? यह इस बात का द्योतक है कि आज गांधी जी के अनुयाइयों की मनोवृत्ति क्या है। यह मैंने केवल इसलिये कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो अवनति हुई है, उसका एक स्पष्ट प्रमाण हमारे सामने माननीय सदन में भी हमको प्राप्त हो गया।

मैं अनेक बातों की चर्चा नहीं करूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी कृपया मुझे संबोधित करें तो उनको दिक्कत न होगी।

श्री राम प्रकाश—

श्रीमन्, माननीय सदस्यों को बड़ी तकलीफ हुई है, मैं जानता हूं।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

इस तरह से खड़े होना यह अशोभनीय है। सदन में माननीय सदस्य कृपया शान्ति रखें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

उनसे श्रीमन्, इतना कह दिया जाये कि वे कृपया गांधी जी का नाम न लें।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों को यह अनुमति नहीं दे सकता कि इस तरह से खड़े होकर बोलने लगें। माननीय शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं, हो सकता है वह आपकी भावनाओं के अनुकूल न हो, फिर भी आपको सुनना चाहिये। आप कृपया शान्ति रखने में सहयोग दें।

श्री राम प्रकाश—

श्रीमन्, उधर के कुछ लोगों को तखलीफ हुई। शिक्षा के विषय में मैं बहुत कुछ शुरू में ही कह चुका हूं। जो प्रश्न यहां उठाये गये हैं, मेरा कर्तव्य हो जाता है कि मैं उनका उत्तर दूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके इधर (सरकारी पक्ष) वाले आपस में बातचीत न करें।

श्री रामप्रकाश—

श्रीमन्, जिन शिक्षा समिति के निर्माण का मंतव्य मैंने प्रकट किया था, उसके संबंध में माननीय सदस्यों ने कुछ शंकायें प्रकट की हैं। मान्यवर, इनके द्वारा शिक्षा जगत में एक नया

परिवर्तन आने वाला है। उसके द्वारा किसी विशेष वर्ग के साथ पक्षपात नहीं होगा। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन हम ला रहे हैं उसका मौलिक आधार यह होगा कि किसी वर्ग विशेष या किसी दल विशेषके साथ पक्षपात नहीं बरता जायेगा, उसमें गुटबन्दी नहीं आने पायेगी। उसका दूसरा ही मापदंड होगा और वह होगा योग्यता।

(व्यवधान)

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या आपने कांग्रेस के माननीय सदस्यों के मुंह में लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति दे दी है कि वह जो चाहें सो कहें ?

श्री अध्यक्ष—

यह आपका व्यवस्था का प्रश्न दुर्व्यवस्था करने वाला कार्य है। कृपया शान्ति बनाये रखने में मेरी सहायता करें बजाय इसके कि मेरी कठिनाइयों को और बढ़ायें।

(व्यवधान)

श्री गोविन्द नारायण तिवारी (जिला जालौन)—

क्या आपने जनसंघ के सदस्यों को बदतमीजी करने की इजाजत दे दी है ?

श्री अध्यक्ष—

बदतमीजी करने की इजाजत न उनको दी है और न आपको।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

अध्यक्ष महोदय, क्या नेता सदन नये चुन लिये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—

हमारे यहां कोई ऐसा कानून नहीं है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

कान्वेन्शन के अनुसार तो ऐसा होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

कान्वेन्शन बनाने वालों के हाथ में होता है।

श्री राम प्रकाश—

मैं केवल यही कह रहा था कि शिक्षा का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां सरस्वती की पूजा होनी चाहिये और कोई...

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया इसका ध्यान रखें कि साढ़े ४ बजे तक ग्रांट समाप्त होनी है।

(व्यवधान)

यह सब अशोभनीय है कि सदस्य इस तरह से व्यवधान करते हैं। यहां बोलने का प्रश्न नहीं है। ग्रांट आज के दिन निश्चित समय पर पास होनी है। सरकार के लिये यह आवश्यक है कि ग्रांट निश्चित समय पर पास हो। मैंने आपको १५ मिनट पूर्व इसलिये सूचना दे दी थी कि आप फैलाव कर लें और तदनुसार समाप्त कर लें।

श्री राम प्रकाश--

वास्तव में मेरी मंशा कोई कांग्रेस सरकार की आलोचना की नहीं थी। मैंने जो विषय रखा वह विषय था जो इस तरफ के बैठने वाले और उस तरफ के बैठने वाले सदस्य-दोनों के लिये परेशानी है। किन कारणों से शिक्षा का वातावरण इस स्थिति पर पहुंचा है यह महत्व का नहीं है जितनी कि महत्व की बात है उसमें सुधार किस तरह किया जाय। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि हमने शिक्षा का इतना विस्तार किया फिर भी हमारी शिक्षा के कार्यों की आलोचना की गई। मैंने विस्तार से कार्य पर आलोचना नहीं की। मैंने उसे स्वीकार किया। मैंने कहा कि विस्तार होता है और विस्तार के आंकड़े भी प्रस्तुत किये। लेकिन साथ ही साथ मैंने कहा कि शिक्षा के अन्दर विस्तार एकमात्र लक्ष्य बनाना, विस्तार के साथ साथ शिक्षा के अन्दर जो सामर्थ्य पैदा होनी चाहिये व्यक्तित्व के निर्माण के लिये महापुरुषों के सृजन के लिये और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये और छात्रों के अन्दर उज्ज्वल आकांक्षाओं के लिये, उनके अन्दर नैतिक चरित्र का निर्माण करने के लिये, वे सारे अभाव हमारे सामने समस्यायें बनी हुई हैं और उन पर हमें सामूहिक रूप से विचार करना है। इसलिये मैं श्रीमन्, आपकी आज्ञा से एक छोटा सा अंश जो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट है, उसमें से पढ़ना चाहता हूं। विस्तार के बारे में उन्होंने अपना मंतव्य प्रकट किया है।

"Another system of Higher Education with the same total output but producing a large proportion of indifferently educated graduates of Arts, many of whom remain unemployed or are even unemployable could create social tensions and retard economic growth. It is only the right type of education provided on an adequate scale that may lead when these conditions are not satisfied the opposite effects may result."

श्रीमन्, शिक्षा आयोग ने कहा क्योंकि ऐसी उच्च शिक्षा की व्यवस्था जिसमें बहुत बड़े परिमाण में स्नातक निकाले जायं या तो जिनको कोई नौकरी न मिलें या नौकरी मिलने की सम्भावना न हो उससे यह आवश्यक नहीं है कि देश प्रगति करे, उससे देश की व्यवस्था में ऐसे अंतरंग संघर्ष पैदा हो सकते हैं जो हमारी प्रगति को रोक सकते हैं। इसलिये जब तक इसकी अन्यथा व्यवस्था नहीं होगी तब तक देश प्रगति नहीं कर सकता। इसलिये विस्तार के साथ शिक्षा के स्तर को भी हमें देखना होगा। इसी के प्रबंध के लिये मैंने कुछ संकेत दिये थे। उन समस्याओं की ओर हमें गंभीरता से विचार करना है और उस बारे में मैं थोड़े से अपने विचार रखना चाहता हूं।

आज जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, वह समस्या है छात्रों के अन्दर भविष्य के बारे में चिन्ता और आशंका, उनको अपना भविष्य उज्वल दिखायी नहीं पड़ता, उनके अन्दर निराशा का वातावरण है इसलिये छात्रों को शिक्षा में जिस अनुराग से लगना चाहिये उस लगन के साथ वे नहीं लग पाते। टैक्निकल एजूकेशन के बारे में भी माननीय सदस्यों ने हमसे सवाल पूछे कि उसके अन्दर आंकड़े कम क्यों कर दिये गये हैं। आज हमारे सामने टैक्निकल एजूकेशन के बारे में प्रश्न यह है कि इस प्रदेश के टैक्निकल विद्यालयों से जितने विद्यार्थी निकलते हैं, उन सब के लिये ही नौकरियां उपलब्ध नहीं हैं, और इस प्रकार की व्याख्या विशेषज्ञों ने की है कि अगर इसमें और धन बढ़ा दिया जायगा तो इन छात्रों के अन्दर भी बेकारी की समस्या उत्पन्न हो जायगी। जब एक ओर हमारे सामने यह समस्या है वहां दूसरी ओर हमारे कारखानों में हजारों छोटे-छोटे विशेषज्ञों की आवश्यकता है। लेकिन ऐसे टैक्निकल क्वालिफाइड विशेषज्ञों की पूर्ति करने में हमारा प्राविधिक विभाग असमर्थ रहा है। हमें अपने शिक्षा के सारे क्षेत्र को इन दो बातें से जोड़ना है। एक ओर हमें छात्रों को अध्ययन करने की सुविधा प्रदान करना है और दूसरी ओर हमें उनको नौकरियां उपलब्ध कराना है। इसलिये टैक्निकल एजूकेशन का हमें और दूसरे रास्तों में विस्तार करना होगा। दो महीने के अन्दर कोई भी नयी सरकार इस प्रकार की कोई नयी व्यवस्था नहीं कर सकती। मैंने केवल उस ओर संकेत दिया है कि हमें कहां विस्तार करना है और कहां विस्तार नहीं करना है।

यहां पर उर्दू का प्रश्न भी उठाया गया और पहले मैंने जानबूझ कर उसकी चर्चा नहीं की क्योंकि संयुक्त विधायक दल की सरकार ने उस विषय पर अपने १९ सूत्री कार्यक्रम में कुछ नहीं कहा है । परन्तु यह विषय उन लोगों की तरफ से उठाया गया, मुझे आश्चर्य है कि जिन्होंने २० साल में उस उर्दू की कोई कद्र नहीं की । श्रीमन्, मैं उर्दू पत्रकारों की एक सभा में गया था और वहां उर्दू के संबंध में उनको क्या सुविधायें दी जायं, इस पर विचार हुआ । उन्होंने जो शिकायत की वह यह की कि यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है । सरकार ने जो आश्वासन दिये थे उनमें से यह पूरा नहीं हुआ, यह पूरा नहीं हुआ । मैंने कहा यह तो आज की कहानी नहीं पुरानी सरकार की कहानी है । उन्होंने कहा कि हम २० साल की कहानी तो कह रहे हैं लेकिन इस सरकार से हमें अधिक आशा है और इसमें संदेह नहीं कि उर्दू के संबंध में इस सरकार की नीति पिछली सरकार की अपेक्षा अधिक सुविधा देने की है । (व्यवधान)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, आन ए पाइंट आफ इन्फार्मेशन । इधर की बेंचेज के सदस्यों के सवालों का उत्तर तो माननीय मंत्री जी चाहे जैसे दें, जैसे भी उन को शोभा देता हो हम उस को बरदाश्त कर लेंगे लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जब आप वहां पीठासीन नहीं थे उस समय इस सरकार के एक उपमंत्री श्री शमीम आलम साहब ने एक नया काम किया है, उन्होंने मंत्री जी के शिक्षा बजट की आलोचना की है । तो मैं जानना चाहता हूं कि उनकी आलोचना का मंत्री जी के पास क्या उत्तर है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य मेरा काम अपनी-अपनी जगह पर करेंगे तो यहां व्यवस्था नहीं रह सकेगी ।

श्री राम प्रकाश—

श्री शमीम आलम जी ने तो मेरे प्रस्ताव का समर्थन ही किया था मालूम नहीं वह क्या समझ गये ।

हिन्दी के विषय में एक माननीय सदस्य ने यह विचार व्यक्त किये कि जो व्यवस्था मैंने कल हिन्दी के बारे में इस सदन में रखी थी, वह पर्याप्त नहीं है ।

श्री रामायण राय—

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से एक जानकारी चाहता हूं कि कल शाम को रेडियो पर प्रसारित किया गया कि अंग्रेजी में फेल छात्र पास कर दिये जायेंगे । तो क्या मंत्री जी ने इस तरह की कोई सूचना रेडियो को दी है ?

श्री राम प्रकाश—

हमने नवीं कक्षा से अंग्रेजी को भी एक ऐच्छिक विषय बनाया है । इसका मतलब यह है कि अभी तक जो विषय थे उसमें अंग्रेजी या कोई आधुनिक भारतीय भाषा में से एक विषय छात्र को लेना अनिवार्य था और हमारे विद्यालयों में किन्हीं कारणों से दूसरी भाषाओं का अनेक विद्यालयों में प्रबन्ध न होने के कारण छात्र मजबूर होकर अंग्रेजी को ही लेते थे, लेकिन आगे की व्यवस्था में कोई भाषा नहीं बल्कि अंग्रेजी या दूसरी भाषा ऐच्छिक विषय होंगी। केवल वही विद्यार्थी अंग्रेजी लेंगे जिन्हें अंग्रेजी में विशेष योग्यता प्राप्त करना है ।

परीक्षाओं का जहां तक सम्बन्ध है, जो छात्र अंग्रेजी में फेल हो गये हैं मैंने कल भी बताया था कि चूंकि छात्रों की संख्या बहुत कम है इसलिये सरकार ने यह निर्णय नहीं किया कि फेल छात्रों को पास किया जाय और मेरे ख्याल से शिक्षा के स्तर की दृष्टि से वह बात उपयुक्त भी नहीं है ।

[श्री राम प्रकाश]

अध्यापकों के विषय में उन की सुविधायें बढ़ाने की दृष्टि से बहुत से सुझाव आये हैं । इस सम्बन्ध में मैंने पहले भी अपने विचार प्रकट किये थे कि यह सरकार उनकी मांगों से सैद्धान्तिक रूप से सहमत है । लेकिन मुझे आश्चर्य है कि उधर के सदस्यों ने कहा कि हम ने अध्यापकों के लिये यह किया वह किया लेकिन शायद उन को पता तो है और वह जरूर ही होगा कि पिछले चुनाव में अध्यापक बन्धु किस प्रकार से बुरी तरह से उनके पीछे पड़े थे, क्यों पड़े थे वह वे जानते हैं, मैं नहीं कह सकता आप विश्वास करें यह सरकार जनता के समर्थन के बूते यहां खड़ी है और वह रहेगी जबतक जनता का समर्थन उसको मिलता रहेगा और आप जितना प्रयास करेंगे कुछ वर्गों को उभारने का वे वर्ग उतने ही हमारे साथ होंगे और आपके प्रयास सफल न हो सकेंगे । आप इस तरह से हमारे दलों में किसी प्रकार के भेद या संघर्ष का निर्माण न कर सकेंगे ।

वैसे, श्रीमन्, माननीय सदस्यों के जो सुझाव आये हैं जैसे प्राविडेन्ड फंड के सम्बन्ध में, उनके बच्चों की शिक्षा के बारे में या शिक्षा की व्यवस्था के बारे में, मैं उन सभी सुझावों का आदर करता हूं । हमारी जो प्रादेशिक समितियां हैं उनमें अध्यापकों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा ।

श्रीमन्, एक विषय जिसकी बड़ी चर्चा और परेशानी रही, वह था प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए जो प्रधानाचार्यों के प्रान्तीयकरण के बारे में हमने कहा था । मुझे इसके बारे में विस्तार में कहने का समय नहीं मिल सका इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को कुछ संदेह हो गया है । प्रान्तीयकरण होने के बाद में भी यह व्यवस्था रखी जायेगी कि प्रधानाचार्यों के स्थानान्तरण केवल एक जिले के अन्दर ही हों । इसलिए वे सारे सन्देह बेकार हैं क्योंकि उसके पीछे जो उद्देश्य है वह उद्देश्य शिक्षा में सुधार करने का है । हम चाहते हैं कि हमारे प्राथमिक विद्यालय जो हैं, उनका स्तर ऊंचा उठे और जो राजनीतिक हस्तक्षेप होता है वह न हो ।

श्री एस० जी० दत्त--

श्रीमन्, मेरा एक प्वाइन्ट आफ आर्डर है । माननीय मंत्री जी ने अभी अपने भाषण में कहा.....

श्री अध्यक्ष--

मैं प्वाइंट आफ आर्डर की अनुमति नहीं देता । आप कृपया बैठें ।

श्री राम प्रकाश--

शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार उन्मूलन के विषय में मेरी यह धारणा है कि जब तक शिक्षा के क्षेत्र में जो किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार हैं, चाहे वह अध्यापकों में हों, प्रबन्ध समितियों में हों या कार्यालयों में हों, दूर नहीं किया जायगा पर्याप्त प्रगति नहीं होगी । मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचारी को मुक्त भी नहीं किया जायगा ।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि लखनऊ कारपोरेशन में मेरे रहते हुये भ्रष्टाचार बढ़ा है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मेरे रहते हुये कारपोरेशन में भ्रष्टाचार कम हुआ । कुछ उसकी जांच हुई और उसकी जांच हमारे सामने नहीं आयी । जिस समय मैं कारपोरेशन में था भ्रष्टाचार उन्मूलन का प्रश्न मेरे द्वारा ही उठाया गया था । लखनऊ नगर महापालिका में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये जितने कदम उठाने का हमने प्रयास किया, उस समय की सरकार ने उतने ही अड़ंगे लगाये (शोर) श्रीमन्, जब आवश्यकता पड़ेगी मैं एक-एक विषय आपके सामने रखूंगा । इस समय मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उसकी विस्तार में जांच हो जाय । मैंने तो कहा था कि माननीय सदस्यों की एक समिति बना दी जाय । वह उसकी जांच करें और देखें कि सार्वजनिक क्षेत्र में नैतिक चरित्र की कहां-कहां पर अवहेलना की गयी है । मेरा तो चैलेंज है कि कोई माननीय सदस्य कारपोरेशन के कार्यों को देखें कि जितने भी काम सरकार ने किये हैं वे भ्रष्टाचार से भरे हुये हैं । जितने काम उस समय नगरपालिका ने किये होंगे वे भ्रष्टाचार

से मुक्त होंगे । और इसलिये जिस समय कारपोरेशन को समाप्त कर दिया गया और मैं यहां विधान परिषद् में आया तो मैंने कहा था कि वहां से मुक्त करके यहां बुला लीजिये लेकिन कहीं आप का आसन यहां से न हिल जाय । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये कठोर कार्यवाही की जायगी । माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि अभी तो काम शुरू हुआ है, मैं केवल घोषणाओं में विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, जो शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन आयेंगे १ वर्ष बाद, वे स्वयं बतलायेंगे कि क्या हो रहा है । उनसे आप आंक सकेंगे कि किसने भ्रष्टाचार किया और किसने उसे समाप्त किया । इन शब्दों के साथ मैं अनुदान प्रस्तुत करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)——

श्रीमन्, इस बात पर आप की व्यवस्था चाहता हूं कि आप ने सदन की राय से एक समय निश्चित कर दिया था कि साढ़े ४ बजे तक ही अनुदानों पर मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो जायगी लेकिन अब तो उससे ज्यादा समय हो गया है ।

श्री अध्यक्ष——

मैंने तय किया था लगभग साढ़े ४ बजे तक और उसमें मुझे विवेक है । समय का ऐसा बन्धन नहीं है कि वह साढ़े ४ बजे के बाद नहीं चल सकता ।

एक सदस्य——

अप्रैल, १९६४ में माननीय उप मुख्य मंत्री कारपोरेशन में थे. . . . .

श्री अध्यक्ष——

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री धर्मवीर——

श्रीमन्, मैं जब बोल रहा था तो मैंने पूछा था कि हरिजन विद्यार्थियों, उनकी छात्रवृत्ति के बारे में सरकार की क्या नीति होगी शिक्षा क्षेत्र में ? इस के बारे में मंत्री जी ने कुछ नहीं बताया। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट नीति घोषित कर दें ।

श्री अध्यक्ष——

जब माननीय सदस्य बोलते हैं तो आशा यह की जाती है कि जब मंत्री बोलेंगे तो उन का जवाब दें । आप ने अपनी बात रख दी । मंत्री जी जवाब दें या न दें ।

श्री धर्मवीर——

मंत्री जी ने उस बारे में कोई जवाब नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष——

मैं मजबूर नहीं कर सकता हूं । अगर वह नहीं देते हैं और देने लायक बात थी तो सदन उससे भी नतीजा निकाल सकता है।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य——

(१) शिक्षा नीति में आमूल परिवर्तन करना तथा राजकाज के सभी अंगों में राष्ट्र भाषा हिन्दी का प्रयोग करना तथा दूसरी समकक्ष भाषाओं का भी विकास करना ।

(२) हाई स्कूल तक लड़कों तथा इन्टर तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देना ।

[श्री अध्यक्ष]

(३) राजकीय तथा निजी विद्यालयों के अध्यापकों को समान कार्य के लिये समान वेतन-क्रम के सिद्धान्त को स्वीकार करके वेतन-क्रम समान करना और प्राइवेट पाठशालाओं का वेतन-क्रम १५० रु० प्रतिमास करना ।

(४) अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों की शिक्षा को मुफ्त देना तथा शिक्षा के क्षेत्र में उन के हितों की रक्षा करना ।

(५) विश्वविद्यालय के अटानामी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८, को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १८—शिक्षा-के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३४,८४,५१,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

लखनऊ मेडिकल कालेज के छात्र द्वारा एक नर्स के साथ अभद्र व्यवहार के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास नियम ५१ में कई सूचनायें आयी हैं जिनमें से मैंने एक सूचना वक्तव्य के लिये स्वीकार की है और वह इस विषय पर है :

"लखनऊ स्थित के० जी० मेडिकल कालेज के एक छात्र ने दिनांक ५—७—६७ की सुबह लगभग सात बजे एक रात की ड्यूटी से वापस आती हुई नर्स को कालेज के बाहर रोका और अभद्र व्यवहार करने के अतिरिक्त नर्स को पीटा जिसके परिणामस्वरूप उक्त नर्स के कान से खून बह निकला । इस घटना के समय ही और बहुत सी कर्मचारी नर्सें मौके पर एकत्र हो गईं और उन्होंने इस प्रकार की घटना के जिम्मेदार छात्र को अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया परन्तु वह छात्र रहस्यमय ढंग से वहां से भागने में सफल हो गया । इस घटना के प्रति अपना विरोध प्रकट करने के लिये मेडिकल कालेज की समस्त नर्सों ने कल दिनांक ५—७—६७ को हड़ताल रखी ।

वर्तमान परिस्थितियों में इस कालेज में काम करने वाली समस्त नर्सों में यह भावना घर कर गई है कि कालेज के कार्यकाल में उनके जीवन तथा सम्मान की कोई सुरक्षा नहीं है ।

उपरोक्त कारणों से मेडिकल कालेज की नर्सों तथा लखनऊ की जनता में व्यापक रोष एवम् असन्तोष है । अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर हम सम्बन्धित मंत्री जी से नियम ५१ के अन्तर्गत एक वक्तव्य देने की मांग करते हैं ।"

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इस पर कब वक्तव्य देंगे ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री प्रताप सिंह)—

अभी वक्तव्य दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

तो एक मिनट बाद रुक जायें ।

नियम ५१ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

इसके बाद एक माननीय दीपंकर जी की नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना आयी है जिसमें अनशन कर रही कुछ महिलाओं का जिक्र है । जैसा कि हमेशा ऐसे प्रश्नों को मैं अस्वीकृत करता रहा हूं, इसको भी अस्वीकृत कर दिया है लेकिन इसको मैं सम्बन्धित मंत्री के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज रहा हूं क्योंकि उसमें कुछ महिलाओं की हालत के खराब होने की बात लिखी है ।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, छितौनी बांध के सम्बन्ध में मैंने भी एक नियम ५१ के अन्तर्गत दिया था ।

श्री अध्यक्ष—

उस विषय में कल प्रश्न आ चुका था ।

श्री चन्द्रबली—

वह बात तो इसमें है नहीं. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, तो मैं इसको सम्बन्धित माननीय मंत्री के पास अविलम्ब कार्यवाही हेतु भेज रहा हूं ।

लखनऊ मेडिकल कालेज के छात्र द्वारा एक नर्स के साथ अभद्र व्यवहार के संबन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना (क्रमागत)

*स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रताप सिंह—

मान्यवर, जो ध्यान आकर्षण करने का प्रस्ताव रखा गया है, यह बात सही है कि मेडिकल कालेज के एक छात्र ने वहां की एक नर्स के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की और उसके बाद हमारे विभाग के अधिकारी वहां पहुंचे । उन्होंने वहां के सुपरिन्टेन्डेन्ट से बात करने के बाद उस विद्यार्थी को सस्पेंड कर दिया । कल शाम को करीब साढ़े ४ बजे वहां की नर्सें माननीय श्रीखालाल व माननीय दीपंकर जी के साथ मेरे कमरे में आयीं, उनसे बातचीत करने के बाद यह तय हुआ कि मेडिकल कालेज के उस लड़के को मेडिकल कालेज के प्रेमिसेज में आने की इजाजत नहीं है और साथ ही उनकी हिफाजत के लिये पूरा इन्तजाम कर दिया गया है । वहां इस समय कोई हड़ताल नहीं है । पूर्ण शान्ति है और उस लड़के पर चार्ज शीट सर्व कर दी गयी है । उसे मेडिकल कालेज की प्रेमिसेज में आने से मना कर दिया गया है ।

नियम ५१ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनायें (क्रमागत)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । हम रोज-रोज देख रहे हैं कि सदन का कुछ समय बच जाता है और सदन समय से पहले ही उठ जाता है । अभी शिक्षा के बजट पर बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाये । तो मेरा प्रस्ताव है कि जितने प्रश्न हैं उनको आप सुबह ही १२ और १ बजे के बीच में लेकर समाप्त कर दें तो सदन के समय का भी सदुपयोग हो जायगा और अनुदानों पर बहस के लिये भी पूरा समय मिल सकेगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

पहले समय से उठ जाने से सारे प्रदेश के लोग यही समझते हैं कि हम पूरे वक्त तक अपना काम नहीं करते, इसलिये अच्छा यह हो कि सदन इस बात को तय कर ले।

श्री अध्यक्ष—

माननीय बहुगुणा जी, आपने जो बात कही, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल आपस में तय कर मुझे बतला दें, फिर मुझे उसमें कोई एतराज नहीं होगा। कल मैं इस बात को उनसे पूछ लूंगा। बहरहाल, मैं भी यही चाहता हूं कि सदन का समय जो बच जाता है उसका उपयोग हो सके।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, जो मैंने ध्यान आकर्षित करने हेतु नोटिस दिया था वह तो आपने स्वीकार नहीं किया और ठीक ही किया लेकिन मैं यह चाहता हूं कि मन्त्री महोदय कुछ उस पर सहानुभूति-पूर्वक अवश्य सोच लें, चाहे वक्तव्य दें अथवा न दें।

श्री अध्यक्ष—

इत्तिफाक से जो बात आप कह रहे हैं वही शब्द मैंने लिखे हैं। आवश्यक जानकारी और सहानुभूतिपूर्वक आवश्यक कार्यवाही हेतु मैंने उसे भेजा है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के सम्बन्ध में जो ध्यान आकर्षित करने हेतु प्रस्ताव आया था, उस पर जो आज्ञा आपने दी है वह शिरोधार्य है। लेकिन स्थिति विषम होती जा रही है। कुछ महिलाओं का प्रतिनिधि मण्डल एम० एल० एज तथा मुझसे भी मिला है और महिलायें इतनी निराशा के वातावरण में हैं कि एक आध महिलायें कहने लगीं कि वे अपने कपड़ों पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा लेंगी। इस योजना पर केवल ९ लाख रुपए वार्षिक का खर्चा आता है। इस पर सहानुभूतिपूर्वक सरकार विचार करे।

श्री अध्यक्ष—

आपकी बात सरकार ने सुन ली।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, बहुगुणा जी ने पहली बार जो सुझाव दिया कि अन्त में समय बच जाता है, मेरा भी यही सुझाव है कि समय नहीं बचना चाहिए। नियम समिति जिसे पहली विधान सभा ने बनाया था उसने यह तय किया था कि कामरोको तथा नियम ५१ के प्रश्न ४ बजे के बाद लिए जाया करें। उसमें बहुमत भी उन्हीं की पार्टी का था। अब आपने यह ठीक ही कहा कि यह मसला नेता सदन और नेता विरोधी दल तय कर लें और फिर सर्वसम्मति से यहां प्रस्ताव पास हो जाय। मेरा भी इसमें यह सुझाव है कि नियम ५१ में जो प्रश्न आते हैं उनमें अगर एक से अधिक आप उदारतापूर्वक ले लिया करें तो जवाब सवाल करने में ५ के बजाय सवा ५ बज जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

मुझे आपकी क्षमता पर विश्वास है कि मैं करने न भी दूं तब भी आप सवा ५ बजा सकते हैं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

यह ठीक है कि नियम समिति में इधर के लोग और उधर के लोग भी थे लेकिन उद्देश्य जो तब अपोजीशन में बैठते थे और बहुत उछल-कूद मचाते थे और उसमें ढेर हो घंटे लग जाया

करते थे लेकिन अब टेम हो गए हैं और वह स्थिति बदल गयी है। इसलिए यह नियम अब अपनी पहले वाली जगह पर कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

माननीय उग्रसेन जी यह चाहते हैं कि जो वह किया करते थे वह आप न करें।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५१ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
६ जुलाई, १९६७।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५७ पर)

मंत्रियों की सूची जिन्होंने आचरण कोड के अधीन सम्पत्ति का योरा दिया है

मंत्री

१—श्री रामप्रकाश, उप मुख्य मन्त्री, तथा शिक्षा मन्त्री।
२—श्री रामचन्द्र विकल, पशुपालन तथा वन मन्त्री।
३—श्री प्रभुनारायण सिंह, उद्योग तथा श्रम मन्त्री।
४—श्री गंगाभक्त सिंह, सहकारिता मन्त्री।
५—श्री टम्बेश्वर प्रसाद, सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री।
६—श्री रामस्वरूप वर्मा, वित्त मन्त्री।
७—श्री प्रतापसिंह, स्वास्थ्य मन्त्री।
८—श्री मंगलदेव विशारद, सार्वजनिक निर्माण मन्त्री।
९—श्री अख्तर अली खां, आबकारी मन्त्री।
१०—श्री श्यामलाल यादव, न्याय मन्त्री।
११—श्री मानसिंह वर्मा, परिवहन मन्त्री।
१२—श्री वरमेश्वर पांडेय, स्वायत्त शासन मन्त्री।

उप मंत्री

१—श्री ओमप्रकाश सिंह, उप मन्त्री, पशुपालन एवं वन।
२—श्री रूपनाथ यादव, उप मन्त्री, कृषि तथा सामुदायिक विकास।
३—श्री महीलाल, उप मन्त्री, गन्ना विकास तथा पंचायती राज।
४—श्री हिम्मतसिंह, उप मन्त्री, उद्योग तथा श्रम।
५—श्री रामस्वरूप यादव, उपमन्त्री, राजस्व एवं सहायता तथा पुनर्वास।
६—श्री रामप्रसाद देशमुख, उपमन्त्री, सिंचाई तथा विद्युत्।
७—श्री कृष्णबहादुर मिश्र, उप मन्त्री स्वास्थ्य।

परिशिष्ट

(देखिए तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६३ पर)

सूची उन व्यक्तियों की जिनको जिला जालौन के अन्तर्गत वर्ष १९६७ के माह जनवरी व फरवरी में बन्दूकों के लाइसेंस स्वीकृत किए गए।

तहसील उरई

क्रम-संख्या	लाइसेन्सी का नाम तथा पता	शस्त्र का प्रकार	स्वीकृति की तिथि
१	श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री आनन्द निवासी सामई ।	एक नाली कारतूसी	१९-१-६७
२	श्री रामदास पुत्र श्री गजरे निवासी गुनसाई।	दो नाली टोपीदार	३१-१-६७
३	श्री सुमेर पुत्र श्री लछीराम निवासी करुई बुजुर्ग।	एक नाली कारतूसी	३१-१-६७
४	श्री भैयालाल पुत्र श्री दलयावन निवासी करुई बुजुर्ग।	,,	,,
५	श्री महेश्वरी पुत्र श्री बल्ली निवासी करुई बुजुर्ग।	,,	,,
६	श्री राशनसिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह निवासी छाता ।	,,	,,
७	श्री शिवनारायन सिंह पुत्र श्री राम सिंह निवासी नरछा।	एक नाली टोपीदार	३-२-६७
८	श्री धनीराम पुत्र श्री गोविन्द निवासी नरछा।	एकनाली कारतूसी	८-२-६७
९	श्री शिवराम दास पुत्र श्री गया प्रसाद निवासी केसेरी।	,,	९-२-६७
१०	श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री मोहब्बत सिंह निवासी करुई बुजुर्ग।	,,	३-२-६७

तहसील कोंच

१	श्री सरमन पुत्र श्री भागीरथ निवासी पहाड़ गांव।	दोनाली कारतूसी	१७-१-६७
२	श्री गोपीनाथ पुत्र श्री छिन्ने निवासी गौरा करनपुर।	एकनाली टोपीदार	३०-१-६७
३	श्री बेनी प्रसाद पुत्र श्री बाली निवासी कुंवरपुरा।	,,	२४-१-६७
४	श्री गयाप्रसाद पुत्र श्री धनाराम निवासी सुनाया।	दोनाली कारतूसी	१७-१-६७

क्रम-संख्या	लाइसेन्सी का नाम तथा पता	शस्त्र का प्रकार	स्वीकृति की तिथि
५	श्री मन्न लाल पुत्र श्री मानिक लाल निवासी पहाड़गांव।	दो नाली कारतूस	१७-१-६७
६	श्री रट्टीलाल पुत्र श्री रामगोपाल निवासी पहाड़गांव।	,,	,,
७	श्री लक्खू पुत्र श्री मुलू निवासी पिराना	दोनाली टोपीदार	९-२-६७
८	श्री कोमली पुत्र श्री मुन्ने निवासी मवासा।	एकनाली टोपीदार	२८-२-६७
९	श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री पंचम सिंह निवासी खकरल।	एकनाली कारतूसी	१-२-६७

तहसील कालपी

१	श्री मगनलाल पुत्र श्री जोधा निवासी जोराखेरा।	दोनाली टोपीदार	३१-१-६७
२	श्री बाबू राम पुत्र श्री चूरामन निवासी उकासा।	,,	,,
३	श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री चन्दन सिंह निवासी मगरौल।	,,	२-१-६७
४	श्री गंगा राम पुत्र श्री चन्दन लाल निवासी बमना।	एकनाली कारतूसी	२३-१-६७
५	श्री दुर्गासिंह पुत्र श्री बदलू सिंह निवासी भसगांव।	एकनाली टोपीदार	३१-१-६७
६	श्री बलरामपुर पुत्र श्री घासी राम निवासी नरहान।	एकनाली कारतूसी	,,
७	श्री भैयादीन पुत्र श्री कालका निवासी कुवारखेड़ा।	एकनाली टोपीदार	,,
८	श्री राम लाल पुत्र श्री धर्म सिंह निवासी कुवाखेड़ा।	,,	,,
९	श्री भैयादीन पुत्र श्री डरू निवासी साहर पुर।	एकनाली कारतूसी	,,
१०	श्री ठाकुर दीन पुत्र श्री मंगली निवासी गरैही।	,,	,,
११	श्री तेज राम पुत्र श्री बट्टू निवासी गरैही।	,,	७-२-६७
१२	श्री पूरन पुत्र श्री परसी निवासी गरैही	एकनाली टोपीदार	९-२-६७
१३	श्री मूलचन्द पुत्र श्री बसई निवासी गरैही।	,,	७-२-६७

क्रम-संख्या	लाइसेन्सी का नाम तथा पता	शस्त्र का प्रकार	स्वीकृति की तिथि
	तहसील जालौन		
१	श्री बिन्दुवन पुत्र श्री भूलू निवासी कुसमरा।	एकनाली टोपीदार	९-१-६७
२	श्री लछी राम पुत्र श्री निकसाई निवासी माडूरी।	एकनाली कारतूसी	१९-१-६७
३	श्री विशेश्वर दयाल बत्तक पुत्र श्री भूलू निवासी हरीपुरा।	दोनाली टोपीदार	,,
४	श्री मथुरा प्रसाद पुत्र श्री नाथू राम निवासी कर्रा।	,,	,,
५	श्री जयकरन सिंह पुत्र श्री विजय बहादुर सिंह निवासी बटामांव।	एकनाली टोपीदार	१७-१-६७
६	श्री नाथू राम पुत्र श्री पहलवान निवासी सिरसा।	एकनाली कारतूसी	९-१-६७
७	श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद निवासी दोनापुर।	,,	,,
८	श्री राम दयाल पुत्र श्री लछमन निवासी दोनापुर।	दोनाली टोपीदार	,,
९	श्री रामाधार पुत्र श्री धनीराम निवासी दोनापुर।	एकनाली टोपीदार	,,
१०	श्री रामनाथ पुत्र श्री पहलवान निवासी दोनापुर।	एकनाली कारतूसी	,,
११	श्री महाराज सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह निवासी मिहौना।	एकनाली कारतूसी	२०-१-६७
१२	श्री अशर्फी लाल पुत्र श्री रामेश्वरदयाल निवासी दोनापुर।	एकनाली टोपीदार	९-१-६७
१३	श्री दिलावर खां पुत्र श्री नजीर खां निवासी अजीतापुर।	एकनाली कारतूसी	१०-२-६७
१४	श्री सुखलाल पुत्र श्री मौजी निवासी दोनाली टोपीदार जालौन।		९-२-६७
१५	श्री केदारनाथ पुत्र श्री भूलू निवासी रिनिया:	,,	१८-२-६८
१६	श्री देवीदीन पुत्र श्री बदलू निवासी सिकरी।	एकनाली कारतूसी	२८-२-६७
१७	श्री नन्हें खां पुत्र श्री रमजान खां निवासी जालौन।	दोनाली टोपीदार	८-२-६७

परिशिष्ट 'अ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६६ पर)

वाराणसी नगरमहापालिका के अन्तर्गत १-१-६७ से ३०-४-६७ तक हुए विभिन्न अपराधों की तालिका।

	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल
१—कोतवाली—				
१—हत्या ..	..	..	..	१
२—डाका ..	..	..	..	..
३—चोरी ..	२७	३४	२३	२१
४—बलवा ..	..	..	१	..
५—राहजनी ..	..	२	..	२
६—अपहरण ..	..	१	..	..
७—साम्प्रदायिक उपद्रव	..	..	..	..
२—चौक—				
१—हत्या ..	..	१	१	..
२—डाका ..	..	..	..	..
३—चोरी ..	१३	२०	१२	११
४—बलवा ..	..	..	..	..
५—राहजनी ..	..	..	..	..
६—अपहरण ..	१	..	..	१
७—साम्प्रदायिक उपद्रव	..	..	..	..
३—थाना आदमपुर—				
१—हत्या ..	..	..	..	१
२—डाका ..	..	..	..	१
३—चोरी ..	१६	१०	१४	७
४—बलवा ..	..	१	१	३
५—राहजनी ..	..	..	..	..
६—अपहरण ..	१	..	..	..
७—साम्प्रदायिक उपद्रव	..	..	..	१
४—थाना मंडुवाडीह—				
१—हत्या ..	१	..	..	..
२—डाका ..	..	..	..	..
३—चोरी ..	४४	१६	२५	३३
४—बलवा ..	..	..	..	..
५—राहजनी ..	..	..	..	..
६—अपहरण ..	..	..	..	१
७—साम्प्रदायिक उपद्रव	..	..	..	..

विधान सभा प्रदेश

	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल
५--थाना बशासुमेध--				
१--हत्या ..	..	..	..	१
२--डाका ..	१	..	..	..
३--चोरी ..	२८	२४	२०	२२
५--बलवा ..	..	१	..	..
५--राहजनी ..	..	..	१	..
६--अपहरण ..	१	..	..	१
७--साम्प्रदायिक उपद्रव ..	..	..	..	..
६--थाना चैतगंज--				
१--हत्या ..	..	..	१	..
२--डाका ..	..	..	..	..
३--चोरी ..	३३	२१	१५	१४
४--बलवा ..	..	..	१	२
५--राहजनी ..	..	..	..	..
६--अपहरण ..	..	..	..	..
७--साम्प्रदायिक उपद्रव	..	..	..	..
७--थाना कैन्ट--				
१--हत्या ..	..	..	१	..
२--डाका ..	..	..	..	१
३--चोरी ..	४८	४८	४९	५८
४--बलवा ..	३	..	१	१
५--राहजनी ..	..	२	३	१
६--अपहरण ..	..	१	..	..
७--साम्प्रदायिक उपद्रव	..	..	..	..

परिशिष्ट 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६७ पर)

बचत की मदें

सामुदायिक विकास विभाग	बचत
	रु०
१—सहायक विकास अधिकारी महिला तथा ग्रामसेविकाओं के पद समाप्त कर दिये जायें। इन पदों पर काम करने वाली महिलाओं के लिए चेष्टा की जाय कि उनमें से जो आवश्यक योग्यता रखती हों, उनको लड़कियों के स्कूलों में अध्यापिकाओं की जगह रखने में वरीयता दी जाय और उन में से जो ट्रेनिंग हासिल करना चाहें उनको ट्रेनिंग संस्थाओं में दाखिला मिलने में वरीयता दी जाय।	५७,१२,१००
२—खंड सूचना केन्द्रों (ब्लाक इन्फार्मेशन सेन्टर्स) के लिए खरीदे जाने वाले पत्र तथा पत्रिकाओं पर होने वाले व्यय में ५० प्रतिशत कमी कर दी जाय।	
३—रीजनल असिस्टेंट डाइरेक्टर (वीमेन वेल्फेयर) के पद तथा उनके कार्यालय भी समाप्त कर दिये जायें।	
४—सामुदायिक विकास विभाग के कार्यक्रम अनुभाग द्वारा जो साहित्य प्रकाशित किया जाता है, वह बिलकुल बन्द कर दिया जाय।	
सूचना विभाग	
१—सूचना निदेशालय में संगीत तथा नाटक के अधिकारी का पद समाप्त कर दिया जाय।	
२—समस्त जिला सूचना अधिकारियों तथा अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारियों का पद समाप्त कर दिया जाय और इनके कार्यालयों में जो और पद हों उन को भी समाप्त कर दिया जाय। डिवीजनल मुख्यालयों में भी किसी सूचना अधिकारी इत्यादि के रखने की आवश्यकता नहीं है।	१,१७,७००
३—"त्रिपथगा" नामक हिन्दी पत्रिका का प्रकाशन बन्द कर दिया जाय।	
४—संगीत तथा नाटक के लिए जो प्राविधान है वह बिलकुल समाप्त कर दिया जाय।	
५—कृषि विभाग को छोड़ कर और सब विभागों में जो सूचना संगठन है उनको समाप्त कर दिया जाय।	
६—डेवेलपमेंट ब्लाक्स में ५९ पद पब्लिसिटी असिस्टेंट कम प्रोजेक्टर आपरेटर्स के हैं। इन पदों को समाप्त कर दिया जाय।	

सामुदायिक विकास विभाग	बचत
शिक्षा विभाग—	
१—मैदानी इलाकों के सब-डिप्टी इन्स्पेक्टरों द्वारा किये जाने वाले स्कूल निरीक्षकों की संख्या ५० से बढ़ा कर ७५ प्रति वर्ष कर दी जाय। इसी के मुताबिक सब डिप्टी इन्स्पेक्टरों की संख्या निर्धारित कर दी जाय।	५,००,०००
२—प्रान्तीय शिक्षा दल को समाप्त किया जाय तथा इन्टर की कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी एन० सी० सी० का प्रशिक्षण दिया जाय।	
३—प्रारंभिक शिक्षा के विस्तार के लिए प्रचार और प्रसार कार्यों पर व्यय होने वाली धनराशि समाप्त कर दी जाय।	
उद्योग विभाग—	
१—कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, लखनऊ, मेरठ और बरेली को छोड़कर और सब जगहों पर जिला उद्योग अधिकारियों को रखने की आवश्यकता नहीं है और उनके पद समाप्त किए जायं और उनके कार्यालय भी बन्द कर दिए जायं। जो सात जिला उद्योग अधिकारी रखने हैं उनका चुनाव एक कमेटी द्वारा योग्यता तथा कार्यकुशलता के आधार पर किया जाय। बाकी जिलों में उद्योग अधिकारी का कार्य रेगुलर स्ट्रेंथ में नियुक्त डिप्टी कलेक्टरों में से किसी एक को सौंपा जाय।	१५,२९,६००
२—सहायक विकास अधिकारी 'उद्योग' के समस्त पद समाप्त कर दिए जायं। ब्लाक में औद्योगिक ऋण इत्यादि देने का काम बी० डी० ओ० स्वयं या अपने किसी और मातहत के जरिए कराए।	
सहकारिता विभाग—	
१—सरकार द्वारा मार्केटिंग तथा कोआपरेटिव क्रेडिट स्कीम तथा फार्मिंग एवं डेरी स्कीम के अधीन सेवा नियोजित सरकारी कर्मचारी वर्ग पर होने वाले व्यय का भार संबद्ध संस्थाओं पर तीन वर्षों के भीतर क्रमबद्ध रूप में डाला जाय।	४,५०,८००
२—गैर सरकारी प्रशिक्षण तथा शिक्षा योजना के लिए प्रादेशिक सहकारी संघ को दिए जाने वाले सहायक अनुदान में २५ प्रतिशत कमी की जानी चाहिए।	
३—सहकारिता प्रशिक्षण तथा शिक्षा योजना के विस्तार पर होने वाले व्यय में २५ प्रतिशत कमी की जानी चाहिए।	
४—औषधि विकास योजना के लिए दिए जाने वाले योजनेत्तर नान-प्लान अनुदान की व्यवस्था धीरे-धीरे ३ साल के अन्दर समाप्त कर देनी चाहिए।	
५—प्रचार एवं प्रसार कार्यों पर अब आगे व्यय नहीं किया जाना चाहिए।	

सामुदायिक विकास विभाग बजट

कृषि विभाग—

१—जन सम्पर्क अधिकारी का पद समाप्त कर दिया जाय।

२—कृषि निदेशालय में प्रसार अधिकारी "ऐक्सटेन्शन आफिसर" का पद समाप्त कर दिया जाय। १३,१००

श्रम विभाग—

श्रम हितकारी केंद्रों के संबंध में निर्णय ..

१—तीन श्रम हितकारी केंद्र जहां दो-दो परिचारिका हैं वहां से एक परिचारिका हटाई जाय।

२—जहां-जहां घास का मैदान या फूल-पत्ते इत्यादि न लगे हों वहां माली का पद समाप्त कर दिया जाय।

३—प्रौढ़ शिक्षा की योजना की समाप्ति ..

४—संगीतज्ञ के स्थान की समाप्ति ..

५—सात श्रम हितकारी केंद्रों की समाप्ति .. ३,४०,२०३

सार्वजनिक निर्माण विभाग—

१—इलेक्ट्रिकल तथा मेकेनिकल डिवीजन के लिए कार्य का मापदण्ड २० लाख रुपये से बढ़ाकर २५ लाख रुपया सालाना कर दिया जाय तथा छोटी और औसत दर्जों की इमारतों में बिजली लगाने के कार्य की देखरेख उक्त डिवीजन द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। यह कार्यकारी डिवीजन (ऐक्जीक्यूटिव डिवीजन) की देख-रेख में ठेकेदारों द्वारा करवाया जाना चाहिए।

२—औसत ३८ लाख रु० के ४५ लाख रु० के वास्तविक कार्यभार के हिसाब से एक निर्माण एवं अनुरक्षण डिवीजन की स्वीकृति दी जानी चाहिए और केवल निर्माण संभाग के लिए ४० लाख रु० से बढ़ा कर मानदण्ड ५० लाख रु० होना चाहिए।

३—एक सर्किल के अन्तर्गत ५ डिवीजन की जगह औसतन ५:५ डिवीजन होने चाहिए।

४—अभी तक एक मुख्य अभियन्ता के प्रशासकीय नियंत्रण में ६ सर्किल होते हैं। यदि सर्किल की संख्या ६ से अधिक हो पर १० से अधिक न हो तो एक उप-मुख्य अभियन्ता का पद दिया जाता है। यदि सर्किल की संख्या १० से अधिक हो किंतु १४ से अधिक न हो तो उप मुख्य अभियन्ता के २ पद स्वीकार किये जाते हैं। अब मुख्य अभियन्ता के अलावा एक उप मुख्य अभियन्ता का पद तभी स्वीकार किया जाय जब सर्किलों की संख्या सात से कम तथा ११ से अधिक न हो और दूसरे मुख्य अभियन्ता का पद तब स्वीकार किया जाय जब सर्किलों की संख्या १२ से कम तथा १७ से अधिक न हो। ६,८६,०००

सामुदायिक विकास विभाग	बचत
पंचायती राज विभाग—	
१—ग्राम सभाओं को अपने साधन बढ़ाने के लिए जो आर्थिक सहायता दी जाती है वह बन्द कर दी जाय।	
२—प्रत्येक ए० डी० ओ० पंचायत के साथ जो एक क्लर्क सम्बद्ध होता है उसका पद सरकारी कार्यालयों के मुख्य निरीक्षक की सिफारिश के अनुसार २८ फरवरी, १९६८, से समाप्त कर दिया जाय। इसके बाद इन पदों की जगह केवल एक क्लर्क प्रत्येक जिले में डी० पी० ओ० के कार्यालय में इस काम को संभालने के लिए बढ़ा दिया जाय।	
चकबंदी विभाग—	
चकबन्दी पर जो वास्तविक व्यय हो रहा है उसका पिछले निर्णयों के अनुसार ५० प्रति शत काश्तकारों से वसूल किया जाय।	
लोक सेवा आयोग—	
आयोग के कर्मचारियों को इनविजिलेशन का कार्य करने के लिए कोई अतिरिक्त रुपया न दिया जाय क्योंकि यह कार्य सरकारी समय में ही किया जाता है।	४,०००
न्याय विभाग—	
१—सिविल कोर्ट्स में प्रोसेस सरवर के नार्म को ६०० से बढ़ाकर ७०० सालाना कर दिया जाय और राजस्व विभाग में प्रोसेस सरवर का नार्म जो १,४०० सालाना से घटाकर १,००० सालाना कर दिया जाय।	
२—मुन्सिफों की संख्या घटाने के बजाय जहां-जहां आवश्यकता हो मुन्सिफों को मैजिस्ट्रेट के अख्तियारात दे दिए जायं और अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों का कार्य उनकी अदालतों के खत्म होने पर मुन्सिफ मैजिस्ट्रेटों को दे दिए जायं।	
३—हाई कोर्ट से अनुरोध किया जाय कि वह सब डिस्ट्रिक्ट जजों को आदेश दे कि वे अपनी अपनी जजी में जितना खर्च कम कर सकें उतना कम करें।	
सतर्कता विभाग—	
जिला भ्रष्टाचार विरोधी तथा प्रभागीय भ्रष्टाचार विरोधी समितियों की समाप्ति।	४३,०००

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७१ पर)

(१) आटागाड़ में दालघाट—

यह पुल १४० फीट लोहे के गर्डर का है। इस पर काम जारी है और ६० प्रति शत प्रगति हो चुकी है। इसके मार्च, १९६९, तक पूर्ण हो जाने की आशा है। पुल की प्रगति इसलिए ढीली है क्योंकि जुड़े हुए पुलों को कुछ और मजबूत करना है जिसकी परिकल्पना (डिजाइन) अभी विचाराधीन है।

(२) राम गंगा पुल (१) :—

यह पुल रामगंगा नदी पर रिखौली के समीप ८० फीट लोहे के गर्डर का है। इस पर ८० प्रति शत प्रगति हो चुकी है और इसके जून, १९६८ तक पूर्ण हो जाने की आशा है। प्रगति धीमी होने का कारण यही है कि जुड़े हुए पुलों को कुछ और मजबूत करना है जिसकी परिकल्पना (डिजाइन) अभी विचाराधीन है।

रामगंगा (२) :—

यह पुल रामगंगा नदी पर मतिया बगड़ के समीप १९० फीट लोहे के गर्डर का है। इस पर ३५ प्रति शत कार्य हो चुका है और इसके मार्च, १९६९ तक पूर्ण हो जाने की संभावना है। इस पर कार्य कुछ समय तक स्थगित रहा परन्तु इस बरसात के बाद काम प्रारंभ कर दिया जायेगा।

(३) स्यूड़ीगाड:—

यह पुल सोनीगाड नदी पर ५५ फीट लोहे के गर्डर का है। अभी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है क्योंकि पहले यह सोचा जा रहा था कि जो हिस्से महलचोरी पुल को खोलने के बाद प्राप्त होंगे उन्हीं को उपयोग में लाया जा सकेगा। लेकिन तदुपरांत देखा गया कि वह इस कार्य के उपयुक्त नहीं है। अतः इसके लिए नया पुल जोड़ा (फैब्रीकेट) जायेगा।

(४) खनसड़ गाड़ :—

यह पुल १०० फीट लोहे का गर्डर है। इस पर ६० प्रति शत प्रगति हो चुकी है और मार्च, १९६९ तक पुल के पूर्ण हो जाने की आशा है। पुल की प्रगति इसलिए ढीली है कि जुड़े हुए पुलों को और मजबूत करना है जिसकी परिकल्पना (डिजाइन) अभी विचाराधीन है।

(५) बगड़ी गाड़ :—

यह पुल मन्दोली के समीप १०० फीट लोहे के गर्डर का है। इस पर ६० प्रति शत प्रगति हो चुकी है और मार्च, १९६९ तक पुल के पूर्ण हो जाने की आशा है। इस पुल की प्रगति इसलिए ढीली है कि जुड़े हुये पुलों को कुछ और मजबूत करना है जिसकी परिकल्पना (डिजाइन) अभी विचाराधीन है।

(६) कैल नदी पर :—

यह पुल कैल नदी पर देवल के समीप १२० फीट लोहे के गर्डर का है। इस पर ७० प्रति शत प्रगति हो चुकी है और मार्च १९६९ तक पुल के पूर्ण हो जाने की आशा है।

पुल की प्रगति इसलिए ढीली है कि जुड़े हुए पुलों को कुछ और मजबूत करना है जिसकी परिकल्पना (डिजाइन) अभी विचाराधीन है।

(७) हरमल चोटी मार्ग में पिण्डर नदी पर :—

ऐसा कोई पुल नहीं बन रहा है।

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७२ पर)

तालिका

जिला मुरादाबाद के आदमियों की सूची जिन्हें सन् १९६६-६७ के हेतु क्रशर के नये लाइसेंस दिए गए ।

क्रम-संख्या	आदमी का नाम व पता	ग्राम का नाम जहां इकाई स्थित है
१	श्री ऋच्छ पाल सिंह, आत्मज चौ० शेर सिंह, ग्राम कैल बकरी, जिला मुरादाबाद ..	(सुरक्षित क्षेत्र) कैल बकरी
२	श्री कमर हुसैन, मेसर्स हाजी हरमत हुसैन मुक्त क्षेत्र एण्ड बदर्स, दीन सराय संभल, जिला मुरादाबाद ..	(फ्री ऐरियाज) ओरी
३	श्री प्रकाश अग्रवाल, मेसर्स गुड़ एवं खण्डसारी, गृह उद्योग सहकारी समिति लि०, ग्राम एवं पो० बरतौरा, मुरादाबाद	(मुक्त क्षेत्र) बरतौरा
४	श्री रघुवीर आत्मज श्री छेदा सिंह, फर्म जवाहर सुगर इन्डस्ट्रीज, केन क्रशर, ग्राम नौनेर, पो० चकनवाला, मुरादाबाद	(मुक्त क्षेत्र) नौनेर
५	श्री अनूप सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह, ग्राम पेली, पो० अस्पोली, मुरादाबाद ..	(मुक्त क्षेत्र) पेली
६	श्री भरतसिंह पुत्र श्री नैपालसिंह, ग्राम मोहिउद्दीनपुर, पो० धनौरा, जिला मुरादाबाद ..	(मुक्त क्षेत्र) मोहिउद्दीनपुर
७	श्री शरायत उल्लाह, मेसर्स शरायत उल्लाह हसरत उल्लाह, ग्राम चन्दयान, संभल, जिला मुरादाबाद ..	(मुक्त क्षेत्र) चन्दयान
८	श्री चन्द्र सेन, फर्म देवी दास, महेश चन्द, ग्राम एवं पो० पौरारा, जनपद मुरादाबाद ..	(मुक्त क्षेत्र) पौरारा
९	श्री प्रेम प्रकाश, फर्म प्रेम प्रकाश प्रमोद कुमार, ग्राम एवं पो० जेहतोली, जिला मुरादाबाद ..	(मुक्त क्षेत्र) जेहतौली
१०	श्री भगवती शरण पुत्र श्री दीवान चन्द, ग्राम एवं पो० बरतौरा, जिला मुरादाबाद ..	(मुक्त क्षेत्र) बरतौरा
११	श्री सोम पाल सिंह, पुत्र श्री शंकर सिंह, ग्राम मोहन चक पो० मालकपुर, जिला मुरादाबाद ..	(मुक्त क्षेत्र) मढ़ैया मोहन चक
१२	श्री महेन्द्र सिंह त्यागी, पुत्रश्री शंकर सिंह त्यागी, ग्राम एवं पो० हस्तमपुर न्यावती, मुरादाबाद ..	(मुक्त क्षेत्र) हस्तमपुर न्यावती
१३	श्री बख्तावर सिंह, फर्म बख्तावर सिंह भगवन्त सिंह, ग्राम एवं पो० कुन्दर की मूर, मुरादाबाद ..	(मुक्त क्षेत्र) कैसपुर

क्रम-संख्या	आदमी का नाम व पता	ग्राम का नाम जहां इकाई स्थित है
१४	श्री रामकिशोर सिंह मिल, पुत्र श्री अमर नाथ, ५८७ कायस्थान पो० हसनपुर, मुरादाबाद ..	(मुक्त क्षेत्र) भोखमपुर शिकरे
१५	श्री छतर सिंह पुत्र श्री गोविंद सिंह, ग्राम पेली, पो० अस्माली जिला मुरादाबाद ..	(मुक्त क्षेत्र) पेली
१६	श्री ओम स्वरूप, पुत्र श्री राम प्रसाद, मोहल्ला होलीवली, पो० हसनपुर, जिला मुरादाबाद ..	(मुक्त क्षेत्र) भोखमपुर
१७	सर्वश्री हरीश चन्द्र कबीर चन्द्र, ग्राम एवं पो० बसीपुर, जिला मुरादाबाद ..	(मुक्त क्षेत्र) चकवासीपुर
१८	श्री यूसुफ रजा खां, पुत्र श्री मोहम्मद रजा खां, घर सरफद्दीन खां, जिला रामपुर ..	(मुक्त क्षेत्र) ढक शहीद

पी० एस० यू पी —ए० पी०—५४ एल० ए०—१९६७—२४६ ।

विधान सभा सचिवालय